(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] छठी विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस [संख्या 5

सोमवार

25 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, कृषि, सहकारिता, जनसम्पर्क एवं कारागृह)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री कुंजीलाल पटेल।

प्रश्न संख्या 46

श्री कुंजीलाल पटेल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री खेतसिंह राठौड़।

खुली जेलों में बंदियों को सुविधाएं

47. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार को खुली जेल के परीक्षण से क्या अनुभव प्राप्त हुए ?

(2) कुल कितने वन्दियों को इस प्रकार खुली जेलों में रखा गया है और कहां कहां रखा गया है और उन्हें बन्द जेल के मुकाबले क्या सहूलियतें दी गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजनैतिक वन्दियों को जेलों में काफी अच्छी सुविधायें दी जाती हैं ? यदि हां, तो वे सुविधायें क्या क्या हैं ? क्या इन सुविधाओं में फेर बदल करने का राज्य सरकार का कोई इरादा है?

विधि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) खुली जेलों का परीक्षण लाभकारी रहा है। इससे वन्दियों को समाज में पुनः प्रवेश के लिए मदद मिलती है।

(2) राजस्थान में इस समय निम्नांकित स्थानों पर वन्दियों के खुले शिविर हैं, जहां 103 बन्दी दिनांक 1-6-77 को थे:-

(क) वन्दियों का खुला प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुरा,

(ख) श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, सांगानेर,

(ग) वन्दियों का खुला शिविर, सरदारगढ़,

(घ) वन्दियों का खुला शिविर, जैतसर,

Page No. 2

(2)

(श्री सम्पतराम)

(ङ) बन्दियों का खुला शिविर, कारागार, भरतपुर।

उपर्युक्त शिविरों में खुले शिविर, भरतपुर को छोड़ कर शेष सभी बन्दियों को निम्नांकित सुविधायें दी हुई हैं:–

(क) शिविर पर स्वयं के द्वारा अर्जित राशि को भोजन, आवास व अन्य आवश्यक दैनिक वस्तुओं पर व्यय करने की तथा अपने परिवार वालों को बचत की राशि भेजने की सुविधा है।

(ख) शिविर पर स्वयं के साथ परिवार को रखने की सुविधा दी गई हैं।

(ग) शिविर पर बन्दी अपने पशु भी रखते हैं।

(घ) बन्दी शिविर की परिधि में स्वेच्छापूर्वक घूम सकते हैं तथा कार्य कर सकते हैं तथा इन पर नाम मात्र की सुरक्षा व्यवस्था है।

(ङ) बन्दी अपने घरू वस्त्र पहनते हैं।

(3) नहीं, सुविधाओं में फेर बदल के बारे में सरकार विचार करेगी।

श्री खेत सिंह राठौड : क्या यह सही है कि जिन राजनेताओं को इमर्जेन्सी में बन्दी बना कह रखा गया था उनको आम तौर पर रेस्ट हाउसेज में, डाक बंगलों में रखा गया था और उन्हें खाने पीने के लिए 11) रुपये की खुराक दी गई थी जिससे उनका बाहर निकलने के वक्त काफी वजन बढ़ा है ?

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या आप उन्हें मार देना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को स्वयं मालूम है कि कहां कहां पर उन्हें रखा गया था और क्या क्या सुविधायें मिली थीं लेकिन संसद और विधान सभा के जेलों में बन्द माननीय सदस्य, जो छूट कर आए, से अनुभव के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार व्यवस्था बहुत खराब थी। कथनी और करनी में बड़ा फर्क था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि खुली जेलों में बन्दी रखने पर कितना खर्चा आता है और बन्द जेलों में रखने पर प्रति कैदी कितना खर्चा आता है ? खुली जेलों को बढ़ाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल रेलेवेंट प्रश्न है। खुली जेलों में रखने पर अभी कितना खर्चा आता है और बन्द जेलों में रखने पर कितना खर्चा आता है ? आपने स्वयं ने माना है कि खुली जेलों में रखना लाभप्रद है, यह योजना लाभप्रद साबित हुई है तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि इस पर कितना

(श्री मूलचन्द डागा)
खर्चा आता है। It is a relevant question, and you must be prepared to answer it.

गृह मंत्री (श्री केदारनाथ) : It is a matter of calculation.

श्री मूलचन्द डागा : सवाल बिल्कुल सही है, उत्तर आना चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : आपकी इच्छा है क्या उसमें जाने की ?

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री बड़े काबिल हैं वे उत्तर दे देंगे। आप मंत्री बनने की लिस्ट में दिखते हो।

श्री खेतसिंह राठौड : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज कल जेलों में काफी बन्दी स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, इसका कारण क्या है ? क्या यह कारण है कि वहां पर व्यवस्था वगैरह ठीक नहीं है जिसकी वजह से स्ट्राइक कर रहे हैं ?

श्री सम्पत राम : हो सकता है कि यह शिकायत हो किन्तु कुछ राजनैतिक बन्दी उनको भड़काते रहते हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मंत्री महोदय का यह कहना है कि खुली जेलों का हमारा अनुभव अच्छा है तो क्या सरकार इसको प्रोत्साहन देगी और खुली जेलें ज्यादा खोलेगी ?

श्री सम्पतराम : खुली जेलों का अनुभव अच्छा है और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देने की सोचती है।

श्री मूलचन्द डागा : सोचने का मतलब क्या है, कितने समय तक सोचेगी ? यह तो कोई उत्तर नहीं है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस पर कितना खर्चा करेगी और कौन से ठोस कदम उठायेगी ? इसके लिए आपका क्या उत्तर है ? आपके उत्तर से तो कोई अर्थ नहीं निकलता। महरबानी करके स्पष्ट उत्तर दीजिए कि कितना खर्चा बढ़ायेंगे और कितनी जेलें खोलेंगे ?

श्री सम्पतराम : सरकार की इच्छा है कि सरकार जेलों में कैदियों की तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, सुधार के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी। जहां तक डिटेल्ड प्लान का प्रश्न है इस समय मेरे पास नहीं है। सरकार का प्रयत्न है कि इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सुधार किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : इस मामले में कोई कमेटी बिठा कर रिपोर्ट प्राप्त की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

नेक्स्ट क्वश्चन ! श्री शंकरलाल।

पाली और जयपुर के बीच रात्रि बस सेवा

48. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला हैड क्वार्टर से जयपुर तक सीधी बस सर्विस करने की नीति का निर्णय

(श्री शंकरलाल)
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा लिया हुआ है ? यदि हां, तो राज्य के कितने जिलों से कितनी बसें सीधी जयपुर तक चलाई जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पाली और जयपुर के बीच कितनी सीधी बसें किस किस समय पर चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पाली और जयपुर के बीच रात्रि बस सेवा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) यह रात्रि बस सेवा वापस कब प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जी हां। जैसलमेर जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिये जयपुर से सीधी सेवायें संचालित हैं। प्रत्येक जिले से सीधी जयपुर तक चलाये जाने वाले वाहनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस सेवा में यात्री भार कम होने के कारण तथा सेवा अलाभप्रद होने से बन्द कर दी गई है।

(4) भविष्य में इस सेवा को पुनः प्रारम्भ किये जाने के प्रश्न पर अधिक यात्री भार उपलब्ध होने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—1 देखिये)

श्री शंकरलाल : जो सूची राज्य सरकार द्वारा मुझे दी गई है उसमें बताया गया है कि कितनी बसें चल रही हैं। इसके अन्दर सीधी चलने वाली बस नहीं बता कर जो दूसरे जिलों से आती हैं वह बताई हैं। यह सं. 15–16 पर है। जालोर से चल कर आती है, सिरोही से आने वाली है और तीसरी आबू रोड से आती है। इसलिए मेरा पूछना यह है कि डायरेक्ट बस पाली से चल कर कितनी आती हैं ? आपने एक ही संख्या बताई है कि छः बसें आती हैं। आप अपने विभाग वालों को कहिये कि जो उत्तर दिया है वह गलत उत्तर दिया है। डायरेक्ट बस एक भी नहीं आती है रात्रि को। आबू से चल कर, या सिरोही से चल कर, या जोधपुर से चल कर आती हैं और वे पाली होकर आती हैं उसके लिए मेरा प्रश्न नहीं है। आपने कहा कि हर जिले से डायरेक्ट बसें आयेंगी। तो मेरा निवेदन है पाली बहुत ही महत्वपूर्ण टाउन है, इण्डस्ट्रीयली महत्वपूर्ण टाउन है और रात्रि को बस सेवा डायरेक्ट नहीं होने से बहुत तकलीफ होती है। यहां से चल कर जो बसें जाती हैं वे रात्रि को डेढ़-दो बजे पहुंचती हैं तब न कोई कुली मिलता है और न कोई तांगा मिलता है। पाली से जयपुर तक डायरेक्ट बस चलाने के लिए मंत्री महोदय ने कहा भी है कि विचार करेंगे तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी इस पर विचार करें।

श्री केदारनाथ : जल्दी ही विचार किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : पाली मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। पाली से जयपुर बस के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि महरबानी करके इस पर जल्दी विचार करें। आपने जल्दी विचार करने का फर्माया है तो इस 'जल्दी' का कितना समय निर्धारित किया है? साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं, महरबानी करके यह भी बताइये कि आपने कितना समय निर्धारित किया है पाली से जयपुर तक आने का? मेरा ख्याल है कि बारह-बारह घण्टे में भी बस यहां तक नहीं पहुंच पाती है। डायरेक्ट बस नहीं होने से हम पाली से रवाना होते हैं और बारह-बारह घण्टे में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो यह बतायें कि पाली से जयपुर पहुँचने के लिए कितना समय निर्धारित है?

श्री केदारनाथ : इस पर विचार किया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप भीड़ में फसे हुए हैं और विचार ही विचार कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वैसे तो मंत्री महोदय बसों में जाते रहे होंगे लेकिन अब भी वे समय समय पर बस में यात्रा किया करें ताकि उनको मालूम हो कि बस में कितनी सुविधा होती है और कितनी असुविधा होती है।

श्री मूलचन्द डागा : और पाली से जयपुर तक बस में यात्रा किया करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केदारनाथ : मैंने कई बार बस में यात्रा की है। आगे भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देंगे तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपने बहुत बड़ी कृपा की कि यह फर्माया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने की मांग

49 **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कहां कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले के विशाल क्षेत्र को देखते हुए सिवाना, बालोतरा, धाटीमना और सिणधरी पंचायत समितियों में जहां जहां रबी की फसल होती है वहां के काश्तकारों को फसल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढ़ाने के लिए जिले में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में कृषि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जिले में खरीफ की फसल को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाने के लिए बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलना आवश्यक और वाजिब समझती है? यदि हां, तो कृषि विभाग जिला कृषि अधिकारी की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कार्यालय खोलने में विलम्ब कर जिले की प्रगति में बाधा क्यों डाल रही है ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1969 में जिलों के पुनर्गठन के समय कृषि की दृष्टि से बाड़मेर जिले को जिला कृषि अधिकारी जालोर के अन्तर्गत रखा गया था। जिले में कृषि की बढ़ती हुई गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर तहसील के लिए एक जिला भू-संरक्षण अधिकारी का कार्यालय खोला जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखिए)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत अच्छा है कि आपके विचाराधीन है। लेकिन यह विचाराधीन प्रश्न कब तक हल हो जाएगा ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सही मालूम पड़ती है। पिछली सरकार को इस पर काफी जल्दी निर्णय लेना चाहिए था। इसको देखने से मालूम पड़ता है कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया है। अब इसको जल्दी से जल्दी रिआर्गेनाइज करके ठीक किया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी को विचाराधीन पर निर्णय करने में कितना समय लगता है ? मेहरबानी करके यह तो बतावें कि विचाराधीन पर निर्णय करने में कितना समय लगता है ? हर प्रश्न का उत्तर विचाराधीन में बताया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय हर एक जिले में कृषि अधिकारी लगाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सहकारी समितियों का चुनाव

50. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं जिनका चुनाव होना जरूरी है ? श्रेणीवाइज सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सहकारी समितियों का इतने लम्बे समय तक चुनाव नहीं कराने का क्या कारण है ?

(3) चुनाव के समय क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी ? यदि कोई नियम हों तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) अब उक्त समितियों के चुनाव कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, इसकी

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

जानकारी प्राप्त की जा रही है। यह एक विस्तृत प्रश्न है। अभी तक 35 असिस्टेन्ड रजिस्टार से जानकारी मांगी गई है जिसमें से 18 से जानकारी प्राप्त हो गई है और 17 से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने का मेरा निवेदन है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी मंगाने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अभी तक किसी भी सहकारी समिति के चुनाव हुए ही नहीं हैं। किसी के चुनाव नहीं हुए हैं। मंत्री महोदय को सारी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : सरकार स्वयं स्थगन चाह रही है।

नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 51।

राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

51. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के विद्युत् मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष ने पिछले एक वर्ष में दिल्ली की यात्रा कितनी बार की ?

(2) विद्युत् मण्डल के अध्यक्ष ने गत एक वर्ष में राज्य के अन्य शहरों की कितनी बार यात्रा की ?

(3) क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती कि उपरोक्त अध्यक्ष ने दिल्ली की यात्रा विना उचित कारण व अनावश्यक रूप से बार बार की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उस विषय में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) उपरोक्त अध्यक्ष ने एक वर्ष में टी. ए. और डी. ए. की कितनी राशि उठाई है ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यक्ष ने दिल्ली की बार बार यात्रा अपने दिल्ली में स्थानान्तरण की कोशिश के लिये की और विद्युत् मण्डल का कोई खास कार्य नहीं किया ?

(6) उन्होंने उपरोक्त दिल्ली के दोरों में विद्युत् मण्डल के क्या क्या कार्य किये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

विद्युत् मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) विद्युत् मण्डल के वर्तमान अध्यक्ष ने इसी माह की 18 तारीख को अपने पद का कार्य-भार संभाला है तथा उन्होंने अब तक केवल एक बार राजकीय कार्य से दिल्ली की यात्रा की है।

(2) चूंकि उन्हें पदस्थापित हुए केवल 7 दिन ही हुए हैं अभी उन्होंने किसी अन्य शहर की यात्रा नहीं की है।

(3) चूंकि वर्तमान अध्यक्ष ने अनावश्यक रूप से कोई यात्रा नहीं की, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) इस यात्रा का टी. ए. बिल अभी नहीं बनाया गया है।

(श्री सम्पतराम)

(5) जी नहीं।

(6) अध्यक्ष ने उक्त यात्रा ऊर्जा मंत्रालय व केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए की है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे पहले का है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा करेंगे। यह गलत उत्तर आ रहा है। पिछले एक वर्ष का पूछा है। आज से 7 दिन पहले का नहीं पूछा गया है। पिछले वर्ष का पूछा गया है।

श्री शंकरलाल : जिस समय प्रश्न पेश किया गया, उस समय जो अध्यक्ष थे, उनसे सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर अवाइड कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री सम्पतराम : जहां तक माननीय सदस्यों की संरक्षण की जरूरत है, माननीय अध्यक्ष जरूर दें लेकिन, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न 11-7-77 को पूछा है और उसके पहले के समय में जो चेयरमेन थे, वे 6 जुलाई को ही चार्ज देकर चले गये थे। इसलिए अब जो चेयरमेन हैं, उससे संबंधित यह उत्तर है। इसलिए मैं यह अनुरोध करूंगा कि····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार का जो उत्तर प्राप्त हो गया है, वह पर्याप्त है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना थी, उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप कृपा करके जो मूल प्रश्न है, उसका उत्तर दें। यह पूछा गया है भाग 4 में 'उन्होंने कितने दौरे किए और कितना टी. ए. और डी. ए. लिया है' मेहरबानी कर के हमारी भावना को समझिये और इसका उत्तर दिलवाने का कष्ट करें या इसको पोस्टपोन करें। हमारे मिनिस्टर काबिल हैं। उन्हें सही उत्तर देना चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप मेरी बात भी सुनें···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

भावना एक चीज है। एक हद तक सहानुभूति हो सकती है लेकिन वास्तविकता का भी ध्यान रखना चाहिये। यह सदन वास्तविक चीज के ऊपर ही ध्यान रख सकता है। भावना के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष, वास्तविकता के लिए पूछा है। इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने प्रश्न में यह पूछा है कि एक साल में कहां कहां का दौरा किया है?

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न का जो हिस्सा (4) है, उसमें यह स्पष्ट है कि एक वर्ष में

(श्री मूलचन्द डागा)

कितना टी. ए. डी. ए. उठाया है। अध्यक्ष महोदय, आप इसका उत्तर दिलाने में सक्षम हैं। हमें पूरी आशा है कि आपसे न्याय मिलेगा। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मंत्री महोदय को ताड़ना दें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह पिक्यूलर वे में क्वेश्चन पुट अप किया गया है। जिस तारीख को यह क्वेश्चन पुट अप किया गया है, उस तारीख से पहले ही वे चेयरमैन चले गये थे। इसमें साफ लिखा है।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें नाम नहीं लिखा है।

श्री शंकरलाल : जिस दिन सवाल पूछा गया है, उस दिन वर्तमान अध्यक्ष हो या न हो, परन्तु यह अध्यक्ष से संबंधित सवाल है और एक वर्ष की जानकारी चाही गयी है। यह पहले अध्यक्ष से ही संबंधित है और इसका उत्तर आना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न के भाग (2) में साफ पूछा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इसको अवाइड कर रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि एक वर्ष में कितनी टी. ए. डी. ए. की राशि ली है? यह पूछा है। सात दिन का नहीं पूछा है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको पोस्टपोन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगर आप कहें तो स्थगित कर सकता हूं। परन्तु सरकार जो उचित समझेगी वही उत्तर देगी। उससे अधिक मैं उत्तर नहीं प्राप्त कर सकता। आप चाहते हैं तो इसको स्थगित किया जाता है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जब तक दूसरा प्रश्न नहीं आयेगा, इस प्रश्न के आधार पर यही इन्फार्मेशन दी जाएगी।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो गयी है। इसके बाद आप अवहेलना नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न में जो आंशिक परिवर्तन हुआ है, आशा है आप उस पर सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने की चेष्टा करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई। **प्रश्न संख्या 52**

जिला जालौर एवं बाड़मेर डिपो में बसों की व्यवस्था

52. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं की जा रही है? यदि हां, तो इस बारे में सरकार तुरन्त क्या क्या कदम उठाना उचित समझेगी ताकि यात्रियों की शिकायतें दूर की जा सकें?

(2) क्या सरकार स्थानीय जनता की निगम की बसों सम्बन्धी शिकायतों को दूर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करने के लिए स्थानीय जिला स्तर पर सलाहकार समिति जिलाधीश की अध्यक्षता में शीघ्र गठित करना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिला जालौर एवं बाड़मेर डिपो की पथ परिवहन निगम की बसें बहुत खराब एवं पुरानी हैं एवं उनका ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा होने से यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार निकट भविष्य में सुधार के बारे में क्या क्या कदम उठाना चाहेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि सांचौर रानीवाड़ा बस रूट पर पथ परिवहन निगम की ओर से जनता की मांग के बावजूद अभी तक लोकल बसों की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे ट्रेनों पर आने जाने के लिए यात्रियों को बेहद कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब लोकल बसों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

(5) क्या यह सही है कि सवारियों को ट्रेन पर ले जाने के लिए सांचौर से सुबह 3–45 बजे एक रोडवेज बस रवाना होकर सुबह पांच बजे रानीवाड़ा पहुंचने की जनता की मांग काफी अर्से से की जा रही है ? यदि हां, तो वह बस कब से चालू करवा दी जावेगी ? उक्त बस सांचौर से आकर वापस ट्रेन की सवारी लेकर प्रातः 6 बजे रानीवाड़ा से रवाना होकर गांधव तक जाकर वापस सांचौर आ सकती है ? उक्त टाइम टेबल के अनुसार रोडवेज की बस की व्यवस्था कब तक करवा दी जावेगी ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) जालौर जिले में निगम की बसों की पूर्ण संतोषजनक व्यवस्था नहीं होने का कारण सुव्यवस्थित कार्यशाला का नहीं होना है। कार्यशाला के अभाव में बसों की देखरेख व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। कार्यशाला का निर्माण कार्य चालू है।

(2) सम्पूर्ण राजस्थान को तीन भागों में बांट कर निगम के लिए तीन सलाहकार समितियां 1. जयपुर क्षेत्र, 2. जोधपुर-बीकानेर क्षेत्र, 3. उदयपुर-कोटा क्षेत्र की गठित हुई हैं। इन समितियों के क्रमशः जिलाधीश, जयपुर, जोधपुर, कोटा संयोजक हैं। निगम के संचालन क्षेत्र को दृष्टि में रखकर प्रत्येक जिले के लिए सलाहकार समितियों के गठन पर विचार किया जा रहा है।

(3) जालौर व बाड़मेर डिपो के वाहन सन् 1970 से 1976 माडल के हैं। कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाते हैं।

(4) जी नहीं। सांचौर–रानीवाड़ा मार्ग पर वर्तमान में 18 एकल सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सेवाओं में वृद्धि की कोई मांग नहीं है यदि भविष्य में यात्री भार बढ़ा तो इनकी संख्या में वृद्धि कर दी जावेगी।

(5) इस प्रकार की सेवा प्रारंभ करने की कोई मांग अभी तक नहीं आई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि व्यवस्था ठीक नहीं है । वहां पर जो पुरानी बसें हैं, वे बीच में पड़ी रहती है । जालोर से लेकर बाडमेर पूरे लम्बे रूट पर बस चलाई जावे। रानीवाड़ा और सांचौर आप पधारे नहीं हैं। आप स्वयं देख लीजिए। ओवरलोडेड बसें चलती हैं। वे बीच के गांवों के पैसेन्जर को नहीं लेती हैं। पहले प्राइवेट आपरेटर्स की 4–5 बसें चलती थीं रानीवाड़ा और सांचोर के बीच में। रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन है । वहां पर जो ट्रेन आती है, उससे कनेक्टेड बसें नहीं हैं। वहां पर लोकल बसें लगाने के लिए पहले विचार किया गया था, उस पर अब शीघ्र विचार किया जाये। जो जालोर की सीधी बस है, वह भरी हुई जाती है और इस कारण बीच वाले गांव से पैसेन्जर नहीं लेती है।। उनको असुविधा होती है । इसलिए मंत्री महोदय इस बारे में विचार कर आश्वासन दें। एक तरफ रोडवेज को घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ वहां से सारे पैसेन्जर ट्रक में बैठकर जाते हैं। आपके डिपो मैनेजर, जालोर और जैसलमेर में सौ मील की दूरी पर बैठे हैं और वहां पर कन्डक्टर और ड्राइवर की मर्जी पर ही बसें चल रही हैं।

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उस पर पूरा विचार किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना और जोधपुर शहर का महत्व

53. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट बैंच की स्थापना जयपुर में करते वक्त जोधपुर सम्भाग के नागरिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि जोधपुर सम्भाग में खास तौर से जोधपुर शहर का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो यह महत्व किस प्रकार कायम रखा जायगा ?

विधि मंत्री (श्री सम्पतराम) : ऐसी कोई सूचना सरकार को उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन दिया गया था कि दो विभागों के मुख्यालय, रेवेन्यू बोर्ड की पर्मानेन्ट बैंच और एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। आप कहते हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह पिछली सरकार की घोषणा होगी। मुझे मालूम नहीं है, यह सदन में आश्वासन दिया गया है, या जनता में आश्वासन दिया गया है या कांग्रेस के किसी नेता ने आश्वासन दिया है। इस बारे में रिकार्ड में कोई चीज नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप महरबानी करके मालूम करें। जोधपुर के लिए यह भावना

(श्री खेतसिंह राठौड़)
रखेंगे तो यह निश्चित मानकर चलें कि इस बारे में बहुत बड़ा आन्दोलन हो सकता है। हाई कोर्ट बैंच जब जयपुर में लाई गई थी उस समय यह आश्वासन दिया गया था। जोधपुर के दोनों माननीय सदस्य बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया कि यह कमिटमेण्ट पहले की सरकार ने किया होगा। क्या पिछली सरकार के कमिटमेण्ट से सरकार बाध्य नहीं है ?

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर) : सरकार के सामने कोई योजना तो होगी। वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अम्बालाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व सरकार ने जो निर्णय लिये हैं, उनकी जानकारी माननीय मन्त्री महोदय को नहीं है तो वह जानकारी कर लें। मैं यह जानना चाहूंगा कि चाहे वह राव कमेटी हो चाहे और कोई कमेटी हो या राज्य सरकार हो, जोधपुर के महत्व को बनाये रखने के लिए क्या कोई कदम उठाने का विचार कर रही है, अगर भूतपूर्व सरकार ने कुछ भी नहीं किया है ? इस प्रश्न पर राजस्थान के दो टुकड़ों की मांग नहीं हो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार विचार कर सकती है। यह सदन में आश्वासन दिया है क्या सरकार यह मालूम करेगी ?

श्री माधोसिंह कछवाहा (सरदारपुरा, जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर को 30 साल से इन्साफ नहीं मिला है। सभी जगह चार चांद लग गये हैं। जयपुर और उदयपुर में लग गये हैं। कोटा में लग गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा में कुछ नहीं हुआ है।

श्री माधोसिंह कछवाहा : जो भी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, अगर माननीय मन्त्री महोदय आज उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो उसे मालूम कर लें। इस मामले में जोधपुर के हित की बात समझ कर पूरा पूरा निर्णय करें। इस प्रश्न को टालने की कोशिश नहीं करें। मैं भी जनता पार्टी का सदस्य हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आत्मा की आवाज है।

श्री शंकरलाल : यह माननीय मन्त्री महोदय के बस की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरों की भी सुन लीजिए।

एक माननीय सदस्य : यह आश्वासन किसने दिया है ? राज्य सरकार ने दिया है, विधि मन्त्री ने दिया है या कांग्रेस के किसी नेता ने दिया है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्यों कष्ट कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : अगर जोधपुर में बेंच नहीं मिलने से दो टुकड़े हो सकते हैं तो बीकानेर···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जवाब दीजिये। इसमें नेता का क्या सवाल है।

एक माननीय सदस्य : अगर राज्य सरकार आश्वासन देती तो वह फाइल पर मिलता।

श्री खेतसिंह राठौड़: आप मिनिस्टर नहीं हैं हुजूर।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने कहा है कि बेंच नहीं मिलने पर जोधपुर के लिए राजस्थान के दो टुकड़े हो जाएंगे। तो कोटा, बीकानेर, अलवर के लिए दो टुकड़े नहीं होंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी: कांग्रेस ने और किया क्या है? टुकड़े ही करवाये हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य सदन में धमकी दे रहे हैं? क्या सदन में इस प्रकार की धमकी दे सकते हैं?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय····

एक माननीय सदस्य : जो दो टुकड़ों की बात कही जा रही है तो अजमेर भी चुप नहीं बैठेगा। यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया! श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : आप निर्णय नहीं कर सके हैं तो जोधपुर डिवीजन के जितने मेम्बर हैं, उनको बुलाकर आप सुन लें। उनसे बातचीत कर लें। क्या हमारा यह सुझाव स्वीकार करेंगे?

श्री सम्पतराम : यह माननीय सदस्य ने सलाह दी है लेकिन उस समय की सरकार ने जोधपुर डिवीजन के बारे में·····

श्री खेतसिंह राठौड़: उस समय की सरकार से आपका क्या मतलब है?

श्री शंकरलाल : 'उस समय की सरकार', 'उस समय की सरकार' आपने रट लगा रखी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस लाल किताब को मैंने खूब पढ़ा है। हम से कहा जाता है कि हम अज्ञानी हैं। सदन के नियम नहीं जानते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पहिचान हो जायेगी। मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं और माननीय सदस्य उनको बोलने नहीं देते हैं। आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, सब जानते हैं फिर भी आप का यह हाल है।

श्री मूलचन्द सामरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय,····

एक माननीय सदस्य : जवाब तो सुन लें !

श्री अध्यक्ष : मैं भी यही निवेदन करूंगा। माननीय सदस्य पूछें। दूसरी बातों में नहीं जायें।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह यूनिफाइड बैंच बनाई है, इससे पूर्व जयपुर में बैंच नहीं थी। डि-सैण्ट्रलाइजेशन ग्राफ कोर्टस् होने से जोधपुर के मामलों की जयपुर में सुनवाई होती है और जयपुर के मामलों को जोधपुर में सुनवाई होती है। अगर ऐसा होता है तो जयपुर में बैंच होने से उनको क्या नुकसान हो गया है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय हमें जवाब दें।

श्री सम्पतराम : जब मैं खड़ा होता हूं तो माननीय सदस्य सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से सरकारी उत्तर पर्याप्त है, ग्राप उनसे पूछ लीजिये। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि जोधपुर का यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री महोदय क्या इसको स्वीकार कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकर लाल।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, आपके उत्तर से मुझे सन्तोष है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ग्रापके उत्तर से पाबन्द होगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्राप इस बात को मानते हैं मंत्री महोदय कि अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है वह एक रूलिंग है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। निवेदन यह है कि जो सवाल उठाये हैं····

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन ग्रावर में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और·····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर, ग्रौचित्य का प्रश्न नहीं उठता है। ढाबरिया साहब जी विद्वान हैं····

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : प्रश्न काल में गलत बात भी नहीं की जानी चाहिए। ग्राप भी ग्रनुभवी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्राप भी ग्रनुभवी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं ग्रापसे निवेदन कर रहा हूं कि मन्त्री महोदय का जवाब नहीं ग्राया है, ग्राप इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री सम्पतराम : यह गलत है I have already replied to the question.

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह आपको चुनौती देते हैं। यह एक तरह से कुर्सी को चेलेन्ज करना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकर लाल !

राजस्थान में सागड़ी प्रथा

54. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सागड़ी प्रथा को समाप्त करने हेतु भूतपूर्व सरकार ने क्या निर्णय लिये और क्या क्या कदम उठाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में अब क्या नीति है और सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) भूतपूर्व राज्य सरकार ने 1971 में "दी राजस्थान सागड़ी सिस्टम एक्ट" बनाया। 1975 में उसमें संशोधन किया। 1975 के अक्टूबर माह में केन्द्रीय कानून "बोन्डेड लेवर अबोलिशन एक्ट" लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार ने अपना कानून वापस ले लिया।

5580 बन्धक श्रमिकों को मुक्त कराया गया, 2484 बन्धक श्रमिकों को बसाया गया। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बन्धक श्रमिक उन्मूलन अधिनियम लागू है। पिछली सरकार ने सागड़ी के सम्बन्ध में दायर मुकदमों को वापस लिया जो एक अशोभनीय कार्य है।

वर्तमान सरकार सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून को पूरी तरह लागू करने के लिये कारगर कदम उठायेगी ताकि बन्धुआ मजदूर प्रथा बन्द हो। मुक्त हुए बन्धक श्रमिकों को कृषि भूमि का आवंटन, ऋण की व्यवस्था एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुकदमें पुनः चलाये जाने का विचार विचाणीय है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—3 देखिये)

श्री शंकरलाल : यह आपने उत्तर में बताया है कि 5580 बन्धक श्रमिकों को मुक्त कराया गया और 2484 श्रमिकों को बसाया गया तो शेष जो 3096 रह गये हैं, उनमें से कितनों को आपकी सरकार के आने के बाद काम पर लगाया गया है और बाकी को कब तक लगाने जा रहे हैं ?

श्री केदारनाथ : इनको बसाने के लिए 15 लाख रुपया था जिसमें से 11 लाख रुपया खर्च किया गया है और ..

श्री शंकरलाल : 3096 के लिए क्या यह धन राशि पर्याप्त होगी ?

श्री केदारनाथ : उनके लिए डाइरेक्शन्स दे दिये गये हैं और उनको भूमि अलाट कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में ए. आर. सी. की ऋण योजना

55. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में ए. आर. सी. की ऋण योजना मन्जूर की जाकर अभी तक शुरू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब सरकार उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में शीघ्र ए. आर. सी. योजना मन्जूर कर कार्य शुरू कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के कौन कौन से ग्रामों के लिये ए. आर. सी. की योजना लागू करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी नहीं। इस क्षेत्र की ए. आर. सी. की ऋण योजना अभी नहीं बनाई गई है।

(2) इस क्षेत्र का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण 1976 में शुरू कर दिया गया है। विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण 1979 में पूर्ण होगा एवं तभी ए. आर. सी. की योजना के बारे में विचार किया जा सकेगा।

(3) विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण पूर्ण होने पर जिन ग्रामों को भू-जल के उपयुक्त पाया जावेगा, उनमें ए. आर. सी. योजना लागू करने का विचार किया जा सकेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे कितने गांव हैं ?

श्री सम्पतराम : गांवों की लिस्ट मेरे पास नहीं है लेकिन इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टीगेशन हुआ था उसके आधार पर मालूम हुआ कि वहां पर खारा पानी है। जिस जगह मीठा पानी है वहां भी नीचे चलने पर मालूम हुआ कि खारा पानी है, और मीठे पानी की संभावना कम है। राज्य सरकार ने आदेश दिये हैं पानी का डिटेल्ड इन्वेस्टीगेशन किया जाय और विभाग को दुबारा डाइरेक्शन दिये गये हैं डिटेल्ड इन्वेस्टीगेशन के लिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वहां पर काफी बेरे हैं जिनके लिए प्रबन्ध होना जरूरी है। वहां से लेवी और अनाज भी सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। इन मुद्दों को मद्दे नजर रखते हुए आप कृपया ध्यान दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम गुदाऊ सांचौर की गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा ऋण

56. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गुदाऊ में अनुसूचित जाति के लोगों की गृह निर्माण सहकारी समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितने सदस्यों की ?

(2) क्या यह भी सही कि उक्त सहकारी समिति के सदस्यों ने हिस्सा राशि के अनुसार गृह निर्माण के लिए ऋण की मांग की थी एवं मकान बनाने के लिए गृह निर्माण सहकारी समिति राजस्थान द्वारा ऋण भी मन्जूर कर दिया गया था ? यदि हां, तो कब एवं कितना ऋण मन्जूर किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाद में ऋण का भुगतान करना रोक दिया गया था? यदि हां, तो क्यों एवं किसके द्वारा ? क्या अब तक उक्त सहकारी समिति को गृह निर्माण हेतु ऋण नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त समिति को ऋण दिलवाना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति को निकट भविष्य में गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त समिति के सदस्यों ने उक्त सहकारी समिति भंग की जाकर उनकी हिस्सा राशि वापस दिलाने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उनकी हिस्सा राशि मय ब्याज के वापस कब तक लौटा दी जावेगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) जी हां, इसका पंजीयन क्रमांक 460–एन पर दिनांक 2-1-74 को किया गया है । इस समिति के गठन के समय सदस्य संख्या 38 थी ।

(2) जी हां । उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा हिस्सा राशि के अनुसार ऋण की मांग की गई थी । समिति को गृह निर्माण कार्य हेतु राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि. द्वारा 31-3-75 को 1,40,000) रु. का ऋण स्वीकृत किया गया था ।

(3) जी नहीं । यह सही नहीं है कि समिति को ऋण का भुगतान रोका गया । समिति को ऋण की स्वीकृति में कुछ शर्तों की पूर्ति कर दिये जाने का निर्णय लिया गया था । जिसमें से मुख्य शर्तें सदस्यों के पट्टों से सम्बन्धित कमियों की पूर्ति करने व सदस्यों द्वारा भूमि समिति के पक्ष में बंधक किये जाने व समिति के द्वारा राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि. के पक्ष में बंधक किये जाने से सम्बन्धित थी । समिति के द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ति न करने के कारण ऋण वितरित नहीं किया जा सका है । सही पट्टे व हस्तान्तरण अभिलेख प्राप्त होने पर ऋण का भुगतान किया जा सकेगा ।

(4) यह सही नहीं है कि ऋण न मिलने के कारण सदस्यों ने समिति को भंग करने व हिस्सा राशि वापस प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है बल्कि प्रति मकान 0-4750) रु. से मकान निर्माण कार्य पूर्ण होना संभव न होने एवं 750) रु. स्वयं सदस्यों द्वारा लगाया जाने, समय न होने के कारण समिति के सदस्यों द्वारा ऋण लेने से

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

इन्कार करते हुए हिस्सा राशि की वापसी की प्रार्थना की गई है। हिस्सा राशि पर ब्याज दिये जाने का नियम नहीं है। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी को समिति की हिस्सा राशि वापस करने की प्रार्थना 21-7-77 को प्राप्त हुई। फाइनेन्स सोसायटी ने हिस्सा राशि 15 दिन की अवधि में वापस लौटाने का आश्वासन दिया है। समिति के सदस्यों को हिस्सा की राशि लौटाने के लिये समिति की प्रबन्ध कारिणी कमेटी स्वयं सक्षम है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह हिस्सा राशि जल्दी से जल्दी लौटाने की कृपा करें, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। पांच साल से वह कोशिश कर रहे हैं। अब वे नहीं लेना चाहते हैं। कोई डिफिकल्टी हो और गवर्नमेन्ट कोई दूसरी योजना बनाये, तब तक . . .

श्री त्रिलोक चन्द जैन : उनको 15 दिन की अवधि दी गई है।

श्री खेतसिंह राठौड : इस प्रकार की कई सोसायटीज हैं जिनको आप ऋण देने की पोजीशन में नहीं हैं, इसके सम्बन्ध में आप क्या निर्णय ले रहे हैं ? क्या उनकी हिस्सा राशि वापस लौटा देंगे।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड : जनरल पालिसी क्या है आपकी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों के मख्यालयों पर विद्युत की व्यवस्था

57. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर सब-डिवीजन की किसी भी तहसील (बाड़मेर नगर के अलावा) एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर विद्युत् की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

(2) विद्युत् बोर्ड ने बायतू, सिणधरी, चोहटण, शिव एवं छोटीमना पंचायत समिति के मुख्यालयों पर बिजली पहुंचाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। उक्त स्थानों में कब तक विद्युत् पहुंचा दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि बायतू पंचायत समिति के मुख्यालय बायतू को बिजली पहुंचाने के लिये बाड़मेर नगर से ग्राम कवास तक बिजली पहुंचा दी गई है ? यदि हां, तो बायतू तक बिजली पहुंचाने में विलम्ब क्यों हो रहा है और कब तक बायतू बिजली पहुंचा दी जायेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। पावर लाइनों के अभाव में बाड़मेर नगर के अलावा इस उप-खण्ड में अन्य तहसील अथवा पंचायत समिति मुख्यालयों को विद्युतीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है।

(श्री सम्पतराम)

(2) प्रश्न में वर्णित स्थानों को छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकृत करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

(3) जी नहीं। सुरक्षा प्रतिष्ठानों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बाड़मेर से उतरलाई एवं खवास को जोड़ दिया गया है। वायतू को, जो बाड़मेर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, बिजली पहुंचाना अभी तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है। यह छठी पंचवर्षीय योजना में सम्भव हो सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, वायतू को मिलाने के लिये बाड़मेर में अभी बिजली भी उपलब्ध है, 33 के. वी. की लाइन भी उपलब्ध है, फिर बिजली पहुंचाने में क्या कठिनाई है ?

श्री खेतसिंह राठौड़: फन्ड्स की कमी है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को काफी डिटेल में देखने की कोशिश की गई है। मालूम होता है कि यह जो 33 के. वी. की लाइन जोधपुर से आई है, यह इतनी लम्बी है, 180 किलोमीटर कि इसकी शक्ति बहुत कम हो जाती है और इससे आगे एक्सपेन्शन सम्भव नहीं है। 132 के.वी. की लाइन जब उस इलाके में आयेगी, तब बिजली का एक्सपेन्शन सम्भव होगा।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में सम्भव हो सकेगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना के कौनसे वर्ष में पूरा होगा ? पहले साल में पूरा होगा, या दूसरे में, अथवा आखिरी साल में ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही।

श्री मूलचन्द डागा : पहले साल में, या दूसरे साल में, या तीसरे साल में या आखिरी साल में, यह नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या छठी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में ले लेंगे ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य को काफी अनुभव प्राप्त है। यह कैसे कहा जा सकता है कि यह काम पहले साल में हो जायेगा या दूसरे साल में ? It is a question of priorities उन सब को देखकर ले लिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) : छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री शंकर लाल।

पाली की रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों को विशेष सुविधा

58. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मुख्य मंत्री ने पाली की रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों को विशेष सुविधा देने हेतु केन्द्र सरकार को तार व पत्र प्रेषित किये ? यदि हां, तो उस तार और पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया ?

(श्री शंकर लाल)

(3) क्या राज्य सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि इन फैक्ट्रियों में कितने मजदूर (आदमी, औरतें और बच्चे) कार्य करते हैं ? और फैक्ट्री एक्ट की पालना होती है या नहीं ?

(4) क्या सरकार ने यह भी जानकारी की या नहीं कि इन फैक्ट्रियों के मालिकों को कितना मुनाफा होता है और उसका कितना हिस्सा मजदूरों को दिया जाता है व मुख्य मंत्री की सिफारिश पर जो मुनाफा होगा उसका कितना हिस्सा मजदूरों को दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री से मिलने वाले डेपुटेशन में मालिकों के साथ मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं था ?

(6) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री की सिफारिश यदि केन्द्र द्वारा मान ली जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं को जो कपड़ा सस्ता मिलता वह इन फैक्ट्रियों को संरक्षण देने के कारण महंगा मिलेगा ?

(7) क्या यह सही है कि पाली पंचायत समिति व रोहट पंचायत समिति ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर रखे हैं कि इन फैक्ट्रियों के तेजाबी पानी से तहसील के करीब तीन सौ सिंचाई के कुए और हजारों बीघा भूमि नष्ट हो गई है परन्तु फैक्ट्रियों के मालिक पानी को साफ कर नदी में जाने देने हेतु प्लान्ट लगाने के लिये सक्रिय नहीं हैं ?

(8) क्या यह सही है कि इस प्रकार की अधिकतर फैक्ट्रियां कृषि भूमि पर अवैध निर्मित हुई हैं और उनमें लाखों रुपये के भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को हुई और विधान सभा में भी चर्चा हुई थी ?

(9) क्या यह सही है कि पाली शहर के भीतर लगी ऐसी फैक्ट्रियों के तेजाबी और जहरीले पानी से कई बच्चे और मवेशियान की मृत्यु की शिकायतें भी आई और नाना प्रकार की बीमारियां पनपने का कारण भी इन फैक्ट्रियों का पानी है ?

(10) क्या सरकार निजी क्षेत्र में ही लगे उद्योगों के मुकाबले निजी क्षेत्र के ही अन्य उद्योगों को विशेष संरक्षण दिलाने की नीति को उचित मानती है, चाहे उससे उपभोक्ताओं को नुकसान ही क्यों न हो ?

उद्योग मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन) :
(1) जी हां, तार की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। कोई पत्र नहीं भेजा गया। उक्त तार केवल पाली की फैक्ट्रियों के संदर्भ में नहीं, अपितु हाथ से रंगाई-छपाई करने वाली राज्य की सभी इकाइयों के संदर्भ में था।

(2) निर्णय की कोई सूचना राज्य सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(3) इन फैक्ट्रियों से लगभग 12000 व्यक्तियों को पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार प्राप्त है। फैक्ट्री एक्ट की पालना होती है।

(4) मुनाफे की सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

(5) जी हां। मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं था।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। पंचायत समिति के प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) कुल फैक्ट्रियों की लगभग पचास प्रतिशत फैक्ट्रियां कृषि भूमि पर बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें आई थीं। विधान सभा में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था।

(9) जी हां। शिकायतें आई थीं।

(10) प्रश्न अस्पष्ट है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रति मुझे दी गई है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री ने 25,000 आदमियों का प्रभावित होना लिखा है। आपने प्रश्न के उत्तर के भाग 3 में बताया है कि करीब 12,500 मजदूर प्रभावित होंगे। तो यह जो संख्या आपने बताई है वह सही है या जो संख्या माननीय मुख्य मन्त्री ने केन्द्र सरकार को बताई, वह सही है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : मैंने जो संख्या बताई वह पाली से सम्बन्धित है और जो संख्या माननीय मुख्य मन्त्री ने बताई वह राजस्थान से सम्बन्धित है।

श्री शंकरलाल : आपका मतलब है कि पाली में 12,500 और सारे राजस्थान में 25,000 मजदूर प्रभावित हैं ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में जो 12,500 की संख्या है, वह पाली से सम्बन्धित है।

श्री शंकरलाल : अकेले पाली में 12,500 और सारे राजस्थान में 25,000।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : जो मुख्य मन्त्री ने लिखा है वह सारे राजस्थान के लिये है, 25,000।

श्री शंकरलाल : यही मैं निवेदन कर रहा था कि सारे राजस्थान में 25,000 और अकेले पाली में 12,500, यह आंकड़े सही नहीं हैं। आप पुनः देख लें। मैंने सर्वे करवाया है।

दूसरा, आप कहते हैं कि फैक्ट्री एक्ट का पालन हो रहा है जब कि मजदूरों के प्रतिनिधि मण्डल, जो यहां आया था, का कहना है कि फैक्ट्री एक्ट की कोई पालना नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों और औरतों को एम्प्लाय किया जाता है और सारा मुनाफा फैक्ट्री वाले ले लेते हैं। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहां से जो तार दिया गया है, उसमें लिखा है, कि मजदूर लोग बेकार हो जायेंगे। मजदूरों के प्रतिनिधि मण्डल ने कहा है कि वे लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो मन्त्री महोदय इसकी पूरी जांच करके देखें कि फैक्ट्री एक्ट का पालन होता है या नहीं। मजदूरों का शोषण होता है, आप इस बात की इन्क्वायरी करें।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : पाली शहर में रंगाई छपाई की लगभग 300 इकाइयां

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

हैं यह सब लघु इकाइयां हैं। इनमें से 190 इकाइयां पंजीकृत हैं। 160 इकाइयां उद्योग क्षेत्र में स्थापित हैं, और करीब 25 इकाइयां फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आती हैं। मैंने जो प्रश्न का जवाब दिया है वह फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के बारे में था। मुख्य मन्त्री महोदय ने जो तार दिया था वह उद्योग के सम्बन्ध में था। अगर हाथ से छपाई का काम हट गया तो कई मजदूर बेकार हो सकते हैं। यह उस तार का आशय है।

श्री शंकरलाल : मेरा निवेदन है कि खुद यूनियन ने शिकायत की है कि फक्ट्री के मालिक फैक्ट्री एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने यूनियन से जानकारी नहीं ली है, आपने फैक्ट्री के मालिकों से जानकारी ली है। वह सही नहीं है। मुख्य मन्त्री महोदय ने मजदूरों के हित की बात कही थी। यह जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कुछ तो पाली शहर में हैं और कुछ एग्रीकल्चर लैंड पर हैं। यह तो आप ने भी माना है कि भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं। इसके अन्दर बहुत घोटाला है और सही तरीके से देखेंगे तो इन फैक्ट्रियों के मालिकों को बचाने के लिये लगभग 300 इकाइयां बरबाद कर दी गई हैं। इसके अलावा तेजाबी पानी से सारी जमीन नष्ट हो गई है। कई मुकदमे चल रहे हैं। लोगों के जानवर मर गये। बच्चों की आंखें खराब हो गई हैं। इन फैक्ट्रियों को बाहर ले जाना चाहिये। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : 300 छोटे छोटे घरेलू उद्योग बने हुए हैं, उनको सरकार की तरफ से आवश्यक प्रोत्साहन मिलना चाहिये। साथ-साथ जल प्रदूषण की जो शिकायत है, उसका भी निराकरण होना चाहिये। इसके लिये सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कोई योजना बनाकर कदम उठाने चाहिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय सदस्य ने जैसा कहा, भ्रष्टाचार की शिकायतें वहां से आती रही हैं, और स्वयं माननीय सदस्यों से भी शिकायतें आती रही हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं आई है। यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी तो अवश्य ही उसके बारे में कारगर कार्यवाही की जायेगी।

यह निश्चित बात है कि फैक्ट्रियां शहर में लगी हुई हैं। इसका कारण यह था कि वहां पर पानी नजदीक था। पहले एक दो फैक्ट्रियां लगीं, फिर बाद में और बहुत सी फैक्ट्रियां लग गयीं। राज्य सरकार इसके लिये एक कार्यक्रम चला रही है, इसके अन्तर्गत आज तक 158 भूखण्ड आर. आई. एम. डी. सी. के माध्यम से अभी तक ऐसी फैक्ट्री वालों को दिया जा चुका है। सन् 1975 में राज्य सरकार ने 375 एकड़ भूमि प्राप्त करके उसके 415 भूखण्ड बनाये हैं और उन्हें आवंटित किये जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में जो फैक्ट्रियां इधर उधर लगी हुई हैं उनको भी इसी क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक वाटर पोल्यूशन का प्रश्न है इसके बारे में सरकार काफी चिन्तित है। इसके लिये सरकार कदम उठा रही है और एफ्लूलैन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट वहां लगाने का कार्य प्रारम्भ कर रही है। उस प्लान्ट की कीमत करीब 15 लाख रुपये लगेगी। इसके लिये अभी तक

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

करीब 181 औद्योगिक इकाइयों ने पैसा देने की सहमति प्रदान कर दी है। उनसे करीब 4 लाख 90 हजार रुपये भी जमा हो गये हैं। उसके लग जाने से, मैं समझता हूं, काफी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। इसके अलावा जो और इधर-उधर इकाइयां लगी हुई हैं उन लोगों को कहा हुआ है कि आप अपना अलग एफ्लूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगायें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ और भी समस्यायें हैं। वहां पर जिन लोगों ने फैक्ट्रियां खड़ी कर रखी हैं उन्होंने सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा है वह एग्रीकल्चर लैण्ड है। यहां पर माननीय राजस्व मन्त्रीजी अभी बैठे हुए हैं उन्हें मालूम होगा कि वहां पर फैक्ट्री वालों ने स्टे आर्डर प्राप्त कर रखे हैं। वह सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आता है। राज्य सरकार के रेवेन्यू एक्ट की धारा 90 (ए) और 91 के तहत कार्यवाही होनी चाहिये और उसकी अपील सिर्फ कलेक्टर के पास या रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी के पास ही जानी चाहिये। गवर्नमेन्ट ने एग्जीक्यूटिव आर्डर्स जो दिये हैं वह गलत हैं।

इसके अलावा दूसरा प्रश्न है वाटर पोल्यूशन का। अध्यक्ष महोदय, पाली के इस प्रश्न को कई बार सदन में उठाया जा चुका है। वहां पर इन रंगाई और छपाई की फैक्ट्री के कारण पानी खराब हो रहा है। यहां पर सदन से सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार उन्हें पाबन्द कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि पहले वाटर पोल्यूशन को रोकने का इन्तजाम किया जाय। राज्य सरकार को पिछले समय कई बार कहा तो उसका यही जवाब रहा कि वहां हम कर रहे हैं पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसकी ओर गम्भीरता से विचार जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो वहां की हालत बहुत खराब हो जायेगी। वहां पर तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। पाली शहर की आने वाली सन्तानें बहुत बीमार होंगी ही, ज्यादा बीमारियां फैलने से यह असर पड़ेगा कि लोग पाली शहर को छोड़कर भाग जायेंगे। आज जो कुओं का पानी है वह भी खराब हो गया है। सारे पानी को इन लोगों ने गन्दा कर रखा है। इसके लिए राज्य सरकार तुरन्त पाली शहर में जो उद्योग लगे हुए हैं वहां से हटा कर शहर से दूर स्थापित करना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में कई समस्यायें हैं, कई प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसमें वाटर पोल्यूशन का प्रश्न है, कृषि भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है. इसमें फैक्ट्री के मालिकों को सुविधायें देने का प्रश्न है। साथ में इन फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो एक हाफ एन आवर डिबेट रख ली जाय जिससे सभी बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके और फिर सरकार की तरफ से उत्तर आ जाय।

एक माननीय सदस्य : किस बात की डिबेट ?

(24)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल में कोई हाफ एन आवर डिबेट हो ऐसा रूल्स आफ प्रोसिजर में प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आपातकाल में पत्रों पर लगाई गई पाबन्दियां

46. श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास): क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आपातकाल से पूर्व प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में से कितने समाचार पत्रों पर आपातकाल में पाबन्दियां लगाई गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार आपातकाल में बन्द किये गये समाचार पत्रों को उनके बन्द होने के कारण जो आर्थिक व नैतिक क्षति उठानी पड़ी उसकी क्षति पूर्ति के बारे में कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आपातकाल से पूर्व प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में से 113 समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापनों की स्वीकृत सूची से निरस्त किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) (अ) 131 पत्रों के सम्पादकों की अधिस्वीकरण की सुविधाएं वापिस ली गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(आ) विभिन्न जिला दण्डनायकों द्वारा 788 समाचार पत्रों के घोषणा-पत्र निरस्त किये गये और 15 पत्रों के घोषणा-पत्र निलम्बित किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(इ) इसके अतिरिक्त आपातकाल की घोषणा के साथ ही समस्त समाचार पत्रों पर सेन्सरशिप लागू कर दी गई थी। वह 16–7–76 तक रही।

(ई) आर्थिक क्षतिपूर्ति करना सम्भव नहीं है। लेकिन जो ज्यादतियां हुई हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है उसकी जानकारी अभी तक मुझे राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। जब राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो जायेगा तो मैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार भी इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन
दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री सम्पतराम।

श्री सम्पतराम (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, आज सारे राजस्थान के कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा हो रही है और इससे लोगों का जन-जीवन ग्रस्त व्यस्त हो गया है। यह हाउस लम्बा चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इधर तीन दिन चलेगा। माननीय सदस्य चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों सब सदस्यों में से काफी सदस्यों के इलाकों में भारी वर्षा होने के कारण कई लोग बेघरबार हो गये हैं, फसल की बुवाई नहीं हो पा रही है इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे और इसकी आज सदन में चर्चा रखी जाये। इस बार सदन में नॉन-आफिशियल डे भी नहीं रखा हुआ है और दूसरा और कोई मौका भी बोलने का नहीं है। ऐसी हालत में अगर आप कोई व्यवस्था कर दें तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है उसके बारे में पहले मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आ चुका है। उसका उत्तर मैंने राज्य सरकार से मांगा है उत्तर प्राप्त होने के बाद मैं उसको एडमिट करूंगा और फिर सदन में आपको उस प्रश्न पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। अभी तक राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न प्रस्तुत किया था लेकिन उसके बारे में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने समझा था कि मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका आज कृषि मन्त्री जवाब देंगे लेकिन आज की कार्य सूची में उसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो मैंने आपके समक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का है, महत्वपूर्ण है इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि कृषि मन्त्री कल इसके बारे में हाउस में स्टेटमेन्ट दे दें तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचा दूंगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे उत्तर दिया वह स्पष्ट नहीं है। आपने कहा कि जब राज्य सरकार से उत्तर आ जायेगा तब आपको विचार प्रकट करने का मौका दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आप हाउस में डिबेट रख दें तो ठीक रहेगा। इसके बाद में सरकार का स्टेटमेंट हो जाय।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का स्थगन प्रस्ताव आपके सम्मुख पेश किया था उसमें मैंने निवेदन किया था कि कोटपूतली तहसील के कई गांवों में भारी वर्षा के कारण वहां के लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहां पर लोगों के घर टूट गये हैं तथा बीमारियां फैल रही हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरी बार और स्थगन प्रस्ताव दिया तो आपकी तरफ से यह जवाब आया कि जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो तब माननीय सदस्य अपने विचार रख दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है उसके अधिकारों की बात तक हम यहां पर नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां बरसात के कारण ऐसी हालत हो गई है कि लोगों के घर धराशायी हो गये हैं लोग सो नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। सारा जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, ऐसी हालत में राज्य सरकार कोई सहूलियत देने को तैयार नहीं हो रही है। यह कहां का न्याय है। आप हमें उनकी समस्याओं को यहां रखने का कोई मौका तक देने को तैयार नहीं है। आखिर उन लोगों ने हमें यहां पर किस लिये भेजा है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे को यहां पर बोलने से रोका जा रहा है। हमें बोलने तक नहीं दिया जाय और सचिवालय से राज्य सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की सूचना तक नहीं दी जाय इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, शान्त रहें।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार से जानकारी तक क्यों नहीं प्राप्त की गयी ? आपको चाहिए था कि आप राज्य सरकार के माध्यम से कलेक्टर जयपुर और रिलीफ कमिश्नर से जानकारी प्राप्त करते। सारा कोटपूतली शहर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मकान धराशायी हो गये है।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मन्त्री।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकरण सिंह : मुझे कम से कम सूचना मिलनी चाहिए कि मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

विधेयक का पुरःस्थापन

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्रीजी।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम 64 के अन्तर्गत विधेयक के पुरःस्थापन पर आपत्ति

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है रूल 64 के अन्तर्गत अतः मुझे सुना जावे। इस प्रकार का काला कानून सदन में रखने की संविधान इजाजत नहीं देता····

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नोम का थाना) : कौनसा संविधान ? 42 वां अमेन्डमेन्ट क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 64 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है····

श्री अध्यक्ष : मैंने रूल 64 देखा है।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत बड़ी कृपा की।

मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत 1959 के अन्दर चुनाव कराये गये और वह चुनाव कानून के अन्तर्गत हुए····

श्री दाऊदयाल जोशी : कानून था या ढकोसला ? वह तो ढकोसला था। एक तरफ की कुश्ती थी।

श्री मूलचन्द डागा : वह चुनाव कराये गये। वह चुनाव घोषित होने के बाद

(व्यवधान)

आप महरबानी करके मुझे बोलने दीजिए।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूल का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसके लिए पहले आवश्यक है कि इस तरह के प्रश्न पर चेयर की तरफ से निर्णय हो। क्या आपने निर्णय दे दिया ?

श्री मूलचन्द डागा : दे दिया। मैंने पहले ही लिखकर दे दिया। आपके नियमों का पूरा पालन करता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री एच.एन. शर्मा (वेगूं) : लिखकर नहीं दिया है।

श्री मूलचन्द डागा : दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं सदन के समक्ष।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर लिखकर दिया है। आपको इन्टीमेट किया है। मैंने सचिव महोदय को ठीक 9.30 बजे आपकी सेवा में यह लिख कर दिया है कि राजस्थान के इतिहास में, विधान सभा के इतिहास में, हिन्दुस्तान और राज्य के इतिहास में ऐसा काला कानून, जो हमारे अधिकारों का हनन करता है, कभी नहीं आया।

(व्यवधान)

मैं बोलना चाहता हूं मुझे बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर खड़ा है। जब इस सदन में बहस हो उस समय आप उठा सकते हैं।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष जी..

श्री अध्यक्ष : Rule 64 Says—"Motion for leave to introduce Bill.—If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question".

जब बहस हो उस समय आप डिबेट में भाग ले सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं विश्वास करता हूं न्याय की अपेक्षा करते हुए, आपने जो निर्णय दिया है इस आसन पर बैठकर उस निर्णय का सारा सदन स्वागत करेगा। मैं भी उसी आशा और विश्वास को लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे रूल 64 में अधिकार है। आप प्रभारी मंत्री नहीं हैं इसलिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री का सम्मान करना सीखें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करें कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है ?

श्री केदारनाथ : किस रूल को इनवोक कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : रूल 64।

श्री केदारनाथ : जिस रूल को इनवोक कर रहे हैं उसकी काम्पीटेन्स में नहीं आता यह आपका पाइन्ट आफ आर्डर।

Page No. 29

(29)

श्री मूलचन्द डागा : आप सुनें तो सही।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि जब डिबेट हो तो आप बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह काला कानून नहीं लाया जा सकता। आपके होते हुए संविधान को खत्म करने वाला कानून · · ·

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सदन छोड़ने के लिए माननीय सदस्य को बाध्य किया जाये यदि आपका आदेश नहीं मानते हैं तो।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी कृपा होगी। एक मिनट।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह बार-बार आसन की अवहेलना कर रहे हैं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। इनका नाम पुकारा जाये और सदन से बाहर निकाला जाये।

श्री मूलचन्द डागा : आपमें विश्वास करते हुए · · ·

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फिर बोल रहे हैं। आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें। आपको जो कहना है वह बहस में बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह मेरा अधिकार रूल 64 में दिया हुआ है। ऐसा काला कानून नहीं ला सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायें। मेरी व्यवस्था फाइनल है।

एक माननीय सदस्य : आप फिर वापिस आ गये।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : माननीय अध्यक्ष जी · · · ·

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष जी, आज तक इस हाउस की परम्परा रही है कि बिल के इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर · · ·

श्री मूलचन्द डागा : मुझे बोलने नहीं दिया गया और आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर मुझे भी बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : काला कानून है और जनता सरकार की तानाशाही है···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं होगी।

माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री केदारनाथ : मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इस हाउस की परम्परा यह रही है कि कोई बिल यहां रखा जा रहा है तो उसके इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर कोई अपोजीशन नहीं होना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : हो सकता है। आप फिर बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने

Page No. 30

(30)

(श्री मूलचन्द डागा)
निर्णय दे दिया है, आप नहीं बोल सकते हैं। यदि आप बोलते हैं तो मुझे भी बोलने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आदेशों का पालन किया जाए।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : लोकतन्त्र की हत्या है, काला कानून है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : यह तानाशाही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : यह तानाशाही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार) : On a point of order, Sir.

एक व्यक्ति सदन में अजनबी हैं। कृपया उनको बाहर निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलमोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, एक अजनबी सदन में बैठे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : वह कौन है।

श्री गुलमोहम्मद : वह है श्री मथुरादास माथुर, इन्होंने राज्यपाल महोदय की नियुक्ति को अवैध बताया है। इनको बाहर निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया शांति रखें।

माननीय शिक्षा मंत्री जी।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय पंचायत राज्य मंत्री जी।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री, पंचायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

व्यय अन्तर्ग्रस्त विधेयक के पुरःस्थापन के लिए वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, फाईनेन्शियल मेमोरेंडम है कि नहीं। दो सौ पंचायत समितियों और जिला परिषद् में खर्च का, टी.ए., डी.ए. का सवाल है। फाईनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं है तो इसको लौटाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 61 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"A Bill involving expenditure ......

एक माननीय सदस्य : हिन्दी।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : माननीय सदस्य ने जो एतराज किया है, वह ऐतराज नाकाबिल है।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत तरीका है, मुझे बोल लेने दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : +++बात बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : "जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय

+++शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मूलचन्द डागा)

ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जावेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।"

235 पंचायतों में····

एक माननीय सदस्य : पंचायतें नहीं पंचायत समितियां।

श्री मूलचन्द डागा : 235 पंचायत समितियों और जिला परिषदों में यह लागू होगा। इसमें प्रावधान है :

".....the State Government shall appoint an officer of the State Government to be an Administrator of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad, as the case may be."

अब, श्रीमान्, अगर मेमोरेन्डम आ गया है कि नहीं। आप न्याय देने वाले हैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं। मेमोरेन्डम नहीं आया है तो कैलाश मेघवाल से कहिये, मेमोरेन्डम लावें।

श्री अध्यक्ष : आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते फाइनेन्शियल स्टेटमेंट के संबंध में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह व्यवस्था हो चुकी है। पहले भी बिल लौटाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को पुरः स्थापित करने की·····

श्री मूलचन्द डागा : खर्चा कहां से आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

व्यय अन्तर्ग्रस्त विधेयक के पुरःस्थापन के लिए वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बिल पुरः स्थापित हो चुका है। आपने व्यवस्था दी है कि पुरः स्थापन के समय कोई वाद-विवाद न हो। आपको निवेदन करना चाहता हूं भविष्य के लिये। इस सदन में इस आसन द्वारा कई बार व्यवस्था हो चुकी है कि जिस बिल में फाईनेन्स इन्वाल्व हो, बल्कि यहां तक व्यवस्था है कि फाईनेन्स इन्वाल्व न भी हो तो स्टेटमेंट में निल लिख देते हैं। जिसमें खर्चा होना लाजमी है तो मेमोरेन्डम रखा जाता है। कई दफा बिल को वापस भेज दिया गया है क्योंकि मेमोरेन्डम लगा कर पेश नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल तो इन्ट्रोड्यूस

(श्री मथुरादास माथुर)

हो गया। आगे के लिय मैं, नेता महोदय यहां नहीं हैं, ट्रेजरी बैन्चेज के माध्यम से अर्ज करूंगा, फाइनेन्शियल स्टेटमेंट को बिल के साथ हमेशा लगाइये। लाइकलीहुड जो खर्च करने की है वह एक पैसा भी हो लिख देते हैं। नहीं होता है तो उसको बता देना चाहिये।

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह व्यवस्था का प्रश्न है या रूल्स रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन मेरे खयाल से ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वोल्व नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

अशासकीय सदस्य कार्य और बाढ विषय पर चर्चा हेतु समय निर्धारण

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान रूल्स, जो इस सदन के बने हुये हैं, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि हर दूसरे शुक्रवार को नान–आफिशियल डे रखा जाता है। इसकी तरफ पहले ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार करेंगे। अभी जो हमारे पास प्रोग्राम आया है उसमें नान-आफिशियल डे का कार्यक्रम नहीं है।

दूसरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय, यह करना चाहता हूं, राजस्थान में चारों ओर बराबर बरसात हो रही है। सारा जन जीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है। जो एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया है, उस पर भी अभी कुछ नहीं हुआ है। ऐसे समय में जब कि यह सदन 28 तारीख को स्थगित होने वाला है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यपाल के अभिभाषण मे भी खरीफ-फसल के बहुत अच्छे आसार बताये गये हैं लेकिन इसके विरुद्ध प्रकृति ने दूसरा काम किया है। बरसात के कारण खरीफ की फसल का सारा मामला खराब हो चुका है। यह फसल भयंकर रूप से खराब हो चुकी है। अभी तक बुआई नहीं हुई है। इसके अलाव 'कातरा' कीटाणु पैदा हो गया है जिसकी वजह से जो फसल खरीफ की है वह नष्ट हो गई है। इसलिये इस विषय पर सदन को विचार करने की अनुमति दी जाय जिससे हम भी अपने विचार सदन में रख सकें। राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है, किस जिले मे क्या क्या हुआ है, हमारे सामने कोई आंकड़े नहीं आये हैं। आप देख रहे हैं कि रोज ही बरसात हो रही है। हम लोगों के पास तार आ रहे हैं, बहुत से लोग बेघरबार हो गये हैं। रिलीफ डिपार्टमेंट ने अब तक क्या किया है, इस सदन को बताने की कृपा करें। इस सरकार ने उन्हें अब तक कोई सहायता नहीं दी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए कुछ न कुछ समय दें। साथ ही राज्य सरकार इस विषय में एक स्टेटमेंट दे, विधान सभा के स्थगित होने से पहले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चार बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आप अपने विचार बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुमूल्य समय इसलिये लेना चाहता हूं कि आपने सदन में तीन बार आश्वासन दिया है...

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री मूलचन्द डागा : यह रिकार्ड पर है। यह सरकार के सामने है, श्रीमन्। मैं तो रिकार्ड के बिना कोई बात कहता ही नहीं हूं। कृपा करके अपने सचिवालय से पूछें। 2500 मजदूर बेकार बैठे हुये हैं। उनके बाबत में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है। आपने कहा, कोई आश्वासन ही नहीं दिया...

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : जब चेयर की तरफ से सूचना दे दी गई कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बात न करें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, दिया है। आप जानते नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, बड़े सक्षम हैं। आप क्यों बीच में बोलते हैं।

2500 मजदूरों का सवाल है।

श्री निर्मलकुमार (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की जो प्रतियां हमें दी गई हैं वह हिन्दी और अंग्रेजी में दी गई हैं। अंग्रेजी में हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आज के बाद हमे अंग्रेजी में विधेयक की प्रतियां न दी जायं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लूण-करणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, उस पर चर्चा का आज सदन में चतुर्थ दिवस है। षष्टम राजस्थान विधान सभा के चुनाव में जनता पार्टी में जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया है। जिस जनता ने यह विश्वास प्रकट किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका फैसला शिरोधार्य है।

लोकतन्त्र के लिये यह प्रसन्नता का विषय है कि दो पार्टी सिस्टम इस देश में हुआ है और जनता पार्टी विकल्प के रूप में सत्ता मे आई है। जनता पार्टी चार घटकों से मिल कर बनी है जैसा कि कई माननीय सदस्य कह रहे थे, उसके अलग अलग घटक हैं जिनके सिद्धान्त, कार्यक्रम, रीति-नीति और जिनकी विचारधारा अलग अलग थी, अब वे एक विचारधारा को मानते हैं। राजस्थान और देश की तरक्की व समृद्धि के कार्यक्रम को लेकर वे चलेंगे। जो ध्रुवी-करण, कार्यक्रम और सिद्धान्त आज जनता के सामने आया है उसके साथ-ही-साथ सदन के भीतर और सदन के बाहर कई प्रकार की शकायें व्यक्त की जाती रही हैं, हमें उनसे सरोकार नहीं है। हमारी पार्टी की शुभ कामना जनता पार्टी के साथ है।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : बहुत धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : जनता पार्टी के प्रस्तावक महोदय ने यहां पर आशा व्यक्त की है, अध्यक्ष महोदय, और आपने भी अपने विचार व्यक्त किये 19 तारीख को कि इस सदन में एक विचित्र माहौल है। अध्यक्ष महोदय, इस ओर बैठने वाले उस ओर हैं और जो विपक्ष में बैठने वाले थे वे हां पक्ष में बैठे हैं। यह इस देश के लोकतन्त्र का दुर्भाग्य रहा कि अब तक कोई भी राजनैतिक दल विकल्प के रूप में अपनी क्षमता से देश की जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर सका। यह भी कहा कि कांग्रेस दल को 10—20 साल तक ना पक्ष की तरफ बैठ कर इस सदन को सुशोभित करना चाहिए। मेरा निवेदन है, जो जनता की सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले पांच बार इस देश की जनता ने कांग्रेस के हक में अपना वरडिक्ट दिया है। अगर वे ऐसा मान कर चलते हैं तो फिर मेरा कहना है कि ये काल्पनिक दुनियां में विचर रहे हैं।

1972 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठी थी तो जनता ने उसको उतना ही विश्वास दिया था जितना आज जनता पार्टी को दिया है। जैसा बहुत से माननीय सदस्यों का मानना है, जनता पार्टी एक जन मानस बना कर, संगठित होकर और एक कार्यक्रम लेकर राजस्थान का विकास कर सकेगी, इसके बारे में राजस्थान के मानस में अनेक प्रकार की शंकायें हैं। यहां पर यह कहा गया और साफ तौर से जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, जो धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं, ने कहा है कि चौधरी चरणसिंह जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। इस पर एक घटक का आधिपत्य है मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चौधरी चरणसिंह को हम बदनाम नहीं करना चाहते लेकिन जनता पार्टी के चोटी के नेता बाबू जगजीवनराम का चार पांच दिन पहले वक्तव्य आया है वह इस बात का सबूत देता है कि जनता पार्टी के अन्दर किस गुट का आधिपत्य है। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का वक्तव्य सभी पत्रों में प्रकाशित हुआ है वह भी इसी बात का द्योतक है। जनता पार्टी के नेता ने चुनावों के बाद जो वक्तव्य दिया, माननीय सदस्य रामधन का जो वक्तव्य आया था उसमें भी इस बात की ओर संकेत है। जनता पार्टी को चव्हाण साहब बदनाम नहीं कर रहे हैं और मुझे उस विवेचन में अधिक पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, जैसा कि लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जनता पार्टी का मौलिक चिंतन है, कार्यक्रम है और जनता पार्टी की फिलोसोफी है। समाजवादी घटक और जनसंघ दोनों इन सब सिद्धान्तों को, इन सब विचार-धाराओं को स्वीकार कर चुके हैं और जनसंघ गांधीवादी दर्शन का उपासक बन चुका है तो हमें तो उससे प्रसन्नता ही है।

जनता पार्टी में उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए राजस्थान के विकास और राजस्थान के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कोई संकेत नहीं किया जा रहा है बल्कि इमर्जेन्सी के सम्बन्ध में ज्यादा बातें कही गई हैं। इमर्जेन्सी देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी इमर्जेन्सी के लागू होने में मेरे दल की ऐसी

(श्री परसराम मदेरणा)

मान्यता है, विरोधी पक्ष की ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों का और इन पार्टियों का भी बहुत बडा योगदान था····

श्री दाऊदयाल जोशी . इतनी बड़ी गप्प ।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य वक्ताओं के भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है, जैसा कि परसों अखबारों में भी पढ़ा है कि 15 अगस्त को आपकी पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम दिया जा रहा है, उसमें सोशल, इकानामिक और पोलिटिकल चार्टर को जनता में बांटने की बात कही गई है । इस सदन में आपातकालीन स्थिति और उसमें हुई ज्यादतियों और ज्यादतियों के साथ में जनता के साथ कुछ हुए हरेसमेंट को आज हव्वा बना कर बराबर उस बात को जिन्दा रखने की कोशिश की जा रही है। पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज भी नारे लगाए जा रहे हैं, कि 'इन्दरा गांधी आयेगी और इमर्जेंसी लायेगी।" यह उसी प्रकार की बात है, उसी प्रकार का एक आरोप है जैसा कि भारतीय लोक सभा में चौधरी चरणसिंह ने आरोप लगाया था कि जो विभिन्न पार्टियों के नेता जेलों में थे उनको गोली से उड़ाने की योजना बना दी गई थी····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : साप्ताहिक हिन्दुस्तान को पढ़ लो ।

श्री मूलचन्द डागा : आप नियम पढ़ कर आओ ·

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप इमर्जेंसी के नाम को ज्यादा मत घसीटिये । जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश में फिर इमर्जेंसी नहीं लाने का आश्वासन दे चुकी है और वायदा भी जनता को कर चुकी है।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : इसका कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप डिस्टर्ब मत करिये, सुनते जाइये । इमर्जेंसी में कुछ ज्यादतियां हुई और कुछ लोगों की नाराजगी और अप्रसन्नता रही····

श्री नवनीत पालीवाल : कुछ नहीं, बहुत रही ।

श्री परसराम मदेरणा : उसका भरपूर लाभ आपको मिला है····

श्री नवनीत पालीवाल : पापों का फल आपको मिला है ।

श्री परसराम मदेरणा : ठोस कथन और रचनात्मक बातें पिछले तीन दिनों में यहां पर नहीं कही गई हैं । इस प्रस्ताव के समर्थक माननीय सदस्य, जो नीम-का-थाना से आ रहे हैं, ने इमर्जेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि अब हम सत्ता में बैठे हैं और आपके साथ अगर राजनैतिक प्रतिशोध की भावना लेकर चलें तो आपकी क्या स्थिति होगी ? प्रजातंत्र की सच्ची प्रक्रिया में हमेशा सत्ता अलग अलग दलों को प्राप्त होती है जो

(श्री परसराम मदेरणा)
जनता का विश्वास अर्जित कर लेते हैं इसलिए आप अहंकार में इस प्रकार की धमकी मत दीजिएगा। हम इस ओर बैठने वाले आप से किसी प्रकार की मर्सी की अपेक्षा नहीं करते हैं। आप हमारे साथ वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसा कि एक विक्टोरियस विक्टिम के साथ करता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। मेरा निवेदन यह था कि आपको, हमको, सबको मिल कर यह परिस्थिति लानी है कि यह भावना भी दिल में न आए।

श्री परसराम मदेरणा : इस बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपकी भावना यह थी तो आपकी भावना का मैं आदर करता हूं। लेकिन आप यह याद रखिए कि जनता ने वर्डिक्ट कई दफा इस प्रकार के दिए हैं। जनता के वर्डिक्ट को टेक इट ग्रांटेड लेकर चलने की बात आप रखेंगे तो मेरे दल की ऐसी मान्यता है कि आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे उसको कमजोर करेंगे।

अभिभाषण के अंतिम अनुच्छेद में जनता पार्टी सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय ने आह्वान किया है कि हम यह भी प्रयास करेंगे कि शासक दल और विरोधी पक्ष में लगातार विचार विमर्श को एक नई परम्परा स्थापित की जावे। विरोधी पक्ष से विचार विमर्श की, परामर्श की आप कोशिश करेंगे तो उसमें हमेशा मेरी पार्टी का रचनात्मक सहयोग रहेगा और वह सहयोग जनता पार्टी की सरकार को सदन के भीतर और बाहर मिलता रहेगा। जनता में जागी आकांक्षाओं को पूरी करने के उपाय और जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक आशाओं की पूर्ति करने के लिए जनता आप हम सब की ओर आशाएं लगा कर देख रही है। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार और विरोधी पक्ष जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगी। एक तरफ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए सहयोग देने की अपेक्षा विरोधी पक्ष से कर रहे हैं और दूसरी ओर लाड़पुरा से आने वाले माननीय सदस्य का ऐसा सोचना था कि कांग्रेस पार्टी का न तो कोई मौलिक चिन्तन रहा है और न इसकी कोई विचारधारा रही है और इसका कोई कार्यक्रम तक भी नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कोई मौलिक चिंतन नहीं था.....

(व्यवधान)

उनका यह भी कहना था कि इस देश के अन्दर किसी का मौलिक चिंतन रहा है तो वह महात्मा गांधी का, दूसरे नम्बर पर डाक्टर राम मनोहर लोहिया का और तीसरे नम्बर पर जयप्रकाश नारायण का रहा है। यह बात उन्होंने कही। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मौलिक चिंतन किसी का रहा है तो वह महात्मा गांधी का रहा है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया का भी कोई मौलिक चिंतन नहीं रहा। उन्होंने कम्युनिज्मी समाजवाद और गांधीवाद को मिलाने की कुचेष्टा की थी उसके अलावा कुछ नहीं था। जहां तक जयप्रकाश नारायण के मौलिक चिंतन का प्रश्न है, अगर सर्वोदयी विचारधारा और सर्वोदयी आन्दोलन के सम्बन्ध में किसी का मौलिक चिंतन रहा है तो वह दादा धर्मा

(श्री परसराम मदेरणा)

धिकारी का रहा है। उनसे भी ज्यादा अगर सर्वोदयी आन्दोलन का, सर्वोदयी विचारधारा का मौलिक चिंतन किसी का रहा है तो वह गांधीजी का रहा है। इसलिये उनकी इस बात को मैं नहीं मानता। हमारी पार्टी की फिलोसोफी और उसके सम्बन्ध में जो बातें कही गईं, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन कार्यक्रमों की ओर संकेत किया है, जो आपने जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में बातें कही हैं, उसमें काफी बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास ही नहीं है, बल्कि डाउन कर दिया है। आपने अपने घोषणा-पत्र में बार बार रोजगार देने की बात कही है, आपने कुटीर उद्योगों की स्थापना कर के रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए और दस साल के भीतर बेरोजगारी को समाप्त करने की बात कही है लेकिन आपने अपने अभिभाषण में केवल यह कहा है, हम यह प्रयास करेंगे। इस ओर हमारी कोशिश होगी। इस क्षेत्र के अन्दर हम कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। हम एक समिति का गठन करने का विचार कर रहे हैं। इस प्रकार आपने उसमें परिवर्तन कर प्रभावशाली कदम उठाने की बात कही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की रीति-नीति, कार्यक्रम की एक झलक होती है। यह अभिभाषण इसका एक संकेत देता है। इस अभिभाषण में आपने जिन मुद्दों पर, 37 मुद्दों पर विचार व्यक्त किए हैं, उनमें से एक के भी समाधान की बात नहीं है। एक दो बातें आपने अवश्य कही हैं। एक तो यह कही है हिन्दी में कामकाज चलाएंगे। दूसरी ढाई हैक्टेयर से नीचे की भूमि के जो मालिक हैं, उनके लैण्ड रैवेन्यू को माफ करने बात आपने कही है। ये दो बातें स्पष्ट हैं। बाकी सब गोलमाल और लीपा पोती की बातें कही गयी हैं। आपने जो जनता से वायदे किए थे, उनसे या तो आप मुकर रहे हैं या फिर दृढ़ संकल्प के अभाव में आप इधर उधर कुछ भटकने लग गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की विचारधारा के सम्बन्ध में भी यहां पर कहा गया। यह कहा गया कि उसकी कोई विचारधारा, नीति नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, कांग्रेस की एक निश्चित विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा का पहला स्तम्भ है लोकतन्त्र। कांग्रेस की विचारधारा का दूसरा स्तम्भ है धर्म निरपेक्षता। कांग्रेस की तीसरी विचारधारा का स्तम्भ है राष्ट्रीयता, एकता। कांग्रेस की विचारधारा का चौथा स्तम्भ है समाजवाद और कांग्रेस की विचारधारा का पांचवां मुख्य स्तम्भ है गुट निरपेक्षता। जहां तक समाजवाद और गुट निरपेक्षता की बात है, ये आपके भी लक्ष्य हैं। आपने भी समाजवाद लाने के लिए स्पष्ट उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष, सदन के अन्दर बीच में बोलने की क्या परम्परा है। यह कमेन्टरी चल रही है। अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी चाहें तो वे पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप पहले डागा जी को सिखा दें।

श्री परसराम मदेरणा : आप शान्ति रखिए।

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारी मान्यताओं के अनुकूल आप हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, जो कार्यक्रम जनता के सम्मुख रखेंगे, उस कार्यक्रम की क्रियान्विति में निश्चित तौर से हम सहयोग देंगे लेकिन अगर हमारी मौलिक विचारधारा के विपरीत आपका कार्यक्रम है तो आपको हमसे यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हम किसी प्रकार का सहयोग सदन के भीतर और सदन के बाहर दे सकेंगे।

जनता पार्टी के घोषणा–पत्र में जिन बातों का उल्लेख है, उनकी ओर राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई न कोई आयोग का गठन आप करते चले जा रहे हैं। मैं मानता हूं, यह आपके सोचने की बात है लेकिन घोषणा–पत्र में आयोग की बात है उसको प्राथमिक स्थान मत दीजिये। घोषणा–पत्र आपका एक चार्टर है।

देश को और विशेष कर राजस्थान को हमें आगे ले जाना है। भारत जैसे विशाल देश की जटिल समस्याएं हैं। राजस्थान की भी कई जटिल समस्याएं हैं। यहां पर यह कहा गया कि पिछले 30 साल के अन्दर कांग्रेस ने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आजादी के बाद 30 वर्ष में हम जन कल्याण के कुछ कार्य पहली बार हाथ में ले रहे हैं। यह अतिशयोक्ति है। मैं समझता हूं कि आप कांग्रेस की सभी उपलब्धियों को और कांग्रेस ने जो कुछ भी जन कल्याण के काम किये, उनको भुलाना चाहते हैं लेकिन राजस्थान की जनता इस बात को अस्वीकार ही करेगी। कांग्रेस ने राजस्थान की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, यह आप कहते हैं, समस्याएं हैं। समस्याएं जरूर हैं। जिस राजस्थान को आप देख रहे हैं, वह हमें ग्रस्त व्यस्त मिला। इस सदन के कई माननीय सदस्य भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कई रियासतों के एकीकरण से यह राज्य बना है। उसके गठन के बाद कितनी समस्याएं पैदा हुई। किसानों के कोई अधिकार नहीं थे। किसानों को लाग-बाग से छुटकारा दिलाया गया। बिचौलियों का उन्मूलन किया गया। इसके बाद किसानों को उनके खेतों का मालिकाना अधिकार दिया गया। इसके अलावा हमने जन समस्याओं कि ओर भी ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी सेवाएं रही हैं, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र की रही हों, चिकित्सा के क्षेत्र में हों, पेय जल उपलब्ध कराने की हों, चाहे औद्योगिकरण का प्रश्न रहा हो, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने उसके सम्बन्ध में पूरे प्रयास किए है। आज आप सत्ता में आए हैं। राज्य को मजबूत वित्तीय स्थिति में आप को दिया है। 20 करोड़ के घाटे की जो बात है और जो भारत के वित्त मंत्री ने यह स्टेटमेन्ट दिया है कि पिछली राज्य सरकार ने रुथलेसली खर्च किया है इसलिए यह महंगाई बढ़ी है इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, जब आप यहां पर बजट प्रस्तुत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान सरकार ने जो एक दो टैक्स पिछले दिना माफ किए थे, वे सिर्फ 70/80 लाख के थे। परन्तु उससे ज्यादा आपने इन दिनों में छूट दी है। छोटी जोतों की जो रेवेन्यू आपने माफ की है उसके आंकड़े आप देखेंगे तो वे एक-दो करोड़ के आसपास होंगे।

(श्री परसराम मदेरणा)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में डेयरी डवलपमेन्ट का उल्लेख किया गया है। इस बात को स्वीकार किया गया है कि श्वेत क्रान्ति के द्वार पर हम पहुंच गये हैं। डेयरी डवलपमेन्ट आखिरकार किसने शुरू किया ? कांग्रेस सरकार ने इसकी स्थापना की है और उसे आगे बढ़ाया है। अब आप इसे आगमेन्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो उपलब्धियां रही हैं, उसके यथार्थ को स्वीकार नहीं करना मैं समझता हूं कि बड़ी भूल होगी। राज्य स्तर पर इन्टीग्रेटेड स्कीम चल रही है। हमारी आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति कुल मिला कर एक सम्मिलित और इन्टीग्रेटेड नीति रही है। कांग्रेस ने जनता सरकार को एक मजबूत और आधुनिक भारत दिया है....

एक माननीय सदस्य : आप ने नहीं दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : जनता ने दिया है।

आप वेरायटीज में हमारे यहां पर अनुसन्धान हुए हैं उनके सम्बन्ध में मेक्सिको के रहने वाले डाक्टर की स्वयं यह मान्यता है कि गेहूं के उत्पादन में भारत संसार भर के देशों से आगे है। जब कांग्रेस ने सत्ता सौंपी है तब तो दो करोड़ टन अनाज भारत सरकार के पास गोदामों में था....

श्री नवनीत पालीवाल : सौंपी नहीं छीन ली गई है।

श्री परसराम मदेरणा : जनता ने आप को सत्ता सौंपी है।

श्री नवनीत पालीवाल : कांग्रेस ने नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : जनता ने सौंपी है।

इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अनाज के बारे में जो कहा गया है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के भण्डार में एक क्विंटल अनाज नहीं है। जो कुछ भी है, वह सेन्ट्रल गोदाम में जमा होता था। राज्य सरकार के पास नहीं है, सेन्टर के पास है।

पिछले 30 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर देश को मजबूत बनाने की बात कही गई है। यह कहा गया है यहां पर हैवी इण्डस्ट्रीज लगाई गई इसलिए देश का बहुत बड़ा कैपिटल इसमें व्यय कर दिया गया। अगर छोटे उद्योगों में यह लगाया जाता तो शायद करोड़ों लोगों की माली हालत सुधर जाती। आज के आधुनिक संसार में विज्ञान और टैक्नालोजी का जो विस्तार हो रहा है उसमें स्टील और लोहे के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप निश्चित रूप से देखते हैं आज जितनी चीजों का उत्पादन हो रहा है, बेसिक इण्डस्ट्री के द्वारा इस्पात और लोहे बेस्ड चीजों का उत्पादन हो रहा है। उस उत्पादन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे 4 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। स्माल आर्म्स एण्ड एम्युनीशन का एक्सपोर्ट होता है। हैवी मशीन का उत्पादन होता है। टैक्निकल और मैनपावर की दृष्टि से देश आज संसार में तीसरे स्थान पर है। सिंचित भूमि में करीब 200% बढ़ोतरी है। बिजली का उत्पादन इस देश में बढ़ा है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं निवेदन करना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहूंगा कि जो समस्याएं बढ़ी हैं, उनका समाधान करने का प्रयास किया है।

सबसे पहले राज्यपाल महोदय द्वारा पेयजल के बारे में घोषणा की गई है। स्पेशली राज्य सरकार से पहले यह प्रश्न पूछा गया था जिसका गवर्नमेंट ने उत्तर दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धि के लिए दो सौ करोड़ के आस पास, और नगरीय क्षेत्र में सौ और डेढ़ सौ करोड़ के आस पास, खर्च होने की सम्भावना है। 2831 गांवों में पेयजल की व्यवस्था कर दी। 226 गांवों की योजनाएं विचाराधीन हैं। शहरी क्षेत्र के अन्दर 181 नगर हैं छोटे-बड़े, उनमें से 179 में तो पेयजल उपलब्ध है। उनमें जल उपलब्धि योजना पूर्ण हो चुकी है। दो निर्माणाधीन हैं। शहरी आबादी में 99.10% की यह समस्या है। तो यह कहना गलत होगा कि समस्याओं का समाधान करने का हमने प्रयास नहीं किया। सिंचाई के सम्बन्ध में निवेदन है कि सिंचाई के स्रोतों का निर्माण करके करीब 6 गुनी वृद्धि की है। जब राजस्थान बना था तो राजस्थान में बिजली का उत्पादन 13.6 मेगावाट था और अब 800 मेगावाट के आसपास है। इस्पात आदि की और बड़ी-बड़ी योजनाएं इस देश के अन्दर बनीं इस अर्से में। इसी का परिणाम है कि देश के अन्दर बिजली के साधन और सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए। आज राज्य सरकार द्वारा हरित क्रांति की घोषणा की गई है। मैं मल्टी डेम प्रोजेक्ट का जिक्र करना नहीं चाहता हूं जो बड़े बड़े राज्यों में निर्माण किये गये हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं रही है। जनता ने अगर जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला दिया है, तो इस वक्त 3 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा का कोष भी उनको उपलब्ध हुआ है। पिछले 30 वर्षों में भारत की सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति पिछले वर्षों में रही है। ऐसी मजबूत आर्थिक स्थिति पिछले 30 वर्षों में कभी नहीं रही है। 45 करोड़ के गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में और अणु-विज्ञान के क्षेत्र में हम संसार में सातवें स्थान पर हैं। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। अभी राज्य सभा के अन्दर तीन दिन पहले ही भारत सरकार के उद्योग मन्त्री ने यह बयान दिया है कि 1956 की पालिसी में हम कोई संशोधन नहीं करना चाहते हैं। कोई रद्दोबदल नहीं करना चाहते हैं। एक बड़ी बात यह कही गई है। लाड़पुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, नई फिलासफी की बात, उसका कहीं कोई संकेत नहीं मिलता है, न भारत सरकार में न राज्य सरकार में।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन मुख्य मुद्दों का उल्लेख नहीं किया गया है, उस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। घोषणा-पत्र में यह बात कही गई है कि सीलिंग कानून का कठोरता से पालन करेंगे और आने वाली रुकावटों का समाधान करेंगे। जो भूमि पर कब्जा नहीं ले सके हैं, वह कब्जा ले सकेंगे। सीलिंग कानून राजस्थान में कठोरता से लागू किया जायेगा लेकिन भूमि सुधार के लिए टालमटोल के तरीके से कहा गया है। राज्यपाल महोदय के वाक्यों में सीलिंग कानून के बारे में नहीं है। राजाओं

(श्री परसराम मदेरणा)

की भूमि का कब्जा और वितरण के बारे में मैं सोच रहा था राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख होगा, लेकिन उसका कतई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भूमि 60–70 हजार एकड़ के करीब होगी। यह भमि उपजाऊ है।

जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में भरपूर रोजगार की बात कही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुटीर उद्योग की स्थापना के बारे में कहा गया है। इससे कुछ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। राजस्थान में कितने लोग और देश में कितने लोग बेरोजगार हैं इसके आंकड़े सरकार के पास हैं? आंकड़ों को देखते हुए जो भरपूर रोजगार देने की बात और आश्वासन राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता के सामने जनता पार्टी ने किये हैं उससे ऐसा लगता है कि अब आप उससे मुकर रहे हैं। उसका कतई उल्लेख आपने यहां पर नहीं किया है। अनुज्ञा-पत्र के सरलीकरण की बात जरूर कही गई है।

टैक्स के बारे में आपकी क्या नीति हो सकती है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय सदन के सामने लाया जाय। आपके घोषणा-पत्र में सेल्स टैक्स की समाप्ति का उल्लेख है। व्यापारी वर्ग बहुत इन्तजारी में बैठा है इस आश्वासन को पूर्ण होता हुआ देखने के लिए।

आपने यह भी घोषणा की है कि साधारण व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध की जायेगी लेकिन इसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है।

आपने अपने घोषणा-पत्र में, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में राजस्थान की विधान सभा के चुनाव के वक्त में कनिष्ठ लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही है लेकिन उसका इसमें कतई उल्लेख नहीं है। शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए आपने घोषणा-पत्र में बहुत लिखा है लेकिन इसमें आप आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। इस पद्धति को आप रोजगारोन्मुख और व्यवसायोन्मुख बनाना चाहते हैं, इस प्रकार की बात कही है लेकिन उसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

आपने मरुस्थल के विकास और क्षेत्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में बातें कही हैं लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनका कोई उल्लेख नहीं है।

आपने अपने अभिभाषण में इस बात का भी उल्लेख किया है कि स्वतन्त्र व स्वायत्त नागरिक आयोग का गठन करेंगे जिससे कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जाति के लोगों, दलित वर्ग के तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा की जा सके लेकिन अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मुझे यह पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ है कि आपने अपनी वन–नीति के सम्बन्ध में यह बात कही है कि हम छोटी वन-उपज का राष्ट्रीयकरण करके वनवासियों को शोषण से मुक्त करायेंगे। मुझे आश्चर्य है कि माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है और जो किया गया है

(श्री परसराम मदेरणा)

वह मेजर फोरेस्ट प्रोड्यूस का राष्ट्रीयकरण किया गया है जैसे टिम्बर का, बांस का, कत्था का लेकिन छोटी चीजों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। फिर आपने किस राष्ट्रीयकरण की मांग की है ? मुझे यह दिखता है कि जनता पार्टी वनवासियों को एक वोट केचिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करना चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है।

आपने अपने घोषणा-पत्र में यह उल्लेख किया है और राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया है कि वह जनता के साथ सभी स्तरों एवं मामलों पर सतत संवाद का सूत्रपात करेगी। जनता पार्टी समाज की संरचना नीचे से ऊपर की ओर करेगी। नीचे से ऊपर आप समाज की संरचना करना चाहते हैं, यह आपको मुबारक हो ! लेकिन आर्थिक तौर पर जो गरीब तबका है, आदिवासी और हरिजनवर्ग हैं उन पर जबरदस्ती की बात आज देश भर में कही जा रही है। इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी कई घटनाओं के उदाहरण दिये हैं। भारत के प्रधान मन्त्री ने आलोचना करने, सरकार की आलोचना करने और काम करने की अपील की है। कौन कौन निर्भय हुए इस देश में, इस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। सबसे ज्यादा भय से आतंकित कौन लोग हैं ? दलित वर्ग के लोग हैं। जनता पार्टी की सरकार के शासन में आने से उनको भय है, उनको भूमि से बेदखल किया जाता है, जो भूमि पर बैठे हुए हैं उस भूमि को जोतने में भी उनको भय है। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप नीचे से समाज की संरचना प्रारम्भ करना चाहते हैं, जिसके आपने वायदे भी समाज के पिछड़े वर्ग को बहुत किये हैं, तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जो वातावरण बना हुआ है कि जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद भी हरिजनों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इस प्रकार से उनका कोई हल होने वाला नहीं है। यहां पर गृह मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में कलेक्टर्स को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं।

प्रशासन के पुनर्गठन की बात भी आप कह रहे हैं। इमर्जेन्सी में हमने ब्यूरोक्रेसी से एक सबक लिया है। एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी इस प्रकार से हावी होती रही तो निश्चित तौर से कहां ले जायगी ? इस सम्बन्ध में मैं आगाह कर देना चाहता हूं, आप इस ओर विशेष ध्यान दें। जनता सरकार का यह कर्तव्य है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग और गरीब वर्ग को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाय, उनके उत्थान के लिये कार्य किये जायं और जो कानून इस सम्बन्ध में हैं उनको सख्ती से लागू किया जाय।

पिछले कुछ महीनों से राज्य में आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं यह फिनोमिना केवल राजस्थान के अन्दर ही नहीं लेकिन पूरे देश के अन्दर है। कुछ आंकड़ों के जंजाल के अन्दर जाकर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं या तो गायब हो चुकी हैं या कालाबाजारी में चल रही हैं चाहे कन्जूमर्स प्राइस की बात हो और चाहे होलसेल प्राइस की बात हो।

(श्री परसराम मदेरणा).

लाडंपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने विद्वतापूर्ण भाषण दिया। उन्होंने यह बात भी कही कि डिमाण्ड एण्ड सप्लाई की थ्योरी पाश्चात्य देशों से चोरी की गई है। हो सकता है कि आज डिमाण्ड एण्ड सप्लाई की थ्योरी पर आधारित होकर किसी भी आवश्यक वस्तु का समाधान नहीं कर सकें लेकिन उत्पादन और वितरण, उत्पादकता और उपभोक्ता वस्तुओं का भी तालमेल बिठाना पड़ेगा जैसा कि घोषणा-पत्र में उल्लेख किया गया है। हो सकता है, आपके कथनानुसार कन्ज्यूमर्स सरप्लस की थ्योरी पाश्चात्य देशों ने दी है, हो सकता है डिमनिशिंग रिटर्न्स की थ्योरी वर्तमान परिस्थितियों में लागू न हो और यह भी हो सकता है कि मालथ्यून की पापूलेशन की थ्योरी अब काम की न रह गई हो। लेकिन मौलिक चिंतन आप कर रहे हैं प्राइस मैकेनिज्म के संबंध में। मैं राज्य सरकार पर दोषारोपण नहीं करता क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था भारतीय इकानामी पर मुद्रा स्फीति, इन्फलेशन और इन्फलेशनरी टेन्डेंसी दबाव डाल रही है, उसके एक नहीं अनेक कारण हैं। हमने अखबारों में पढ़ा है कि भारत सरकार मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुला रही है। भारत सरकार भी चिंतित है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। एक बात यथार्थ है---आम आदमी पिस रहा है, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले निर्भय हैं, किन्हीं कारणों से आश्वस्त हैं, यह तो जनता पार्टी के सोचने की बात है लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों की एक टेन्डेंसी बन गई है कि इस दरमियान जितने लोगों का शोषण किया जा सके, उतना करें। मैं यह बात कोई काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। मैं जब विधान सभा का चुनाव लड़ रहा था तब मेरे क्षेत्र के एक व्यापारी ने यह कहा। सीमेंट गायब हो गई है, रासायनिक खाद भी गायब है। प्राइस इन्डेक्स कह रहा है कि चाय के दाम नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन चाय बाजार में नहीं मिल रही है। हर चीज एकदम क्यों गायब हो गई? मैं नहीं कहता कि व्यापारी वर्ग को नाहक परेशान किया जाए या लाइसेंस जो उनको लेना चाहिए वह न लें। अलग अलग लाइसेंस जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दिये जाते हैं यदि उनका सरलीकरण करना चाहते हैं तो कीजिए। आपने उसका उल्लेख भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया है कि एक ही लाइसेंस का नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लागू करना चाहते हैं।

जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर हूरेसमेंट है तो उस एलीमेंट को निश्चित रूप से समाप्त करना चाहिए। पिछली सरकार ने इस प्रकार की स्कीम पेश की और सभी आर्डर्स के अन्तर्गत जो लाइसेंस लेने होते हैं उनके बजाय एक ही लाइसेंस की व्यवस्था का प्रारूप छोड़ गई थी। केवल दो मिनट का काम है, उसको लागू करना है। आप जो कमेटी बिठा रहे हैं वह कन्ज्यूमर्स व व्यापारियों से बात करेगी। प्राइस मैकेनिज्म में जो स्पर्ट हैं इस बारे में जो नये विचार और मान्यतायें रखते हैं, उन लोगों से विचार विमर्श के बाद निर्णय करना टालमटोल करना है। निश्चित तौर से आवश्यक वस्तु

Page No. 45

45

(श्री परसराम मदेरणा)

अधिनियम के तहत हमने भारत सरकार से भी अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि एक ही आर्डर के नीचे सभी लाइसेंसेज रख लो। फिर उसके क्रियान्वयन में जो समय लग रहा है, उसमें उपभोक्ता पिस रहे हैं, गरीब की दुर्दशा हो रही है। आपको मानना पड़ेगा कि जनता सरकार को सत्ता में आए महीने भर का समय हुआ है। कुछ कदम आपने उठाये लेकिन सबसे ज्यादा प्राइस इंडेक्स ऐडीबल आइल्स का बढ़ा है। उसके अलावा भारत सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पर बोलते हुए कहा कि खाद्यान्नों के भाव नहीं बढ़े हैं। वह इसलिए नहीं बढ़े हैं कि भारत सरकार के पास 2 करोड़ टन का बहुत बड़ा भंडार है और व्यापारी खरीद नहीं रहा है। काश्तकार डिस्ट्रेस में सेल कर रहा है इसलिए किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है, उसका इन्सेंटिव खत्म हो रहा है। इसलिये भाव गिरे हुए हैं दालों के बारे में एज ए होल किसी प्रकार की रुकावट नहीं। खास तौर से मूंगफली का उत्पादन पिछले साल काफी हुआ है। इसके अलावा आपके पास 3 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा है।

आपने रेफिंड आइल के लिये भी सोचा था। राजस्थान को जो अभी रेफिंड आइल मिला है वह एक हजार टन के आस पास है हालांकि भारत सरकार ने 5 हजार टन की अनुमति दे दी। राजस्थान की आवश्यकता कम से कम 20 हजार टन की है। उसको रिफाइन करने की क्षमता जयपुर में है जयपुर में फैक्ट्रीज और मिल्स हैं। यह होते हुए भी इस बात को टाला जा रहा है। अभी भी मूंगफली की फसल पकने में तीन चार महीने का समय है। इस बीच में अगर आप आयातित तेल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत सरकार से आवंटित करवा कर सही तरीके से वितरित करते हैं और वितरण प्रणाली में जनता को इन्वाल्व करते हैं तो खाद्यान्न तेल की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की इन्टेंसिटी 10 प्रतिशत है इससे थोड़ा क्षेत्र सिंचित होगा। सामाजिक न्याय का तकाजा है कि इसकी इन्टेंसिटी 60 परसेन्ट कर दी जाय तो राजस्थान का भूभाग पेय जल से वंचित है और जहां के लोग अकाल में सैकड़ों मील से मवेशी लेकर मालवा और उत्तर प्रदेश को जाते हैं, तो उसके सूखे की समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं उनकी दलील से सहमत हूं। राज्य सरकार ने 4 लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कराया था, वे योजनायें भारत सरकार के सम्मुख भी प्रस्तुत हुई थीं और वाटर व पावर कमीशन ने भी एप्रूव कर दी हैं। इसका इसमें उल्लेख न होने से राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में निराशा हुई है। लाड़पुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा करने की बात कही है। मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। जितना जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जा सकता है दो साल में नहीं तो 11 साल में इसको पूरा किया जाना चाहिए।

पेयजल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। 301 करोड़ रुपये की योजनायें आपके पास सर्वेड हैं। उनको केवल आपने ह्यूमन

(श्री परसराम मदेरणा)

पापूलेशन या जनसंख्या के आधार पर ही तैयार किया है। रेगिस्तानी इलाके के पशुधन की संख्या का उसमें समावेश नहीं किया तो योजनायें अपने आप में अपूर्ण रहेंगी। योजनायें आपके सम्मुख विचाराधीन हैं, इसलिये पशुधन के पीने के पानी की आवश्यकता है, उसका अंदाज किया जाकर समाधान करना चाहिए। राजस्थान के 5 शहरों में पेयजल की योजनायें थीं, बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप रीआर्गेनाइज करने की आवश्यकता हमको भी पड़ी है और यह आवश्यकता जनता सरकार को भी पड़ेगी क्योंकि इस देश की बढ़ती हुई आबादी से हर वर्ष करोड़ों लोग केवल पीने की पानी, कपड़ा और अन्न के लिए दावेदार नहीं बन रहे हैं। इसलिए जो योजनायें हम बनाते हैं उन योजनाओं पर बढ़े हुए अनुपात में विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने परिवार नियोजन के बारे में यह कहा है कि इसे स्वेच्छा से लागू किया जाना चाहिए। जहां तक सवाल परिवार नियोजन को लागू करने का है अगर इसे लागू नहीं किया गया तो काफी समस्यायें पैदा हो सकती हैं। अगर परिवार नियोजन के वायदों को पूरा नहीं किया गया तो, अध्यक्ष महोदय, यह पापूलेशन जो आज अत्यधिक बढ़ रही है उसका एक्सप्लोजन न केवल हमारे देश हिन्दुस्तान में बल्कि सारे संसार भर में होगा। इसलिए परिवार नियोजन की जो बात कही है वह ठीक है लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोम्प्रसंन नहीं होना चाहिए। यह बात मैं समझता हूं, सभी लोग जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उन पर लागू है। अगर इसमें आप हमारा सहयोग लेंगे तो हम आपको सहयोग देंगे। यह पोपूलेशन की जो समस्या है आज अगर इसको परिवार नियोजन के माध्यम से नहीं रोका गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। अध्यक्ष महोदय, परिवार जितना छोटा होगा उतनी ही समस्यायें कम होंगी, परिवार सुखी होगा। दूसरी बात यह है कि बड़ा परिवार जितना होगा उसमें उतनी ही समस्यायें भी अधिक होंगी। अधिक पापूलेशन की समस्याओं का समाधान करने में परिवार वालों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी काफी दिक्कत होगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैं समझता हूं वनों के बारे में कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है, उनकी उपेक्षा की गई है। सिर्फ इतना ही कह दिया गया है कि सरकार वनों के विकास के लिए भी कदम उठायेगी। अध्यक्ष महोदय, जब श्री के. एम. मुन्शी खाद्य एवं वन मंत्री भारत सरकार में थे तब उन्होंने वनों के विकास के लिये वृक्षारोपण का अभियान चलाया था। उस के बाद हर वर्ष हमारे यहां पर वृक्षारोपण किया जाता रहा है जिससे कि वनों का विकास हो सके। वनों से काफी फायदे होते हैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : संजय गांधी का कार्यक्रम था।

श्री परसराम मदेरणा : संजय गांधी की बात नहीं है। उन्होंने तो एक पांच सूत्री कार्यक्रम बनाया था उसमें वनों को लगाने का भी उल्लेख था।

एक माननीय सदस्य : उनका रेफरेन्स देना चाहिए था। संजय गांधी का।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें वृक्षारोपण करने का कोई भी उल्लेख नहीं है जब कि वृक्षारोपण से कई फायदे हैं। वनों से रेगिस्तान का बढ़ना तो कम होता ही है, वर्षा भी होती है वनों से टिम्बर प्राप्त होती है, जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इसमें संजय गांधी की क्या बात है ? उनके पांच सूत्री कार्यक्रम में एक यह भी था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : संजय गांधी का ही कार्यक्रम...

श्री परसराम मदेरणा : इनको तो संजय गांधी का ही भूत लगातार दिखाई देता है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने पूर्णतया मद्य निषेध करने की बात कही थी लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा है कि जनता पार्टी पूर्ण मद्यनिषेध में विश्वास रखती है। जनता पार्टी ने पूर्ण मद्यनिषेध का वायदा चुनावों में किया था। वह इसमें नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब भारतवर्ष में वर्तमान प्रधान मंत्रीजी कांग्रेस राज्य में वित्त मंत्रीजी थे तब उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि अगर राज्य सरकार पूर्ण मद्य निषेध लागू करती है तो आबकारी से जो आय राज्य सरकार को होती है उसका पचास प्रतिशत भारत सरकार दे देगी। यह बात उस समय की है जब कांग्रेस सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर राजस्थान के उस समय के वित्त मंत्री केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री जी, जो कि अभी दाहिनी ओर बैठे हैं, के पास गये थे, तब कही थी। अब तो वह प्रधान मंत्री हैं। जनता पार्टी ने चुनावों में वायदा भी किया था। अब आप उस वायदे से मुकर रहे हैं। यह कहां तक उचित है ? इतने महत्वपूर्ण वायदे के लिये आपने कोई स्पष्ट बात नहीं कही और सिर्फ उसको झिल मिल सी, गोलमोल बातों में कह दिया। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसकी कई जटिल समस्यायें भी हैं। उन समस्याओं के समाधान करने में और रीति नीति में अगर जनता सरकार हमारा सहयोग चाहेगी तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई बड़ी समस्याओं का उल्लेख नहीं है और जिनका उल्लेख है तो ठीक तरह से नहीं है, स्पष्ट नहीं है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन में पेश हुआ है उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी विरोधी दल के नेता महोदय का भाषण सुना। मैं उसके लिये उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता सरकार के लिये कुछ अच्छी बातें कही। लेकिन एक बात मैं विशेष तौर से उन्हें कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने भाषण में हमारी पार्टी के अन्दरूनी मामलों में दखल दिया है, चाहे वह श्री चरणसिंह के वक्तव्य को लेकर किया हो,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहे मेरे छपे हुए वक्तव्य के बारे में किया हो, चाहे बाबू जगजीवनरामजी के वक्तव्य के बारे में किया हो, मैं इसके लिये विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों से यह बहुत ही नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दल में हर व्यक्ति को अपने विचार प्रगट करने, बोलने, लिखने और हर प्रकार की सत्य बात कहने की छूट है। यह पाठ हमें हमारी पार्टी के स्वर्गीय नेता श्री राममनोहर लोहिया द्वारा पढ़ाया गया था। कांग्रेस पार्टी में तो श्रीमती इन्दिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को अपना माई बाप कहा जाता रहा है, उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। वह चाहे जितनी भी गलतियां कर डालें, वह चाहे कितना ही अन्याय कर डालें, पर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसके विपरीत आज जनता पार्टी में हमारा कोई सदस्य किसी की भी बुराई का खुलकर विरोध कर सकता है। आज यही कारण है कि जनता पार्टी के कारण लोगों में जन चेतना आयी है और कांग्रेस का राज्य समाप्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज चाहे हम अपनी पार्टी के अन्दर आपस में लड़ते हों, आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ कहते हो, एक दूसरे को अगर कोई गलतियां बताते हों, या दूर करने की बात करते हों तो कोई खराबी नहीं है। हमारे यहां चाहे कोई मुख्य मंत्री हो, चाहे कोई मंत्रिमंडल का सदस्य हो, चाहे हमारा विधान सभा का कोई साथी हो, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान हैं। हमारे यहां पर पिछली कांग्रेस सरकार जैसी बात नहीं है जिसमें इन्दिरा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को ईश्वर तुल्य समझते थे। हमारे यहां वह बात नहीं है कि एक तो ईश्वर तुल्य है और दूसरा एक हरिजन के बराबर। कांग्रेस पार्टी को चाहिये कि वह हमारी जनता पार्टी से इस बात की शिक्षा ले। आज जो जनता पार्टी ने समाज में परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया है, सभी को समान बनने का अवसर दिया है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को हमारा स्वागत करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर थोड़ी थोड़ी बात हर विषय पर कहना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र करके उसे एक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने रखा है। पर मुझे अफसोस है और मैं कहूंगा इस बात को कि आर्थिक मामलों में हमारी जो आर्थिक नीति है उसको हम किस तरह से कामयाब करेंगे, उसके लिये हमारे पास साधन कहां से आयेंगे, उसके लिए हम रुपया पैसा कहां से जुटायेंगे और उसका विस्तार हम कहां से करेंगे–इसका उल्लेख उन्होंने इसमें नहीं किया है।

हमारे घोषणा-पत्र में यह है और हमारे प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई इस बात को कहा करते हैं कि हमारी जनता पार्टी का आर्थिक बेस ग्रामीण जनता है, ग्रामीण विकास है और छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं। यही हमारे विकास का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपने 30 साल में जो कुछ भी किया है वह सिर्फ इतना किया है कि आपके बड़े

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

दीजिये और सजा देकर ही देखिये तब ही जाकर कुछ काम हो सकेगा। नहीं तो जैसा कांग्रेस 30 साल तक कहती रही, वायदे ही वायदे करती रही और यही कारण रहा कि वह आज धराशायी हो गई। वैसे ही अगर आप भी वायदे करते रहेंगे तो आप भी 5 साल, 3 साल में धराशायी हो सकते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हो ही जायेंगे।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : जो आपका इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट है, वह क्या करता है? बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट, चाहे राजस्थान में किसी भी इलाके में काम कर रहे हों, के लिये बड़े आफिसर आधी रात को भी दरवाजा खुला रखते हैं लेकिन जो लघु उद्योग के रूप में काम करने वाले लोग हैं वे कभी यदि उनसे राय लेने जाते हैं तो उनको उस जगह इतना रुपया खर्च करना पड़ता है कि जितना पैसा बैंक उनको देती है उसका चौथाई पैसा तो उनका खर्च हो जाता है। बड़े लोगों के काम करने का तरीका यह है कि उनके घर बैठे ही काम हो जाता है। मैं यह चाहता हूं कि छोटी इन्डस्ट्रीज पनपें। बड़े गांवों की आबादी कम हो जाती है तो महात्मा गांधी याद आ जाते हैं जो यह कहते थे कि बड़े गांवों की आबादी कम हो और छोटे गांव पनपें, उनके उद्योग-धन्धे पनपें। परन्तु आज क्या होता है बड़े शहरों में छोटे शहरों के आदमी आते हैं। बड़े शहरों में एक आदमी आता है तो पांच तरह का व्यापार कर सकता है और पांचों तरह के व्यापार में चोर बाजारी से पैसा कमाया जा सकता है। परन्तु छोटे गांवों में यह सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है कि एक से ज्यादा काम कर सकें।

जहां तक समाजवादी व्यवस्था का सवाल है इसमें जो महंगाई है इस पर रोक लगाई जानी चाहिये। अभी विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि जहां तक पैसे का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इसको कैसे रोकें। परन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक छोटी सी पुस्तक लिखी है डा. राम मनोहर लोहिया ने उसे पढ़ने की किसी ने कोशिश की हो तो उसमें साफ लिखा है, सरकार की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिये कि जो प्रडक्शन है, उसकी जो कास्ट आफ प्रोडक्शन हो उससे कीमत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिये कन्जूमर तक पहुंचने में। परन्तु किसी भी बड़े अफसर और किसी भी भूतपूर्व मंत्री और शायद मंत्रिमंडल के लोगों ने कभी भी उन किताबों में इन बेसिक सवालों के सम्बन्ध में कोई प्रेरणा नहीं ली होगी और न ही उन पर चलने की कभी कोशिश की होगी। मैं यहां तक कह सकता हूं कि डा. लोहिया की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं तो बड़े शर्म की बात है। अगर उनकी बातों को समझा गया तो न गलत काम करने का मौका मिल सकता है और न रिश्वत मिल सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात की भी जानकारी करे।

कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि हमने खेती के लिये लोगों को भूखण्ड दिये हैं। शायद मैं पहला व्यक्ति था जिसने उस वक्त के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी को एक तार देकर यह कहा था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो-तीन मिनट।

आपने यह जो कुछ काम किया है इसके लिये धन्यवाद देता हूं। साथ ही यह भी कहा था कि जो म्युनिसिपल एरिया है, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एरिया है, आप यह मेहरबानी करिये कि मकान बनाने के प्लाटों की नीलामी बन्द करिये। यह सोशलिज्म का काम नहीं। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये मैं यह कहता हूं कि मकान बनाने के लिये भूखण्ड की नीलामी तुरन्त बन्द होनी चाहिये।

जहां तक खाद्य पालिसी का सवाल है, अनाज के अपार भण्डार हैं लेकिन उसको रखने के लिये गोदाम नहीं हैं। वर्षा के दिन हैं। बोरियां खुली रखी हैं। उन पर त्रिपाल पड़े हुए हैं। लाखों मन अनाज सड़ रहा है और उसमें कीड़ा लग गया है। यह सरकार अब उस अनाज को आटा मिलों को दे रही है और कह रही है कि आटा बनाओ। उस सड़े हुए आटे को जनता जनार्दन खायेगी। ज्यादातर लोग, पुलिस के लोग और मिलिट्री के लोग इस आटे को खावेंगे, तो उससे बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी ? इसलिये आप नीति को बदलें। अच्छा अनाज आटा बनाने को दीजिये। अगर खराब अनाज आपके पास है तो नदी में फेंक दीजिये, सड़ा अनाज खाने के लिये मत दीजिये। जब तक गोदाम नहीं हैं तब तक गरीब किसान को लूटने की कोशिश मत कीजिये।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में बाहर से इम्पोर्ट करके वाइस चांसलर लाये गये। जितने भी तीनों यूनिवर्सिटीज में हैं, हैड्स आफ डिपार्टमेन्ट्स हैं, प्रोफेसर हैं वे ज्यादातर यू. पी. के हैं। राजस्थान में विद्वानों की कमी नहीं है लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला है। हमें शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इम्पोर्ट कर के लाये जब कि हमारे यहां विद्वानों, डाक्टरों, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। उनको भी मौका मिलना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं आपात्कालीन स्थिति में जिन लोगों को निकाला गया है नौकरी से, उन लोगों को वापस लेने के लिये यह नियम बनाया है कि 20 साल से कम सर्विस वालों को वापस ले लिया जाये। मैं सरकार से, गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 साल की सर्विस वाले जिस व्यक्ति का रिकार्ड खराब है, जो रिश्वतखोर है, बदमाश है उसको तो वापस ले लिया जायेगा और 25 साल की सर्विस वाले जिस कर्मचारी का करेक्टर अच्छा है, जिसकी सर्विस बहुत अच्छी है उसको निकाल दिया जायेगा। यह आपने क्राइटेरिया कहां से लिया ? इसलिये कहना चाहूंगा कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को बैठा कर दो महीने में दोनों तरह के लोगों का फिर से सर्वे कराया जाये। अगर 20 साल की सर्विस वाला कोई आदमी खराब है तो उसको तुरन्त निकाला जाये और 25 साल की सर्विस वाला अगर अच्छा है तो उसको सर्विस में लेना चाहिये। यह क्राइटेरिया बनाना होगा, अगर नहीं बनायेंगे तो न्याय नहीं होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। फिर

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

श्री मैं निवेदन करूंगा जनता पार्टी से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि आपके हाथ में मौका आया है, आपकी सही व्यवस्था से सरकार सही रास्ते पर चल सकती है। आप सरकार को सही रास्ते पर चलाइये। आपका मैनिफेस्टो है, आपका कार्यक्रम है छोटे उद्योग धन्धे लगाने का, गांवों की तरक्की का, पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द कराने का। जितने कार्पोरेशन्स हैं उनमें पुराने आदमी जमे हुए बैठे हैं, उन्हें एक मिनट में हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि वे करप्शन के अड्डे हैं। जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज की लिस्ट मैंने कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब को दी है, इन सब की जांच होनी चाहिये और इस राज्य को आपके मैनिफेस्टो के हिसाब से, आपकी नीति के आधार पर चलाया जाना चाहिये।

एक बात और कहूंगा। मुझे बड़ा अफसोस है, हमारे मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के साथ एक घंटे तक गुप्त वार्ता करते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या वार्ता की। मैंने एक क्वेश्चन रखा था श्री सुखाड़िया साहब के सामने लेकिन आज तक पैंडिंग है। जो आदमी इतना बदनाम है, हिन्दुस्तान के गृह मंत्री ने जिनके खिलाफ जांच करने के लिये राज्य सरकार के पास आदेश भेजे हुए हैं उस आदमी से गुप्त वार्ता करना मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है।

इसलिये राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने एक घंटे तक इस सदन में पधार कर यह सब बातें हमको कही हैं, धन्यवाद देता हूं।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ उसका आज हम अनुमोदन कर रहे हैं। इस समय सर्वप्रथम मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति कृतज्ञता प्रगट करती हूं जिनके सही निर्देशन में इस मुल्क की जनता ने एक शांतिपूर्ण क्रांति को जन्म देकर आज हमें इस सदन में इस पक्ष में बैठने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, एक बार पुन: इस मुल्क की जनता और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति कृतज्ञता प्रगट करते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की कुछ बातों पर प्रकाश डालती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी किन्तु इतना अवश्य कहूंगी कि कांग्रेस ने पिछले तीस वर्षों में राजस्थान की समस्याओं का निराकरण नहीं किया अपितु समस्याओं को बढ़ाया है। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार का ध्यान उस क्षेत्र के प्रति आकर्षित करना चाहती हूं जिस क्षेत्र को ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। जिस क्षेत्र को इस देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत मान्यता दी गई है और जिसे ऐतिहासिक यादगार के रूप में याद किया जाता है। सम्माननीय, वह क्षेत्र है आमेर। अध्यक्ष महोदय, जिस आमेर क्षेत्र से मैं चुन कर आई हूं दुनियां में उसका बहुत बड़ा नाम है। जो भी विदेशी पर्यटक हिन्दुस्तान में आते हैं, जयपुर आकर उस क्षेत्र को अवश्य देखते हैं। लेकिन उस क्षेत्र की आज जो दशा है उसे सुन कर, उसको देख कर बड़ा ही दुःख होगा

Page No. 52

(52)

(सुश्री पुष्पा जैन)

है। मान्यवर, मैं बड़े ही खेद के साथ बताना चाहती हूं कि पिछले तीस वर्षों के अन्दर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया जब कि बांसवाड़ा और उदयपुर पर ही करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया है। आज उस क्षेत्र की छोटी छोटी अनेकों समस्यायें है जिनके निराकरण के बिना उस क्षेत्र की तकलीफों का समाधान नहीं हो सकता आज वहां पर रोजमर्रा की अनेकों समस्यायें हैं, शिक्षा का अभाव है, सड़कों का अभाव है, सड़कों के अभाव में यातायात की समस्या है, पेय जल की समस्या बनी हुई है, चिकित्सा की समस्या है। पशु चिकित्सा की सुविधा के बिना किसान बिल्कुल निराधार हो जाता है। कई पशु बिना दवाई के मर जाते हैं और कई पशु ही नहीं इन्सान भी बिना दवाई के मर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि पर्यटक स्थल आमेर के विकास और इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर विशेष ध्यान दें ताकि यह खण्डहरों का क्षेत्र पुनः आबाद हो सके और मेरे क्षेत्र की जनता को यह अहसास हो कि एक शांतिपूर्ण क्रांति आयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा। बड़ा खेद का विषय है कि उसमें महिलाओं के उत्थान की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान में समानता की बात करते आए हैं और कांग्रेस शासन के कार्यकाल में तो हर स्टेज पर, हर भाषण में हम यह सुनते आए हैं कि महिलाओं को समान अधिकार दिए जावें। महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जावे, उनकी उन्नति के लिए हर सुविधा प्रदान की जावे। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। आप हमें उपदेश देते हैं कि हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सदन की गरिमा को बनाए रखने का हम लोगों से ज्यादा उनका दायित्व है जिसे वे कतई नहीं निभाते। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि महिलाओं के उत्थान की दुहाई देते हैं, जिनके उत्थान और उद्धार के लिए भाषणों में कहते हैं, किन्तु सदन में हमारी सम्माननीय एक मात्र महिला मंत्री श्रीमती विद्या पाठक पर उन्होंने निराधार आरोप लगाए हैं। जब उनका निराकरण हुआ, आरोप गलत पाए गए, तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के लिए मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं और चैलेंज के रूप में कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के प्रति हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उनके उत्थान के लिए सभी अवसर प्रदान नहीं किए तो ऐसा न हो कि एक और क्रान्ति जन्म ले ले।

अध्यक्ष महोदय, मैं युवा शक्ति की ओर भी अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। युवा शक्ति वह शक्ति है जिसके बिना इस राज्य का सही विकास नहीं हो सकता है। अगर हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना है तो युवा शक्ति की ओर विशेष

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

नेता और मंत्री जिन शहरों में रहते थे उन शहरों में आपने कुछ काम किये हैं लेकिन जो गांवों से आने वाले हैं, आप दुहाई देते हैं हरिजनों की, आप दुहाई देते हैं मजदूरों की और किसानों की, जो 70 प्रतिशत हमारे देहातों के अन्दर रहते हैं, और उनके नाम की माला जपते हैं लेकिन आपने 30 साल में जितना सत्यानाश इन लोगों का किया है उतना शायद कोई भी सरकार नहीं कर पावेगी। आप कहेंगे कि गांवों में कभी भी पीने का पानी नहीं मिलता था और राज्य की सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम किया है। मैं मानता हूं कि कुछ हिस्सों में आपने यह काम किया है। जो छोटे गांव हैं वहां पर आपने नल योजना का काम किया है। जिस तरह से गंगानगर के अन्दर नहरें पानी के पिलाने के लिए बहती हैं उसी तरह से इन छोटे गांवों के अन्दर हर गढ़ी और गांवों में नहरें बहती हैं और कहीं भी आदमी बिना गीले पैर किये नहीं निकल सकता। वहां पर कोई नालियों का इन्तजाम नहीं है। इतना पानी भरा रहता है कि एक के बजाय दो-दो नल योजना कामयाब हो सकती हैं। तो आपकी योजनायें अधूरी हैं और रद्दी तरीके से बनाई गई हैं। आपने वोट लेने के लिए नल तो लगा दिये लेकिन नलों का पानी कहां से होकर बहेगा और क्या हम उसका उपयोग एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं उसका आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया और उसकी कोई योजना नहीं बनाई। हर गांव में आज कल नहरें बन रही हैं। इसलिए आपको गांवों के अन्दर इसका उचित प्रबन्ध करना चाहिए था। यह हालत आपने छोटे गांवों की कर रखी है। मैं आपको बड़े गांवों की भी बात बताऊं, 13 करोड़ रुपये लगा कर एक गांव के लिए योजना बनाई। शहरों के लोग बोलना जानते हैं, शहरों के लोग आन्दोलन करना जानते हैं उनकी बात आप ज्यादा सुनते हैं और गरीब जनता जो 70 प्रतिशत गांवों में रहती है उसका आपने कोई ध्यान नहीं रखा।

अभी विरोधी दल के माननीय नेता जमीन के बारे में बात कर रहे थे, हरिजनों को जमीन जो अलाट की गयी है उससे उनको बेदखल करने और उनके ऊपर कब्जा नहीं होने देने की बात कह रहे थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह राजस्व मंत्री थे तो मैंने एक नहीं पचासों दरख्वास्तें उनको दी होंगी, एक नहीं कितनी ही बार आकर कहा कि भीलवाड़ा जिले में सन् 1970 और 1971 में जिन हरिजनों को, जिन गरीबों को, जिन भूमिहीनों को और जिन किसानों को जमीन अलाट की गयी है, आज के दिन भी जब कि 1977 है, जमीन पर उनका कोई कब्जा नहीं है। यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को आपने वह जमीन अलाट की और जो सीलिंग में आई थी, उसका एक एक आदमी से 900 रुपया आपने मुआवजा ले लिया फिर भी तीन-तीन और चार-चार वर्ष हो गए उनका कब्जा आप उनकी जमीन पर नहीं करा पाये। मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1970 से लेकर आज दिन तक जिन जिन जिलों में हरिजन, आदिवासी और भूमिहीन गरीब लोगों को यह जमीन अलाट की गयी है और जिनको आज दिन तक उस जमीन पर हल नहीं चलाने दिया है उसकी

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

जिम्मेदारी वहां के कलेक्टर, वहां के एस. डी. ओ. और वहां के तहसीलदार के ऊपर डाली जाकर जो नुकसान उन किसानों को हुआ है वह उनकी तनख्वाह में से काट कर उनको दिया जाना चाहिए तब हम समझेंगे कि आप कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं समझते हैं। कलेक्टर यह कहता है कि तुम इस जमीन पर काबिज हो गये हो लेकिन कब्जा कोई नहीं होने देता है। डंडे देकर मारते हैं और पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस भी जो मजबूत लोग हैं उनसे रिश्वत लेकर उनके पक्ष में बोलती है और जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करने देती है व उस जमीन के ऊपर काश्त नहीं करने देती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो किसान की समस्या है शायद राजस्थान में वह इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे राजस्व मंत्रीजी सिर्फ एक बात को लेकर बैठ जायें तो साल भर में भी वह हल नहीं कर सकते। राजस्थान इतना लम्बा चौड़ा प्रदेश है, यहां पर नाना प्रकार के राजाओं ने राज्य किया है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेवेन्यू के कानून थे। मैं बहुत थोड़े में कहना चाहता हूं कि आज भी जब रेवेन्यू के अन्दर सैटलमेंट का काम होता है, सैटलमेंट आफिसर बनेड़ा में सेटलमेंट करने जाता है तो उसी जमीन को 107 फीट एक जगह बताता है और जब दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह 140 फीट बताता है। वहां जमीन ज्यादा और कम करके लगान बढ़ा देता है। तो मैं राजस्व मंत्री महोदय से बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान के अन्दर जमीन का नाप और लगान एक तरह का होना चाहिए। चाही और बारानी जमीन में फर्क हो सकता है लेकिन बारानी ही एक जगह हो तो उसके 12 आने और दूसरी जगह रुपया और डेढ़ रुपया हो और एक जगह जमीन का नाप 107 फीट हो, एक जगह 140 फीट हो यह बात कोई बरदाश्त करने काबिल नहीं है। है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं अगर वह अपना भाषण दें और अपना जवाब दें तो इसके बारे में कहें कि क्या वह इस बड़ी समस्या को हल करने के लिये तैयार हैं?

पुरानी सरकार ने जहां जहां लगान बढ़ाया उसके साथ साथ किसानों के जो हमदर्द लोग हैं उन्होंने पिलाई की दरें भी बढ़ा दीं। मैं ऐसी जगह से आता हूं जो ठिकाना रहा है। बनेड़ा एक ठिकाना है। ठिकाने के समय 103 गांव थे। मैं वहां प्रधान रहा हूं। वहां की मुझे एक एक बात अच्छी तरह से मालूम है। वहां राजा के टाइम में सैटलमेंट हुआ था तो लगान और पिलाई शामिल करके लगान वसूल किया जाता था। तालाब से जो पिलाई की जाती थी उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जब सैटलमेंट दुबारा हुआ तो राजस्थान की सरकार, जो सरकार गयी, के कारनामे यही थे कि 4.50 रुपये पिलाई के बढ़ा कर 9.50 और 11 रुपये और 12 रुपये कर दिये। बिना सोचे समझे किसानों के ऊपर इतना भार बढ़ा दिया। क्या मैं सिंचाई मंत्रीजी से यह प्रार्थना कर सकता हूं, इसकी जांच की जाये कि दो महीनों में उस जमीन के ऊपर कौन सी पैदावार की शक्ति बढ़ गयी कि उसकी पिलाई 4.50 रुपये से बढ़ा कर 9.50 और 11 रुपये और 12 रुपये प्रति बीघा कर दी?

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पहले की सरकार ने बिजली का विस्तार इस पक्षपात से किया है, अगर आप जाकर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ गांव ऐसे मिलेंगे जो पांच गांवों के बीच में हैं उस एक गांव का पंच, सरपंच कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं था इसलिये उस गांव से एक मील की दूरी पर चारों तरफ तो बिजली है, अन्य गांवों को तो बिजली दे दी गई लेकिन उस एक गांव को बिजली नहीं दी गई। आप भीलवाड़ा में जाकर देख लें, भीलवाड़ा के पास कोटड़ी गांव है वहां से एक मील दूर, उसके आसपास के जो गांव एक एक मील दूर हैं वहां पर बिजली दे दी गई क्योंकि वहां जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्त्ता थे पर जो विरोधी सरपंचों के गांव हैं वहां शिवचरणजी को बार-बार कहने पर भी आज तक बिजली नहीं दी गई। गुलाबपुरा से एक मील दूर गांव है वहां पर बिजली नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं क्या विकास का काम भी राजनीति से प्रेरित होकर पक्षपातपूर्ण और भाई-भतीजावाद के रूप में किया जाता है। अगर इसी तरह इस देश में विकास का काम किया गया तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इससे यहां पर गरीब और अधिक गरीब होगा तथा अमीर और अधिक अमीर होगा, इसमें दो राय नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा था अगर आप मुझे 20-25 मिनट बोलने के लिये देना चाहते हैं तो मेरा नाम रखना वरना मत रखना। मैं पहले ही ब्लड प्रेशर का बीमार हूं और मुझे बोलने में जोर लगता है इसलिये मेरी बात लम्बी होगी। अगर आप चाहते हैं और मेरी ये जरूरी बातें सदन नहीं सुनना चाहता है, और आप भी सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं अपना भाषण बन्द करने को तैयार हूं। मैंने तो पहले ही पर्मीशन लेकर कहा था, 20-25 मिनट बोलना देना चाहें तो...

श्री अध्यक्ष : 20 मिनट का समय, अवश्य ले सकते हैं।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया ... तो मैं इसके आगे कहना चाहता हूं, अभी विरोधी दल के नेता खाद्य समस्या के बारे में, और मंहगाई के बारे में कह रहे थे। चार महीने की केन्द्रीय सरकार, एक महीने की राजस्थान की सरकार है इसके ऊपर यह लांछन लगाया जा रहा है कि यहां पर मंहगाई बढ़ रही है। विरोधी दल के नेता ने खास तौर से यह कहा कि तेल के भाव बहुत ऊंचे हो रहे हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप नाराज जरूर होंगे पर मूंगफली का जो स्टाक गये साल पैदा हुआ, किसानों ने मूंगफली पैदा की, उसका निर्यात कांग्रेस की सरकार ने किया या जनता पार्टी सरकार ने? इसका निर्यात होने से मूंगफली का तेल हिन्दुस्तान में बन नहीं सका और इस कारण मूंगफली का तेल मंहगा हो गया।

इसके अलावा जब कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्यकता हुई तो उस चुनाव के करीब 15-20 रोज पहले सारे वेजिटेबिल प्राडक्ट करने वालों का एक सम्मेलन दिल्ली में किया गया। उनसे लाखों रुपया रिश्वत लेकर डालडा के

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

भाव बढ़ा दिये गये और हर प्रकार के तेलो से डालडा बनाने की छूट दे दी गई। आज लांछन जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि तेल के भाव आपने बढ़ा दिये। मैं कहना चाहता हूं, कपड़ा आज से 6 महीने पहले कन्ट्रोल का मिलता था, सस्ते भाव से मिलता था पर ज्यों ज्यों चुनाव आने लगे सारे का सारा कन्ट्रोल का कपड़ा गायब हो गया। जितने मिल मालिक थे उनसे कांग्रेस ने चन्दे में रुपया ले लिया और जो कन्ट्रोल का कपड़ा मिलों में बनता था वह बन्द कर दिया। पिछली सरकार को मजबूर होकर यह मानना पड़ा। जो कारनामे किये गये हैं पिछली सरकार द्वारा उनको आज हिन्दुस्तान का उपभोक्ता भोग रहा है। इसका सारा श्रेय कांग्रेस सरकार को है, वर्तमान सरकार को नहीं फिर भी बदनाम हमें करना चाहते हैं। मैं मेरे विधान सभा के दोस्तों से कहना चाहता हूं खास तौर से जनता पार्टी के सदस्यों से कि अगर कोई व्यापारी ब्लेक मार्केट करता है, चीजों का संग्रह करता है, बिना लाइसेन्स के व्यापार करता है और उस पर छापे पड़ते हैं तो आप भी उस व्यापारी का खुल कर विरोध करिये, उसका किसी भी प्रकार समर्थन मत करिये। अगर आप जनता पार्टी के राज्य को जमाना चाहते हैं, जनता पार्टी के राज्य को कायम करना चाहते हैं तो आपको विरोध भी करना पड़ेगा।

अब रहा सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और आपातकालीन स्थिति के बारे में जो बात कही गयी है, मैं इसके सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चहाता हूं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, खास तौर से मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को कि आप बार बार कह चुके हैं कि जिन्होंने आपातकालीन स्थिति में अन्याय किया है, जुल्म किया है उनको सजा दी जाएगी। आपातकालीन स्थिति में जुल्म करने वाले, अन्याय करने वाले कौन थे ? राजस्थान में या तो उस समय के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी थे या जो राज्य मंत्री थे शक्तावत साहब, आई. जी., पुलिस, मोहन मुकर्जी जो हमारे यहां मुख्य सचिव हैं और रामसिंह जो होम कमिश्नर हैं यही तो वे लोग थे जिन्होंने आपातकालीन स्थिति में लोगों पर ज्यादा से ज्यादा जुल्म, अन्याय अपनी कलम से किया था। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज भी वे उसी स्थान पर हैं। फिर वही गुलछर्रे उड़ा रहे हैं जो आपातकालीन स्थिति में मजा उड़ा रहे थे। मेरा निवेदन है इनको तो एक महीने के भीतर भीतर ही जेल के सींखचों में होना चाहिये था। मोहन मुकर्जी ने आपातकालीन स्थिति में क्या नहीं किया ? अगर मैं इनकी दास्तानें सुनाने लगूं तो काफी समय लगेगा। एक ही बात कहना चाहता हूं, एक आफिसर थे जिनको आपात्-कालीन स्थिति में सजा दी गई। उन्होंने वापस लेने की राज्यपाल महोदय से प्रार्थना की। अभी यहां जो मुख्य सचिव हैं वे वहां चन्द दिनों के लिये एडवाइजर थे। इन्होंने उस कागज पर, जिस पर मुख्य सचिव ने लिखा है, अपने नाम से दूसरा हुक्म लगा दिया जो गवर्नर साहब का नहीं था, दूसरा ही हुक्म उनको दे दिया। इस तरह के कारनामे इनके हैं। इसी तरह के कारनामें आई. जी. साहब के हैं। उन्होंने भी इसी तरह के अनेक जुल्म किये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आप डरिये मत, उनको सजा

(सुश्री पुष्पा जैन)
ध्यान देना होगा। उन्हें उचित अवसर प्रदान करना होगा, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना होगा।

(2–05 म.प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं उन लोगों की पैरवी करना चाहती हूँ। इस सरकार के सामने जिनसे हम इंसाफ की मांग करते हैं। वह वर्ग है न्यायपालिका के अधिकारी और हमारे युवा वकील। सभापति महोदय, हमारी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और न्यायालय के अधिकारियों के वेतनमानों में बहुत अन्तर है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सिफारिश करना चाहती हूं कि उनसे पूरा काम लेते हैं, वे सही इंसाफ देते हैं फिर भी उन लोगों के वेतनमानों में क्यों फर्क किया जाता है? उनकी मांगों पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, उनकी इस मांग को पूरा करने में हमारी सरकार के बजट पर कोई विशेष जोर पड़ने वाला नहीं है। केवल ढाई लाख रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार बजट पर पड़ेगा जिससे इस वर्ग की मांग को पूरा कर उनके साथ इंसाफ किया जा सकता है। युवा वकीलों के सम्बन्ध में मेरा आपके माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन है कि उनके लिए स्टाईपेन्ड व रियायती कर्जे की व्यवस्था की जावे जिससे कि वे स्वयं को प्रोफेशन में एक्जिस्ट कर सकें।

सभापति महोदय, आपातकाल के दौरान हमारे प्रेस के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। अखबारों को बन्द कर दिया गया और अखबार वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया और उनके परिवार वालों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहती हूं कि प्रेस हमारा सशक्त मीडिया है, उस मीडिया को निष्पक्ष और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जावे, उनके लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया जावे और विशेष रियायतें दी जावें ताकि प्रेस निष्पक्ष मीडिया बन सके।

सभापति महोदय, मेरा यह भी अनुरोध है कि भूतपूर्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचार के कारण हैं उनको उचित सजा मिल सके और हमारी जनता हमसे इंसाफ की मांग कर रही है उसे महसूस हो कि सरकार ने उनके साथ न्याय किया है और आने वाले समय में कोई सरकार ऐसा पागलपन न कर सके जो उन्होंने किया है।

सभापति महोदय, सरकारी अफसरों को कार्पोरेशन्स और बोर्डों में अध्यक्ष बनाया गया है, वे अध्यक्ष बने हैं और आज भी बने हुए हैं। मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से जनता सरकार से कि इन अध्यक्षों को हटा कर जन प्रतिनिधियों को अध्यक्ष बनाया जावे। ये बोर्ड हैं–राजस्थान केनाल बोर्ड, विद्युत मण्डल और रोडवेज निगम, आदि जिनके अध्यक्ष सरकारी अफसर बने हुए हैं। मैं चाहूंगी कि इनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और इन अध्यक्षों को हटा कर जन प्रतिनिधियों को इनका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये।

(सुश्री पुष्पा जैन)

इन्हीं सुझावों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करती हूं और अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपाल सिंह जी।

श्री गोपालसिंह (आहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान की सर्वांगीण उन्नति का पूरा ध्यान रखा है और इस प्रदेश की जनता को उन्नति की तरफ ले जाने में पूरा सहयोग दिलवाने का आश्वासन दिया है। मैं अपदस्थ सरकार के बारे में कह कर बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि हमारे साथी विधायक इस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं। समय बहुत कम दिया जाता है और कहने के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं सिर्फ सरकार को यही निवेदन करूंगा कि इन व्यक्तियों के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष जांच आयोग नियुक्त किया जाय। जो पिछले 19 महीनों में दोषी पाये जाएं उनको दंडित किया जाए, और जो निर्दोष रहे हैं उनको बाइज्जत रिहा किया जाए।

मैं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से से आया हूं। वहां पर सब से बड़ी समस्या जो हमारे सामने है, वह पीने के पानी की है। आदमी कुछ दिनों के लिए खाना खाये बिना रह सकता है लेकिन पानी बहुत ही आवश्यक है और पानी बिना वह अपना समय नहीं बिता सकता है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग तालाब से पानी पीते हैं। अपने गांव से 5–7 मील दूर जाकर पानी लाते हैं और उस पानी को काम में लाते हैं। तालाबों का पानी अनहेल्दी है। बहुत तरह की उसमें गंदगी होती है। इस तालाब के पानी में गिनी वॉर्म रहते हैं, जिसे हम नारू कहते हैं। तालाब का पानी पीने से वहां किसानों पर नारू का प्रकोप रहता है। यह नारू का प्रकोप वहां पर प्रचंड रूप से है। खास तौर से यह नारू की तकलीफ उस समय होती है, जब किसानों का खेती का समय होता है। ज्यादातर इलाके में एक बार ही खेती होती है। जब वर्षा का मौसम आता है, खरीफ का मौसम आता है, तो उस खेती के समय किसान को यह नारू का प्रकोप तकलीफ देता है। वह खेती के काम पर नहीं आ पाता है। वह अपंग हो जाता है। इस तरह किसान अपनी खेती से महरूम रह जाता है। यह बड़ी जटिल समस्या है। पश्चिमी राजस्थान में आज भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, परन्तु इस नारू के प्रकोप के कारण उनका पैर खराब हो गया है, या हाथ खराब हो गया है। इस कारण वे बेकार बैठे हैं और वे कोई दूसरा काम करने लायक नहीं रह गये हैं। अपने घर पर बोझ बन कर वे बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम आने वाली पचवर्षीय योजनाओं में जहां तक हो सके पीने के पानी की समस्या को पश्चिमी राजस्थान में से समूल नष्ट कर दिया जाये और हर गांव में कम से कम पीने के पानी की सुविधा दी जाये जिससे लोग नारू के प्रकोप से पीड़ित होकर

(श्री गोपाल सिंह)

घर पर बोझ बन कर बैठ जाते हैं, वह न हो।

सभापति महोदय, जहां कहीं भी अपंदस्थ सरकार ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है, वहां पर भी वह योजना सुचारु रूप से नहीं चल रही है। वहां के लोगों को पानी सुचारु रूप से नहीं मिल रहा है। कहीं पर पाइप लाईन टूटी हुई है। कहीं रास्ते में तालाब भरा हुआ है इस कारण जिस गांव में पानी पहुंचना है, वहां के लोग घंटों इन्तजार करते रहते हैं इस आशा से कि उन्हें नल से पानी मिलेगा। वहां के लोग दोनों तरफ से महरूम रह जाते हैं। न तो उन्हें नल से पानी मिल पाता है और न वे 4–5 मील दूर जाकर गांव से पानी ला सकते हैं, ले पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का भी हल निकालने का जनता सरकार कष्ट करे। जो पम्पिग सैट्स लगे हुए हैं वे अगर टंकी भर जाती है तो खराब हो जाते हैं। उनकी मरम्मत समय पर नहीं हो पाती है। आज खराब हो गया तो 15 दिन तक गांव में पानी नहीं पहुंचता है। कहीं ऐसा भी होता है कि पंपिग सैट 8 घंटे चलना चाहिए, लेकिन 4 घंटे ही चलता है और लोगों को पानी कम मिलता है। ऐसी गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं। पानी के साधन जहां जहां हो चुके हैं, वहां पर लोग यह सोचकर कि हमें पानी मिलेगा, न तो ढोल रखते हैं और न ही दूसरी चीज़ें। ऐसी हालत में उनकी हालत यह हो जाती है कि न तो वे इधर के रहते हैं और न वे उधर के रहते हैं। मेरा सुझाव है कि जहां कहीं भी पम्पिग सैट्स लगे हुए हैं जहां तक हो सके सरकार उनको इलेक्ट्रिफाई कर दे, टंकियों पर बिजली पहुंचा दे। इससे कम से कम इस बात की कमी तो दूर होगी कि नल डीजल इंजिन खराब हो जाने के कारण नहीं चल रहा है। डीजल इंजिन को ठीक करने में समय लगता है इसलिए पानी नहीं पहुंचता है। 4 घंटे पानी देकर 8 घंटे बताया जाता है। इससे इन सब बातों का हल निकल आयेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी पेय जल की योजनाएं पूरी कर दी गई हैं वहां पर कम से कम सुचारु रूप से पानी मिलने लगेगा।

सभापति महोदय, हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। गांवों का मुख्य धन्धा खेती है। खेती ही उनका मुख्य आधार है। आप देखेंगे कि गंगानगर जिले में रेत के टीले हैं, रेतीली जमीन है लेकिन वहां पर उसका हल निकल चुका है। वहां पर पानी प्रचुर मात्रा में कैनाल्स से लाया गया है। इसलिए वहां का किसान रेतीली जमीन पर खेती करके सम्पन्न हो गया है। इसे हम हिन्दुस्तान का पंजाब कह सकते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी ट्यूब वेल खोदना संभव हो सरकार की ओर से वहां पर ट्यूब वेल्स खुदवाये जायें। इसको प्रमुखता दी जाये और दूसरी चीजों में कमी करके ट्यूब वेल्स खुदवायी जाएं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाये जायें जिससे ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती हो सके, जो जमीन बेकार पड़ी रहती है, उसका उपयोग हो और जो जमीन बेकार पड़ी रहती है पानी के अभाव में उसमें खेती होने लगे। इससे पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा जो

(श्री गोपाल सिंह)

पिछड़ा हुआ है, वह हरित क्रान्ति से लहलहाने लगेगा। सभापति महोदय, इस इलाके में कई बरसाती नदियां निकलती हैं। इन नदियों पर पहली सरकार ने छोटे छोटे बांध बनाये हैं। कहीं पर बड़े बांध बनाये। इससे हालत यह पैदा हो गयी कि जिस नदी से कई बड़े इलाके इरिगेटेड होते थे, फायदा होता था, वहां पर चंद इलाकों में कुछ गांवों को ही यह फायदा मिलने लगा और नीचे के कुए खाली हो गये। वहां पर हमेशा के लिए खेती मर गई। आइन्दा के लिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार को दरख्वास्त करूंगा कि बड़े बांध, बड़े प्रोजेक्ट्स उन्हीं नदियों पर बनाये जायें जो बारह महीने बहने वाली हों। जहां ज्यादा पानी आता हो। बरसाती जो नदियां हैं, वहां पर सिर्फ एनीकेट बनाये जायें और उसके पानी को बाहर निकाल दिया जाए, जिससे आसपास के खेतों में किसानों को सिंचाई का साधन देता हुआ वह पानी दूसरी नदियों में गिरे। इस तरह से नीचे के कुए में भी पानी पहुंचेगा और इन नदियों के पास बसे हुए गांव वालों के खेतों में खेती हो सकेगी। वह खेती सस्ती और आसानी से होगी और इस तरह से खेती करने का खर्चा बहुत ही कम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है, मगर समय बहुत कम दिया जा रहा है। मैं संक्षेप में अपने विचार प्रकट कर देता हूं।

हमारे यहां बहुत बांध हैं। देवाई बांध भी है। हमारे यहां यह होता है कि जब पानी देने के लिए मीटिंग होती है तो उसमें जो तय किया जाता है, वह कागजों पर ही रह जाता है। जब पिलाई शुरू होती है तो होता यह है कि लोगों का पैसा बरबाद होता है। उन लोगों के पास जो बीज होता है, वह वे खेतों में डाल देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से विनती करूंगा कि आयन्दा से जो मीटिंग में तय किया जाये उसका पालन सही रूप में किया जाये। वह लोग बीज में खर्चा करते हैं, खाद में खर्चा करते हैं फिर भी उनको पानी नहीं दिया जाता है।

राजस्थान कैनाल के बारे में मैं एक बात, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा। इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में पानी नहीं आता है...

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपालसिंह : राजस्थान कैनाल को बनते काफी समय हो गया है। जो लोग इसमें लगे हुए हैं, या तो वे इस काम को नहीं कर पा रहे हैं या वे लोग मेहनत की कमाई का पैसा उठा कर अपने बंगले बना रहे हैं। इसलिए उनको हटाकर अच्छे और ईमानदार आदमियों को काम पर लगाया जाना चाहिए।

आज बिजली एक आवश्यक वस्तु बन गई है। आप जो भी पानी देते हैं खेत को उस का पैसा देना पड़ता है। इसलिये जहां तक हो सके किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाये। यह उत्पादन बढ़ाने में मददगार होगी।

(श्री गोपाल सिंह)

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

जितना पैसा खर्च होगा वह वसूल होगा। बिजली पर आखिर पैसा खर्च करना होगा। बिजली से चलने वाली कई चीजें हैं जैसे आरा मशीन है और कई चीजें हैं उनकी छोटी-छोटी इण्डस्ट्री लगाई जा सकती हैं। हमारा जो मैनीफेस्टो है····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री गोपालसिंह : कहने को तो बहुत था, सभापति महोदय, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इन सारी चीजों पर असर करता है। इसलिये मैं इस अभिभाषण का तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। विरोधी दल के माननीय नेता ने जनता पार्टी के घटकों के बारे में कहा है। उन्होंने हमारे नेता माननीय चौधरी चरणसिंह और बाबू जगजीवनराम जी के बारे में कहा है। उनके शब्दों में कोई खुशी की बात पैदा नहीं हुई है। सभापति महोदय, यही तो इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई थी कि चाहे कोई भी सरकार होगी वह आगे कभी ऐसा नहीं कर सके जैसा इस देश में लोकतन्त्र को समाप्त कर तानाशाही को स्थापित किया गया। लोकनायक ने यह नारा दिया था कि इस देश की जनता क्या चाहती है, लोकतन्त्र चाहती है या तानाशाही चाहती है? आज इन्दिरा ही इण्डिया नहीं है। जो उनके मुंह से शब्द निकलते थे, वही कानून बन जाते थे। हमारे प्रधान मंत्री भी बोलते हैं तो अन्य लोग भी बोलते हैं। लोगों की राय ली जाती है। इसलिए मैं इसको श्रेष्ठ लोकतन्त्र मानता हूं। विरोधी दल के नेता उस दल में रहे हैं जिसके द्वारा नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा किया गया था तो उस समय अन्तरात्मा की बात करके, अन्तरात्मा की आवाज की बात करके देश की कांग्रेस ने, न केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपितु अधिकांश कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमन्त्री की कुर्सी के दबाव में आकर अपनी अन्तरात्मा का रूप दिखाया था। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, कि अगर अन्तरात्मा की आवाज होती तो रेड्डी साहब के चुनाव का जिन्होंने विरोध किया था आज उन्हीं के द्वारा उनका चुनाव सर्वसम्मति से नहीं किया जाता। इससे यह साबित होता है कि उस समय इन्दिरा गांधी के दबाव के कारण लोगों ने उनका साथ दिया था। उनकी अन्तरात्मा की आवाज नहीं थी। वह इन्दिरा गांधी का दबाव और धौंस थी। विरोधी दल के नेता का ऐसी बात कहने का स्वभाव हो गया है। आज हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति अपना छोटा सा स्टेटमेण्ट दे सकता है। चुनाव में इस प्रकार का वातावरण बना है कि उन्होंने वन पार्टी और वन लीडर के सपोर्ट में काम किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के नेता कोई स्टेटमेण्ट देते हैं तो

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उससे कोई तानाशाही नहीं हो सकती है।

इस बात से मैं कुछ हद तक इत्तिफाक करता हूं कि अगर राजनारायण पिटीशन नहीं करते और श्रीमती इन्दिरा गांधी पिटीशन में हारती नहीं तो शायद इस देश में आपातकालीन स्थिति पैदा होने की बात ही नहीं होती। किसी हद तक उनका फर्माना सही हो सकता है। राजनारायण को न्याय मिला उससे सबसे बड़ी बात यह हुई कि विरोधी दल का सफाया करने के लिए इमर्जेन्सी लागू की गई। अगर राजनारायण पिटीशन नहीं करते तो इमर्जेन्सी लागू नहीं की जाती, इस हद तक मैं विरोधी दल के नेता से सहमति प्रगट करता हूं। आज कोई भी कांग्रेसी, माननीय सभापति जी, अगर चुप हैं तो इसलिए कि आपातकालीन स्थिति के दौरान इस देश के अन्दर श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के साथ वे अपना नाम जोड़ते रहे और आज वे कतराते हैं क्योंकि जनता उनसे नफरत करती है। आपने देखा होगा कि सारे कांग्रेसी लोग एक मत से उनका समर्थन करते रहे। जो भी केन्द्र से आदेश निकलते थे उन आदेशों का रैली के द्वारा, जोरदार शब्दों के द्वारा, पैम्पलेट और मीटिंगों के द्वारा जो लोग प्रचार करते थे, और श्रीमती गांधी की नीतियों का समर्थन करने में अग्रसर रहते थे, उनका हमको विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को तानाशाह बनने की तरफ अग्रसर किया और आंख मीचकर उनके पीछे चलते रहे और उनके हर आदेश को कुरान की आयत और गीता का श्लोक समझ कर पालन करते रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के किसी भी नेता के रैली में दिये गये भाषण, किसी भी मीटिंग में या उद्घाटन में दिये गये भाषणों की पब्लिक रिलेशन आफिस से जो प्रकाशित किताबें या पैम्पलेट निकले उनको यदि पढ़ा जाय, उसमें बीस-इक्कीस सूत्री कार्यक्रम, श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के नाम जोड़े बिना अपना भाषण देने की बात या हिम्मत किसी ने नहीं की। कोई भी यह साबित कर दे कि इन तीन नामों को जोड़े बिना ही भाषण दिया है, अगर कोई कांग्रेसी नेता इस बात को कहने के लिए तैयार हो तो मैं समझता हूं, हो सकता है कि उन्होंने उनका समर्थन कम किया लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जैसे हर भजन पर सन्तों की छाप है उसी प्रकार से श्रीमती 'इन्दिरा गांधी', 'बाबू संजय गांधी' और 'बीस सूत्री कार्यक्रम' उनको साथ–साथ बोलने पड़े। मैं आपके लिए यह भी निवेदन कर दूं, माननीय सभापति जी, आपातकालीन स्थिति के दौरान जिन लोगों का जैसा रोल था वे लोग डर जरूर रहे हैं नहीं तो, माननीय सभापति जी, ब्रह्मानन्द रेड्डी जब कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और राय साहब लड़े थे उनको बहुत कम वोट मिले। सामन्तवादी, प्रतिक्रियावादी, और पूंजीवादियों का व्यक्ति कहते थे ब्रह्मानन्द रेड्डी को, ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको सबसे बड़ा अनुभव मिला। उन्होंने अपना स्टेटमेन्ट दिया कि यह जीत श्रीमती इन्दिरा गांधी की जीत है इसलिए आज भी

(श्री मूलचंद सामरिया)

माननीय सभापतिजी, कांग्रेस वही है जो पहले थी। इसलिए कभी भी जनतन्त्र को खतरा इनसे हो सकता है। जनता पार्टी की जहां तक बात है, जनता के प्रति किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिये, जनतन्त्र रहेगा तो सरकार बन सकती है और बदल भी सकती है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूं कि कांग्रेस के साथियों ने दलित वर्ग को उछालने की कोशिश की है, वह सिर्फ इसलिए कि जो अन्याय और अत्याचार अब तक उनके साथ उन्होंने किये, गरीब वर्ग के साथ, शोषित वर्ग के साथ, दलित और भूखे नंगे लोगों के साथ, उनकी अब वह सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह आसानी से पार पड़ने वाली बात नहीं है, यह केवल प्रोपेगेण्डा है। कांग्रेस सरकार में जो बलात्कार, अन्याय ज्यादतियां और हत्याएं की गईं उस समय उन खबरों को दबाया जाता था, ब्लेक मेल किया जाता था, लेकिन जनता सरकार के बनने के बाद अगर कहीं पर ठोकर भी लग जाती है तो यह कहेंगे कि सड़कें ठीक नहीं हैं इसलिये लग गई। इस तरह से जो लोगों के अन्दर मनमुटाव पैदा करते हैं वे तुच्छ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए हरिजनों और सवर्णों के बीच में मनमुटाव पैदा न करें और अगर करते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य है।

माननीय सभापति जी, मैं एक बात और निवेदन करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्य सरकार .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Two minutes. Two minutes......

श्री सभापति : यह टाइम सदन का है; मैं हर दल के सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्य को आगाह करें कि कितना टाइम लेना है। अभी 12 मिनट लिये जा चुके हैं।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : सभापति महोदय, जिन सदस्यों को समय नहीं मिला अब उनको समय देना चाहिए।

श्री सभापति : यही मैं निवेदन कर रहा हूं। अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी पार्टी का झगड़ा है, आप तय करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति जी, तीन मिनट का समय और दिया जाय।

श्री सभापति : इस तरह से हर सदस्य कहेगा तो सबको, जिनका नाम लिस्ट में है, समय नहीं मिल सकेगा। जल्दी समाप्त कर दें।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में गांव, तहसील और जिले का अनुपात ठीक ढंग से नहीं है इसलिये उनका पुनर्निर्धारण होना चाहिए। श्रीमान्, कांग्रेस सरकार ने और जगह सिंचाई के साधन बढ़ाये हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में नहीं। इसलिये जमवारामगढ़ के बंधे से भी

(श्री मूलचंद सामरिया)
सिचाई कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दौसा कालेज राजस्थान के तीन बड़े कालेजों में से है, इसको पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाया जाना चाहिए। वहां पर आर. एस. ई. बी. के एक्स.ई.एन. का आफिस होना चाहिए, कोआपरेटिव के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का आफिस होना चाहिए, जिला पशुपालन अधिकारी का आफिस होना चाहिए।

चूंकि मैं समझता हूं कि मिलिट्री के अनुशासन जैसा सभापति महोदय का आर्डर है इसलिए समय से पूर्व ही मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जयकृष्ण शर्मा। आपके दल का समय एग्जास्ट हो चुका है लेकिन आपको दस मिनट दिये जाते हैं।

श्री जय कृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपातकाल की इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें कही गई हैं कि उनको छोड़कर पढ़ा जाए तो राजस्थान के बारे में इस अभिभाषण में कोई बात पूरी तरह से नहीं कही गई है। आपातकाल के बाद पूरे देश में नए-नए आयोग गठित किए गए, शाह आयोग गठित किया गया, यहां पर कानसिंह आयोग गठित किया है। आपातकाल के नाम पर जनता सरकार ज्यादा दिन तक अपना काम नहीं चला पाएगी। जनता पार्टी की सरकार को, जो उसने जनता के साथ वायदे किए हैं, पूरे करने होंगे। आपातकाल की बात कहकर जो शाह आयोग गठित किया गया, उसकी रिपोर्ट का क्या करते हैं, यह आपकी सरकार पर निर्भर है। परन्तु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के जनतंत्र में इस बात को न भूलिए कि पिछली सरकार ने भी आयोग गठित किए थे कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के विरुद्ध एक बीजू पटनायक के विरुद्ध और दूसरा बादल के विरुद्ध। भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से कोई आयोग गठित किया जाए और उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाला जाए तो यह गलत परम्परा होगी। इसलिए आयोगों को गठित करने से पहले, जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट करने की बात करने से पहले, आप इन बातों को सोच लें, आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आज भारत सरकार को जार्ज फर्नांडिस के केस में फैसला देने का क्या अधिकार था? क्या जल्दी थी? जुडिशियरी से इसका फैसला कराते, परन्तु आपकी कथनी और करनी में अन्तर है।

कुछ माननीय सदस्य विपक्ष में बैठते थे, आज वे संसद सदस्य हैं, विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। जब कुछ निर्दलीय सदस्यों ने दल बदला था तो उस समय कांग्रेस से पूछा था कि कितने में ये घोड़े खरीदे हैं। जिन लोगों ने आपातकाल में इन्दिरा का गुणगान किया, लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रम की जो वकालत करते थे, आज वे ही लोग आपके मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं, आपने उनको टिकट दिया, यह आपके सोचने की बात है। मुझे ख्याल आता है कि जिस समय जनता पार्टी में हमारे कृषि मंत्री सम्मिलित हुए थे उस समय हमारे सदन के नेता मुख्य मंत्री इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली के लिए रवाना हुए

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

थे कि वह पी. ई. सी. का सदस्य नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचारी बैठे थे। यह बात राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कही है। अलवर में जलूस निकला, लोगों ने हाय हाय के नारे लगाये। लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचारी आदमी को जनता पार्टी में नहीं लेना चाहिए, परन्तु जैसा मैंने कहा विपक्ष में बैठकर निर्दलीय विधायकों को ढोर की संज्ञा दी गई थी, तो आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आपको देखना होगा कि कोआपरेटिव में जो बड़े बड़े गबन करने वाले कांग्रेस सरकार के जमाने में रहे, वे आपके चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वे अवसरवादी, भ्रष्टाचारी सरकार के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच लीजिए क्योंकि एक भाई ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से अब वे जनता पार्टी में आ गये इसलिए शुद्ध हो गये, उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, वे शुद्ध हैं। वह एक विशेष वर्ग से आए हैं। मैं कहता हूं कि आप उनसे इस बात से नाराज नहीं थे कि वह कांग्रेस में भ्रष्टाचारी थे, परन्तु इस बात से नाराज थे कि आप मंत्रिमंडल में उन लोगों को रखना चाहते हैं जो व्यापारियों, तस्करों की हिफाजत करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लेना चाहते हैं। आपके जनता पार्टी के साथियों की, जो तस्करों के हिमायती हैं, अलवर के अन्दर मीटिंग हुई सुगना बाई धर्मशाला में। उसकी सदारत कर रहे थे राजस्थान के कृषि मंत्री। उनसे पूछा गया कि दो लाख का हिसाब···

श्री सम्पतराम (कृषि मंत्री) : इस तरह का अनर्गल और मिथ्या प्रचार करना माननीय सदस्य के लिए शोभनीय नहीं है। मैं 8 साल तक सरकार में रहा था उस समय सदन में, सदन के बाहर प्रेस में भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। मैं इस संगठन में भी हर समय टिकट का हकदार रहा, कोई शिकायत नहीं थी। उस समय एक बार सरकार में आने के मौके पर कुछ लोगों ने, जो स्वयं भ्रष्ट हैं, मेरे विरुद्ध शिकायत की थी, उस समय के मुख्य मंत्री ने भी शिकायत की थी लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कैबीनेट में रिजोल्यूशन पास करवाकर मुझे कैबीनेट रैंक देकर हैंडलूम बोर्ड का चेयरमैन बनाया। अगर आपकी बातों में सच्चाई होती तो उस समय क्यों मुझे मान्यता देते ? इसलिये धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिये, मैं न उस मीटिंग का अध्यक्ष था न इस प्रकार की बात मीटिंग में हुई। हमारे दल के बारे में कोई चिंता आप न करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आप रचनात्मक बात कहें जिससे हमारा राज आगे जाए। मैं आपका ध्यान नियम 273 की तरफ···

श्री मूलचन्द डागा : 272।

श्री सभापति : नियम 273 में है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध-रोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो। इसलिए मैं इस संबंध अधिक चर्चा करने की अनुमति नहीं देता।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरा आरोप व्यक्तिगत नहीं है। जब मैं व्यक्तिगत आरोप लगाऊंगा तो आपको पूरे आंकड़े देकर, जैसा आपने कहा, पेश करूंगा और आपसे पूर्व अनुमति लेकर बात करूंगा।

श्री सभापति : अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, किसी दूसरे नियम में आता है तो आप उठा सकते हैं लेकिन इस विषय पर अधिक चर्चा की अनुमति नहीं है, आपका 10 मिनट का समय है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने केवल यह बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ मेरी पार्टी में। मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसी घटना नहीं हुई तो मैं सदन से इस्तीफा दे सकता हू या सदन में सम्पतरामजी माफी मांग लें और दो लाख···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप वरिष्ठ सदस्य होते हुए भी यह नहीं महसूस करते कि एक बार आसन से व्यवस्था दे दी गई उसके बाद में उसी बात पर आपका इन्सिस्ट करना अच्छा नहीं है।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। उस समय जो जनता पार्टी की मीटिंग हुई, जो अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में इस प्रकार का कोई लांछन नहीं लगाया गया।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो मिनट।

श्री सभापति : आपको 10 मिनट रियायत के तौर पर दिए गये थे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुझे कन्क्लूड करने दिया जाए।

जहां तक रीतियों और नीतियों का सवाल है, आप उसकी बात न करें। स्कूल खोलने होंगे तो पार्टी के बेसिस पर खोलेंगे दो तीन मील की दूरी का भी ध्यान न रखेंगे। इन 30 दिनों के समय में चाहे कृषि उपज मंडी हो, मैंने सदन के नेता से कहा था कि प्रजातंत्र को कायम रखना चाहिए, उन्होंने हंसकर जवाब दिया था कि मैं इस बारे में जानकारी करूंगा। तो आप रीति नीति की क्या बात करते हैं। अभी माननीय सदस्य सामरिया कांग्रेस की रीति नीति की कुछ बातें कर रहे थे, उस समय सवाल पैदा नहीं हुआ कि वह कहां से बोल रहे थे परन्तु, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अगर विरोधी पक्ष की बात नहीं सुनें तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके बारे में कौन कहेगा। आप रीति नीति की बात करते हैं। मंत्रीजी ने अपने इलाके में एक तहसीलदार को 15 दिन पहले ट्रांसफर किया। क्या नीतियों की बात कहते हैं····

श्री सम्पतराम : मुझे बड़ा अफसोस है, इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद भी यह आपको ज्ञान नहीं कि तहसीलदार का ट्रांसफर कौन करता है। राजस्थान में ट्रांसफर की पावर चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड को है। आप इस बात को कैसे भूल गए कि जहां तक अपने जिले में ट्रांसफर करने की बात है····

Page No. 67

(67)

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह पहले की बात नहीं है। अभी की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मंत्री जी से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का जवाब वह उस वक्त दें जब कि गवर्नमेंन्ट की तरफ से उत्तर आये।

श्री रामकरणसिंह : आपका समय दस मिनट है। आप हमें सहयोग करें।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, मेरे दल को सवा घन्टा दिया है। अभी दो व्यक्तियों को दस दस मिनट मिले हैं। बाकी का समय हमें मिल सकता है।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय। मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला हूं।

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा। आप अपनी पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं।

श्री रामकरण सिंह : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया है इस मौके पर आपने जो मुझे बोलने की इजाजत बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक दी है। मैं आपके सम्मुख कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण यहां पर पढ़ा उनके भाषण पढ़ने के उपरान्त मुझे कुछ अजीबो गरीब बातों का अनुभव हुआ। भाषण पढ़ने के पहले मुझे कुछ और आशायें थीं पर भाषण पढ़ने के बाद मुझे कुछ अलग ही अनुभव हुआ। वसे आज से 20 साल पहले भी मैं इस विधान सभा का सदस्य था उस वक्त भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण यहां हुआ करते थे। इस प्रकार के रंग की ही पुस्तकें होती थीं, ऐसे ही कागज होते थे पर फर्क सिर्फ इतना हो गया कि पहले कांग्रेस सरकार की तरफ से होता था अब दल दूसरा हो गया है। लेकिन भाषण के अन्दर बात वही की वही है। सभापति महोदय, जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा था कि सिर्फ बोतल बदल गयी है पर शराब वही की वही है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि न बोतल बदली है न शराब बदली है। बोतल भी वही है और शराब भी वही है।

मैं जनता पार्टी के सदस्यों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आप उत्तम भावनाओं के साथ काम करना चाहते हैं, यह ठीक है, पर आपको विवेक से ही नहीं, धैर्य से, बहुत ही शान्ति से और सोच समझ कर काम करने की जरूरत है। आप इस राजस्थान के मानस को टटोलें, और उसके बाद में आप अपने मंत्रिमण्डल को देखें, उसे टटोलें और फिर देखें कि कहीं उसमें कोई कलंक तो नहीं है। यह भी देखें कि यह स्वच्छ है या नहीं। अगर इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों को भी इस विधान सभा के प्रांगण में वह दिन देखना पड़ेगा जो कि मेरे चारों तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों को देखना पड़ रहा है। अगर आप लोगों ने हवा में बातें करना नहीं छोड़ा तो आपको भी इधर बैठने का दिन देखना पड़ेगा। मैं भी 15–20 साल तक स्टेज पर बोलता रहा। 15–20 साल बोलने के अनुभव के आधार पर मेरा निवेदन है कि अगर आपने हवा में बातें

(श्री रामकरण सिंह)
करना नहीं होता तो आप सभी जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को यही दिन देखना पड़ेगा जो कि मेरे चारों ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों को देखना पड़ा है...

श्री मूलचन्द डागा : आप इन्हें अच्छी तरह समझाओ। ये यों नहीं समझने वाले हैं, चिकने घड़े हैं।

श्री रामकरणसिंह : जनता पार्टी के सदस्यों, मैं आप लोगों को बहुत ही विनम्रता से, बड़े प्यार से, स्नेह से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी निर्णय यहां पर लिये गये उनके कारण आज मेरे चारों तरफ जो इर्द गिर्द बैठे हैं चाहे शर्म से, चाहे संतोष से, चाहे मन में इन्हें गुस्सा भी आता हो क्योंकि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट आये तो इनमें से एक व्यक्ति उछल कर दूसरी तरफ जा बैठा और मंत्री बन गया। उसकी तो हालत ऐसी हो गयी जैसे कि एक बन्दर बन्दरों के झुण्ड में से उछल कर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और आम चूसता है और दूसरे बन्दरों को गुठली भी हाथ नहीं आती जिसको देखकर दूसरे बन्दरों के दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन मेरा जनता पार्टी के सदस्यों को निवेदन है कि वह धैर्य और शान्ति से काम करें।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में खेती के बारे में कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज चारों तरफ बरसात हो रही है और अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गयी है। बरसात के कारण लोगों के घर टूट गये हैं, पानी भरा हुआ है, मच्छर बहुत हो गये हैं और मलेरिया फैल रहा है। लोगों की स्थिति ऐसी है कि उनके घर टूट गये हैं मकानों के ऊपर से पानी पड़ रहा है जिससे कि उनको बहुत दिक्कत हो रही है। लोग न सो सकते हैं रात को न दिन को बैठ सकते हैं। उनके पशु मर रहे हैं और पशुओं को कोई भी देखने वाला नहीं है। लोगों की हालत ऐसी है बरसात में जैसे कि बन्दर और बन्दरिया अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपकाये बैठी हो। यहां राज्य सरकार को उन लोगों के दुःख दर्द सुनने की फुरसत नहीं है। राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि बरसात अच्छी हो रही है जिससे फसल अच्छी होगी। पर मेरा निवेदन ऐसा है कि पानी इतना पड़ गया है कि खेती के पैदा होने की कोई गुन्जाइश तक नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से उस एरिया के लोगों की हालत को देखने वाला कोई है? आप कहते हैं, पानी बहुत बरस रहा है, खेती अच्छी होगी तो गले तक पानी भरा होगा तो भी अच्छी होगी? खेती का एक दाना भी तो जमा नहीं है। सारा चौपट हो गया है। आप बड़े अधिकारियों को भेज कर मुलाहिजा तो कराइये। लोगों के आने-जाने के रास्ते नहीं हैं। मैंने प्रश्न पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव भेजा पर उसके लिये आपने कोई कार्यवाही नहीं की, हमें बोलने का अपने समय तक नहीं दिया। उस स्थगन प्रस्ताव को आपने राज्य सरकार के अधिकारियों के पास तक भी नहीं भेजा। आपने तो सिर्फ यह कह दिया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त अपने विचार प्रकट कर दें।

(श्री रामकरणसिंह)

मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम उस जनता के बारे में, उसके अधिकारों के बारे में यहां बोल तक नहीं सके। अगर, सभापति महोदय, आप कोटपुतली में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि बरसात के कारण कोटपूतली में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जो दफ्तर है वह सारा का सारा जलमग्न हो रहा है। पंचायत समिति के कार्यालय के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लोग वहां पर जा नहीं सकते। वहां से कोई फाइल तक नहीं ला सकते। ऐसी स्थिति में वहां क्या काम हो सकता है? लोगों के मकान गिर रहे हैं, लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है बरसात के मारे और आप कह रहे हैं कि फसल बहुत अच्छी होगी। लोगों के गले तक पानी भरा हुआ है, देखते हैं कैसे फसल अच्छी होगी। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि आप अपने मानस को बनायें, आप देखें वहां जाकर कि क्या हालत हो रही है? मैं समझता हूं कि वहां पर अगर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो वहां की जनता बरबाद हो जायेगी। जनता पार्टी गरीबों की हिमायती बनती है लेकिन इसके राज्य में आज जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। सभापति महोदय, राजस्थान में बरसात अधिक होने से 'पनिया काल' पड़ेगा और जनता बीमारी से बरबाद हो जायेगी। आज मेरे कोटपूतली में भयंकर मलेरिया फैल रहा है:...

श्री सम्पतराम (कृषि मन्त्री) : मैं माननीय सदस्य की भावना की कद्र करता हूं। आप इसके लिये कोई कन्सट्रक्टिव सुझाव देना चाहें तो दे दें, यह बरसात तो भगवान की देन है। इसके लिये आपका क्या सुझाव है?

श्री सभापति : अगर कोई कन्सट्रक्टिव सुझाव नहीं हो तो क्या आप जबरदस्ती पैदा करेंगे?

श्री सम्पतराम : मैं माननीय सदस्यों की वेदना को समझता हूं।

श्री रामकरणसिंह : माननीय मन्त्री महोदय कुछ ही दिनों पूर्व कोटपूतली गये थे और उस जगह भी गये थे जहां पानी आज भी भरा हुआ है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साथी चल बसे थे उसकी बैठक में गये थे। मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन तो आप चले गये...

श्री सम्पतराम : मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सदस्य को, शायद आपको यह पता नहीं है कि मैं कौन सी तारीख को गया था। अगर तारीख को आप याद करेंगे तो उस समय बारिश की यह स्थिति नहीं थी। उस समय तो लोग खेती बोने में लगे हुए थे।

श्री रामकरणसिंह : वहां स्थिति यह है कि उस स्थान पर आज जा नहीं सकते। उस स्थान पर जाने के लिए शायद आपको नंगे होकर जाना पड़ेगा। कपड़े पहन कर वहां नहीं जा सकते। जिस मोहल्ले में गये थे उस मोहल्ले में पचास प्रतिशत घर तो नष्ट हो गए। इसके लिए कई सुझाव हैं वे सुझाव आज नहीं बल्कि 20 वर्षों से चल रहे हैं लेकिन इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि आप पहले भी इधर बैठकर हम

(श्री रामकरण सिंह)

सुझावों को सुनते रहे और आज भी इधर बैठकर इन सुझावों को सुन रहे हैं। इसके लिए एक स्कीम बनाई गई थी। इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने उसका सर्वे किया है। उसका प्रोग्राम बना दिया और तखमीने बनाने के बाद भी आज तक कोई देखने नहीं गया। कासला से लेकर कोठ की नदी तक पचासों गांवों में इस प्रकार का असर पड़ा है। वहां पर पानी भरा हुआ है। चूल्हा नहीं जला सकते और रोटी नहीं पका सकते। अब उस हालत में मच्छरों का क्या हाल होगा, महामारी का क्या हाल होगा और कोलेरा का क्या हाल होगा? जब यह बीमारियां फैलेंगी तो उनके लिए तो आप रुपया खर्च कर देंगे लेकिन 50–60 हजार की कोई योजना नहीं बना सकते।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक ही झंझट में उलझ गया था। मुझे थोड़ा टाइम और दें। मैं ऐसे झंझट में फंस गया कि निकल ही नहीं सका।

मैं अर्ज कर रहा था कि इमर्जेन्सी के लिए जनता पार्टी के सदस्यों ने जो भी दोष लगाये वह सही हैं। साथ ही राज्यपाल महोदय का कहना भी सही है कि इमर्जेन्सी का दिन नहीं आता तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर नहीं जाना पड़ता और आज भी कांग्रेस का राज्य होता। मैं इस बात को मानता हूं कि आप लोगों को सत्ता इमर्जेन्सी की गिफ्ट के रूप में मिली है। जेल मिला तो राज्य मिला, इसमें क्या बड़ी बात हो गयी। यह अच्छी बात है। आप का घड़ा इनका जल्दी भर गया।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

आर. एस. आर. 244 (2) में, सभापति महोदय, यह बहुत सोचने की बात है कि 25 वर्ष में सर्विसेज में से केवल 150 आदमियों को हटाया गया और इमर्जेन्सी के टाइम में केवल 25 दिनों में ही 3000 लोगों को हटाया गया। वह किस तरह से हटाया? किसी को कह दिया कि देशद्रोही है और किसी को कह दिया कि क्योंकि तुमने जनसंघ में जाने की या संघ में जाने की प्रवृत्ति बना ली है इसलिए तुमको सर्विस में नहीं रखा जाता है। अधिकारियों ने और नेताओं ने व्यक्तिगत बैर निकाले हैं। उन तीन हजार व्यक्तियों को किस तरह से निकाला इसके ऊपर विचार करना चाहिए। साथ ही इनमें से बहुत से लोगों को ले लिया। अब केवल 860 आदमी रह गये हैं। तो मैं चाहूंगा मौजूदा सरकार की तरफ से 860 आदमियों के खिलाफ यदि किसी प्रकार के एलीगेशन्स निकलते हैं तो दूसरी बात है लेकिन सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप उनको भी एक बार सर्विसेज में ले लें और फिर छटनी कर लीजिए और इन्क्वायरी बैठा दीजिए। अगर वह दोषी हैं तो उनको निकाल दीजिए। जिस प्रकार का यू. पी. में या और दूसरी स्टेट्स में कानून है उसी तरह इनको भी आप सर्विसेज में ले लें।

एक माननीय सदस्य: आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। यह स्वयं उसके भागीदार

(एक माननीय सदस्य)

हैं। अगर यह भागीदार नहीं होते तो वह नहीं डूबते। उनको डुबोने वाले आप ही हैं।

श्री रामकरणसिंह : आप शायद जानते नहीं हैं। आपका और मेरा दोनों का ताल्लुक है। नसबन्दी का समय एक ऐसा समय था.....

श्री सभापति : नसबन्दी तो सभी जानते हैं।

श्री रामकरणसिंह : नयी चीज बता रहा हूं। कंस का राज्य आया और रावण का राज्य आया लेकिन जो कांग्रेस का नसबन्दी का राज्य आया वह ऐसा आया कि किसी आदमी को भी पकड़ लिया, चाहे कोई भाई अपनी बहिन को लेने गया, चाहे कोई बाप अपनी बेटी को लेने गया और रास्ते में मिल गया तो उसको पकड़ लिया, गाड़ी से उतार लिया और जैसे हमारे यहां बैल को बधियाते हैं उसी तरह का हाल हुआ है। बहिन हो या बेटी हो साथ में, वह शर्म की मारी मरे और उसकी नीची नजर हो जाये लेकिन यह बेशर्म हरकतें हुई हैं। इसलिए यह दिन इनको देखना पड़ा। इसलिए आप की सरकार भी सावधान रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये।

श्री रामकरण सिंह : मैं खुद अध्यापक रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गुरुशरण जी।

श्री रामकरण सिंह, अब समाप्त हो गया।

श्री रामकरण सिंह : एक मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, शराब ऐसी चीज है इसके बारे में दूसरे सदस्यों ने भी कहा है। यदि देश का मानस ऊंचा उठाना है तो शराब बन्द करनी पड़ेगी और नहीं की गई तो जिन देशों में और जिन घरों में शराब पी जाती है मेरी ऐसी मान्यता है कि वह लोग अपने बच्चों का खून पीते हैं। इसलिए शराब पीने वालों को आप प्रोत्साहन नहीं दें और शराब को बन्द करने की कोशिश की जाये। शराब ऐसी खराब चीज है कि जिसके बारे में आपको कायदे कानून लाकर इसे बन्द करना चाहिये।

यह सब कुछ कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री गुरु शरण।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : मेरा नाम कल भी सूची में था, आज भी था। चौथे नम्बर पर बताया था। लगातार तीन रोज से नाम बता रहे हैं।

श्री सभापति : जनता पार्टी की तरफ से जो सूची यहां उपलब्ध कराई गई है उसमें पांचवां नम्बर माननीय श्री गुरुशरण जी का है। अब इस सम्बन्ध में आप अपने मुख्य सचेतक से बात कीजिये।

श्री नाथूराम : मुख्य सचेतक से बात की थी। तीन रोज से नाम ले रहे हैं। हम चेयर से निवेदन करेंगे कि हमको मौका देना चाहिये।

श्री सभापति : इसके बाद आपको मौका दिया जायगा।

(श्री सभापति)

श्री गुरु शरण जी ।

श्री एच. एन. शर्मा (वेंगू) : नामों की जानकारी करा दी जाय ।

श्री सभापति : अगर सत्र की अनुमति हो तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देता हूं। अभी बोलने वाले हैं, श्री गुरु शरण जी, श्री नाथूराम जी, श्री अयूब खां, श्री हरिसिंह यादव, श्री चिरंजी लाल गर्ग, श्री दिग्विजयसिंह, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्रीमती नारंगी देवी, श्री बिरदमल सिंघवी, श्री बंसीलाल सारस्वत, श्री एच. एन. शर्मा, श्री रामकिशन दास गुप्ता, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री ओंकारलाल चौहान, श्री अमृतलाल, श्री माणकलाल ठाकुर, श्री जियिंग भाई, श्री आलमअली खां, श्री किशन सिंह भाटी, वैद्य श्री गंगा सहाय, श्री प्रेमसिंह सिंघवी और श्री रघुनन्दन व्यास ।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक निवेदन है कि इस विषय में पक्षपात किया जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका ?

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल जी, बैठिये। इसमें ज्यादा समय नहीं लें।

श्री गुरुशरण जी ।

श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि आपातकाल के समय जो जुल्म और ज्यादतियां हुई उनकी इस अभिभाषण में जिन शब्दों में निन्दा की गई है और उसके साथ ही साथ सरकार ने जो व्यवस्था बदलने की बात कही है वह बहुत ही अच्छी बात है। व्यक्ति बदले हैं लेकिन व्यक्तियों के बदलने से काम नहीं चलेगा। व्यक्तियों के साथ ही साथ व्यवस्था भी बदलनी होगी। यह बात ठीक है कि देश के अन्दर श्रीमती इन्दिरा गांधी के बजाय मोरारजी देसाई की सरकार बनी, राजस्थान में हरिदेव जोशी के बजाय शेखावत सरकार बनी और सूरतगढ़ क्षेत्र से भाई कुंडा की जगह मुझे चुनकर भेजा है परन्तु व्यवस्था वही रहे, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार, बेईमानी और जुल्म ज्यादतियां हुई तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। व्यक्ति के साथ ही साथ व्यवस्था भी बदलनी होगी। इस अभिभाषण में व्यवस्था बदलने की बात कही है इसलिए विशेषकर मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मुझे खेद है कि इसके अन्दर केवल व्यवस्था बदलने की बात कही गई है। मेरा यह भी निवेदन है कि राज बदलने के साथ साथ समाज को भी बदलना होगा। इस अभिभाषण में समाज बदलने की कोई विशेष योजना नहीं बताई गई है। समाज बदलने की जो बात है उसमें समाज के सबसे बड़े कलंक की बात दहेज प्रथा है। हजारों बहिनों को देश में हर वर्ष आत्म हत्या करने के लिए या निम्नतम कुकृत्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। इस अभिभाषण में दहेज प्रथा खत्म करने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। महिलाओं को विशेष दर्जा देने के लिए थोथे नारे देते हैं। मुझे खेद है कि सदन की माननीय महिला सदस्याओं ने भी उन महिलाओं के बारे में, जो परेशान हैं, एक भी शब्द नहीं कहा।

(श्री गुरूशरण छाबड़ा)

पता नहीं जानबूझकर इसका उल्लेख नहीं किया गया है या इन्हें कोई जानकारी है ही नहीं।

आज देश में विधवा विवाह होना चाहिये ऐसा सभी कहते हैं लेकिन ऐसा कौनसा कानून बनाया है? हमारे हिन्दुस्तान का कानून, हमारे राजस्थान का कानून क्या इस बात की इजाजत नहीं देता है कि विधुर कुंवारी कन्याओं के साथ विवाह कर सकता है? जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है इस विधुर का विवाह किसी विधवा के साथ ही होना चाहिए तब ही हमारे समाज में पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिल सकेगा। लेकिन इस अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है।

इसके अलावा देश की युवा शक्ति को यह आश्वासन दिया गया था कि बेरोजगारी नहीं रहने देंगे। यदि किसी प्रकार का रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस बात का भी जिक्र अभिभाषण में नहीं है।

आपातकालीन स्थिति में जो 20 सूत्री कार्यक्रम आया हम उसके कतई खिलाफ नहीं थे लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन का अर्थ था इन्दिरा गांधी का समर्थन। हमने इन्दिरा गांधी का समर्थन करने के बजाय जेलों में जाना स्वीकार किया। हमने उस तानाशाही का विरोध किया लेकिन 20 सूत्री प्रोग्राम का कतई विरोध नहीं किया। उस 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या हुआ उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। उसमें प्रशासन के खर्च में कटौती करने की बात कही गई थी लेकिन प्रशासन के खर्च की कटौती के नाम पर जो राज्य के छोटे-छोटे कर्मचारी थे, उनका महंगाई भत्ता कम कर दिया गया और उसके ठीक विपरीत 184 विधान सभा सदस्यों को उसी कांग्रेस सरकार ने और अधिक सुविधायें प्रदान कर दीं, उनका भत्ता बढ़ा दिया गया, नई सुविधाओं के तहत पेंशन लगा दी गई। शर्म की बात है कि जो विधायक चुन कर आये उन्होंने अपना भत्ता बढ़ा लिया। इस प्रकार की कहावत हो गई कि अन्धा बांटे रेवड़ी और आप–आप को देय। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, सभापति महोदय, अगर इन्हें पेंशन देनी थी तो विधवाओं को पेंशन देते, उन सैनिकों को पेंशन देते जो देश के काम आये। पेंशन देनी थी तो उन लोगों के परिवार वालों को देते जो सरकार के जुल्मों के शिकार हुये। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि अभिभाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो एम. एल. एज. को पेंशन दी जाती है उसको बन्द किया जाय।

मेरे क्षेत्र की ही बात बताता हूं चौधरी मनफूल सिंह भादू 60) रु. के वेतन पाने वाले अध्यापक थे लेकिन आज उनके पास 60 लाख की सम्पत्ति है। दो योजनाओं से अधिक वे इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें 500/– मासिक पेंशन मिलेगी। आज जनता की खून और पसीने की कमाई को इस तरह बरबाद मत कीजिये··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियमों का उल्लंघन करके भाषण नहीं।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : सभापति महोदय, प्रश्न मेरी भावना का है···

श्री सभापति : आपकी भावना का प्रश्न नहीं है। मैं इस सदन के सब सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 272 से 273 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सकेगी और बहुत सारा समय बच जायेगा।

श्री गुरू शरण छाबड़ा : इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान को खुशहाल रखने के लिये हमने जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं, उन पर अधिक बल दें और क्रियान्विति के लिये युद्ध स्तर पर काम करें। मेरा निवेदन है कि घोषणा-पत्र की सारी बातों को पूरा करवाया जाय। इसके अतिरिक्त बीकानेर में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। सन् 1975 में इसी सदन में याचिका समिति ने रिपोर्ट दी थी कि बीकानेर में विश्वविद्यालय खोला जाय और उसकी एग्रीकल्चर फेकल्टी गंगानगर में स्थापित की जाय। मैं यह भी मांग करूंगा कि बीकानेर में विश्वविद्यालय इसी सत्र से या आगामी सत्र से खोलने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त किसानों को न्याय दिलाने के लिये सरकार मोती राम कमीशन की सिफारिशों को अविलम्ब लागू करे।

इसके अतिरिक्त जिला गंगानगर में खाद की सर्वाधिक खपत है और जो कच्चा माल जिप्सम पैदा होता है वह भी गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील में, जहां से मैं चुनकर आया हूं, निकलता है अतः खाद का कारखाना सूरतगढ़ में स्थापित किया जाये। मेरे क्षेत्र में आज किसानों की घग्घर बाढ़ से तबाही मची हुई है उसको रोकने के लिये प्रयत्न किया जाये। इस समय जिस क्षेत्र में घग्घर का पानी पड़ा है, उन झीलों में जो भूमि आयी है और जहां पानी के बहाव से किसानों की जमीन बेकार हुई है, वहां तुरन्त स्थानान्तरण कर भूमि देने के साथ साथ पिछले नुकसान का मुआवजा भी दिया जावे।

इसके अतिरिक्त यह घोषणा की गई थी कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देंगे। मेरे क्षेत्र में अनूपगढ़ तहसील हैड क्वार्टर है लेकिन वहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत नहीं है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट !

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : अनूपगढ़ तहसील क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई के लिए तहसील मुख्यालय रायसिंहनगर में एक कोर्ट है जहां केवल अनूपगढ़ के मुकदमों को ही सुना जाता है। रायसिंहनगर पहुंचने में दो दिन का समय लगता है। आज भी एक हजार केस उस रायसिंहनगर की कोर्ट में अनूपगढ़ क्षेत्र के पड़े हैं। अगर कोर्ट रायसिंह नगर के बजाय अनूपगढ़ में शिफ्ट किया जाता है तो मैं समझता हूं जनता को सस्ता न्याय मिलेगा। इसमें सरकार का भी कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मैं सरकार को यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के रेगिस्तानी इलाकों में जहां किसान भाइयों को कांग्रेस की सरकार पीने

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकी वहां पानी अविलम्ब पहुंचाया जाय। इसके अतिरिक्त मंडी विजयनगर व जैतसर की जो जल प्रदाय योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उनको भी इसी सत्र में पूरा करवाने का प्रयत्न करें।

इसके साथ ही मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीदौरा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण जो दस्तावेज के रूप में इस सदन में दिया, उस पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

विगत मार्च में लोकसभा के और जून में विधान सभा के ऐतिहासिक चुनाव हुए। पिछली सरकार के अत्याचारों से परेशान जनता ने तानाशाही को जड़ से उखाड़ दिया। सभापति महोदय, आपातकाल की स्थिति में जनता पर इस तरह के अत्याचार हुए कि जनता के प्रतिनिधियों को और जनता को सही खबर देने वाले जो पत्रकार थे उनको जेलों में डाल दिया, उन पर तानाशाही के अत्याचार किये गये। सभापति महोदय, जनता ने इन अत्याचारों को दूर किया और यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ाया था, और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया था उसके बारे में मैंने पिछले साल कई बार इस विधान सभा में आरोप लगाये थे लेकिन सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया और सरकार ने उन भ्रष्टाचारियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। सभापति महोदय, संक्षेप में आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये राज्य सरकार ने समिति का गठन किया है। इस सम्बन्ध में अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो वही स्थिति हो जायेगी।

बांसवाड़ा का माही डेम है उसका, भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने जो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, 7 मई, 1960 को शिलान्यास किया था। लगभग 18 साल हो गये, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। लाखों रुपयों का गबन हो रहा है। पिछले साल बजट के समय इसकी जांच की मैंने मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये और उन भ्रष्ट लोगों को सजा देनी चाहिये। इस वर्ष अति वर्षा हुई। उस समय बांसवाड़ा में बाढ़ कैसे आई सरकार को शायद यह मालूम नहीं होगा। बांसवाड़ा में माही डेम पर जो काम करने वाले थे, जो बड़े बड़े इन्जीनियर थे, कागदी नदी पर जो सेट्स डेम बनाया गया उसके नीचे पत्थर डाले, खाली मिट्टी डाली गई इसलिए डेम कमजोर हो गया। वर्षा के पानी से भर गया तो तीन जगह से टूटा। पंचायती राज के मंत्री महोदय श्री मेघवाल के साथ मैं गया था और साइट देखी। वह तीन जगह से टूटा है। ददेला तालाब की नहर टूटी। लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वह प्रकृति का प्रकोप जरूर था लेकिन उन

(श्री नाथूराम)

इन्जीनियर्स की गलती से एक करोड़ का नुकसान हुआ। वहां के लोगों से बात की तो बताया कि यह सेट्स डेम और नदी की नहर दिन में टूटने से लोगों की जानें बच गईं, रात को टूटता तो सैंकड़ों लाशें नजर नहीं आतीं। इसमें लाखों का घोटाला है।

जिला सेवा संघ परतापुर है, आदिवासियों की संस्था है जो वर्षों से चल रही है। इसमें घोटाला कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है। वे उन गरीब आदिवासियों का पेट काटकर धन का दुरुपयोग करते हैं। इसलिये सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये इसलिए सरकार की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिये।

वर्तमान सरकार को विकास की योजनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट दिया और राजस्थान सरकार ने उसे पंचायत समिति गढ़ी में खोला। दुर्बल बच्चों के लिए प्रति बच्चे के लिए 150 रुपये का प्रावधान है लेकिन 5-10 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं। कमजोर महिलाओं के लिए भी सरकारी रुपया खर्च नहीं होता है। लोक सभा के चुनावों के वक्त मैंने भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था और एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को भी लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि वहां कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए थे उन तानाशाहों को मदद देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि मैंने जो पत्र भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री को लिखा था वह यहां समाज कल्याण विभाग में आया है। उसकी जांच करने के बजाय उन लोगों को उल्टा प्रोत्साहन दिया गया। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदिवासियों के नाम से शिड्यूल्ड एरिया है वहां भ्रष्ट लोग अपने पेट भरते हैं उन लोगों के लिये सरकार से मांग करता हूं कि कमीशन बैठाकर जांच करनी चाहिये।

इसी तरह बांसवाड़ा का सिंचाई विभाग है। उसमें लाखों का घोटाला है। पिछले समय में कई बार मैंने आरोप लगाये थे लेकिन सरकार की तरफ से कोई जांच नहीं हुई है। जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन बैठाकर शिड्यूल्ड एरिया में जो सैन्टर का धन खर्च हुआ अथवा राजस्थान का धन खर्च हुआ उसमें जिन्होंने घोटाले किये उन बदमाश लोगों की जांच होनी चाहिये।

इसी तरह बेरोजगारी समाप्त करने के लिये राज्यपाल महोदय ने जरूर बताया है लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि राजस्थान के विभिन्न नियोजन कार्यालय में लगभग 2।। लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम हैं। इसी तरह हमारे खेतिहर मजदूर हैं। वे साल भर में नौ महीने बेकार रहते हैं, वे चार गुणा यानी 10 लाख लोग बेरोजगार हैं। इसलिए, सभापति महोदय आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिये। कथनी और करनी में अन्तर होता है तो खाली भाषण करने से कुछ नहीं होता है। काम करके बेरोजगारी को मिटाना चाहिए। जहां-जहां खेती के लिए सिंचाई के साधन हैं, वहां अधिक फसल पैदा करनी है। इसी तरह पशुपालन, छोटे उद्योग, बन सम्पदा आदि का उत्पादन बढ़ाना चाहिए...

(श्री नाथूराम)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा ही समय और लूंगा···

श्री सभापति : दो मिनट और। आठ मिनट हो गये।

श्री नाथूराम : इस प्रकार सेइन बेमेज गारों को काम भी मिल सकता है। इसी तरह हमारे यहां वर्षा ज्यादा हुई है लेकिन वह वर्षा का पानी नदी नालों में बहता रहा है। आज 18 साल माही डेम को बने हो गये। एनीकट बनाये होते तो काम आते। एनीकट बनाकर हरित क्रान्ति के काम को बढ़ाना चाहिए। इसी तरह लघु सिंचाई योजना में भूमि विकास बैंकों की स्थापना का सरकार ने काम किया है। बांसवाड़ा में भूमि विकास बैंक का मैं अध्यक्ष हूं। प्रोजेक्ट आफिसर्स किसानों की स्थिति को नहीं समझ पाते इसलिए भूमि विकास बैंक में दो-दो अधिकारी देने चाहिए–एक कोआपरेटिव का और दूसरा एग्रीकल्चर का और प्रोजेक्ट आफिसर के पद समाप्त करने चाहिए।

सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सभी बातों का जिक्र किया है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में सरकार का, सैन्ट्रल गवर्नमेंट का करोड़ों रुपयों का ट्राइबल प्लान प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ हिस्सों में ट्राइबल प्लान लागू किया है। करोड़ों का प्लान है, उसमें रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पिछले समय में भी सुझाव दिया था कि भीलों के बच्चे बी.ए., एम.ए. आर.ए.एस. पास हैं लेकिन उनको अधिकारियों की पोस्ट पर नहीं रखा गया है। आज ही मैंने कृषि मंत्री जी से और समाज कल्याण मंत्री जी से बात की है। पिछली सरकार के सामने सुझाव दिया था कि इनको उस प्रोजेक्ट में रखा जाय लेकिन सरकार ने नहीं माना। इसलिए मेरा इस सरकार से आपके मार्फत निवेदन है कि ट्राइबल सब प्लान को ठीक तरह से समझना है, तो जिस शिड्यूल्ड एरिया को राष्ट्रपति ने घोषित किया है, जहां हण्ड्रेड परसेन्ट आदिवासी रहते हैं वहां हमारे समाज कल्याण मंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा और कृषि मंत्री जी सभी को जाकर देखना चाहिए कि आदिवासी क्या चाहते हैं। आदिवासियों को तो केवल तीन चीजें मुख्य रूप से चाहिए। आदिवासी सूखी भूमि में पानी चाहता है, टेक्निकल एजूकेशन चाहता है और स्वास्थ्य चाहता है। यह तीनों चीजें सरकार उनको देगी तभी उनकी गरीबी मिटेगी। लेकिन बड़ी-बड़ी पोस्टें क्रियेट कर दीं, अंग्रेजी के पोथे लाकर पटक दिए और भाई-भतीजावाद के आधार पर इस कमीशन के बड़े-बड़े पदों पर गैर आदिवासियों को लाकर बिठा दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको आदिवासियों का उत्थान करना है तो इस ट्राइबल सब प्लान को अच्छी तरह से लागू करें।

इसी तरह से हाउसिंग सोसाइटियां···

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : अब समाप्त करिए। नेक्स्ट प्लीज।

(श्री सभापति)

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप सहयोग दें। यहां इतने माननीय सदस्य हैं, सब को असंतोष हो रहा है। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री नाथूराम : मैं दो मिनट में संक्षेप में कह देता हूं।

श्री सभापति : आप मेरी कठिनाई को समझिये।

श्री नाथूराम : सिर्फ दो मिनट।

श्री सभापति : No. No.।

श्री नाथूराम : दो मिनट में बोल देता हूं।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री सभापति : दो मिनट।

श्री नाथूराम : मैं विनम्रता से निवेदन कर रहा हू, हमारे वहां आदिवासियों की बहुत सी समस्यायें हैं जो आपके सामने रखनी हैं।

श्री सभापति : दो मिनट में रखिए।

श्री औंकारलाल चौहान (मटरू) : थोड़ा बोलने दीजिए, ट्राइबल एरिया की बातें आयेंगी।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, हमें बोलने देना चाहिए। यह हमारे जनता पार्टी के ह्विप की गलती है। चेयर से भी मांग करता हूं कि हमें समय दिया जाय। हम रात को बारह एक बजे तक बैठ सकते हैं आप समय बढ़ावें...

श्री सभापति : आप विषय पर बोलिये।

श्री नन्दलाल मीणा : इनको समय मिलना चाहिए। उदयपुर संभाग में बहुत सी समस्यायें हैं, वहां पर आदिवासी रहते हैं जिनकी समस्यायें रखनी हैं।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से परिवार नियोजन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। परिवार नियोजन में लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। आदिवासी लोग रात-दिन खेतों में काम करते थे। ऊपर से वर्षा होती थी और नीचे पानी भरा हुआ था। वे खेतों में खड़े रह कर काम कर रहे थे उनको जबरदस्ती पकड़-पकड़ कर उनकी नसबन्दी कर दी गई है। बांसवाड़ा क्षेत्र में हजारों आदिवासियों की नसबन्दी कर दी है। वहां सैकड़ों लोग मरे हैं। आपकी मार्फत मैं सरकार से मांग करता हूं कि कमीशन के द्वारा सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और जो आदिवासी मरे हैं, सरकार ने जो ऐसें लोगों के लिए पांच-पांच हजार का प्रावधान रखा है वह उनको मिलना चाहिए। जिनकी नसबन्दी बिगड़ी है उनको आजीवन पांच रुपया नित्य मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह से खाद्य की बहुत ही खराब समस्या है। आज माइलो केवल आदिवासी को मिलता है केवल माइलो मिलता है, न गेहूं है, न मक्का है। मक्का खाने वाले आदिवासी को मक्का के दर्शन नहीं हैं, बीज नहीं मिला है और हमारे

(श्री नाथूराम)

बांसवाड़ा एरिया में माइलो दिया जा रहा है जबकि ठेकेदारों का सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है। यह नमूना माइलो का है जिसे मैं सदन की टेबल पर रखता हूं। जिसे जानवर भी नहीं खा सकते हैं, ऐसा सड़ा गला माइलो सब जगह मिल रहा है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां पर मक्का की व्यवस्था करनी चाहिए। लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं और इस साल फसल कुछ भी नहीं है इसलिए अनाज की समस्या शीघ्र हल करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जिलाधीश को वायरलेस द्वारा आदेश देवें।

सभापति महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब ऐसे व्यवस्था नहीं चल सकती है।

श्री नाथूराम : पेयजल के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठें। आसन पैरों पर है।

श्री नाथूराम : पेयजल की समस्या के बारे में संक्षेप में...

श्री सभापति : पेयजल की समस्या के महत्व को सब समझते हैं। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, सहयोग दीजिये।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री नाथूराम : पेयजल की आदिवासियों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। बांसवाड़ा के जिन आदिवासियों के नारू निकलता है, वे खेतीबाड़ी नहीं कर पाते हैं। हैंड पम्प लगाने के लिये कहा है लेकिन हैंड पम्प कहां लगा रहे हैं। डामर की सड़क पर सैंकड़ों हैंड पम्प लगा रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हैंड पम्प सड़क पर लगाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा अन्दर के एरिया में लगवाने की व्यवस्था करें तभी स्थिति ठीक होगी।

इसी तरह से, सभापति महोदय, सागड़ी प्रथा और शराब के बन्द करने के बारे में भी मैंने मांग की है। आदिवासी एरिया में सरकारी कर्मचारी शराब पीते हैं और भ्रष्ट लोग रिश्वत लेते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शराब को हम नहीं चाहते। हमारे शिड्यूल्ड एरिया में शराब बन्द कर दी है लेकिन इसको सारे राजस्थान में बन्द करना चाहिए।

यही निवेदन करता हुआ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जयहिन्द!

श्री सभापति : श्री अयूब खां।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। उनके निवास स्थान पर अलवर जिले के कुछ ग्रामवासियों ने भूख हड़ताल दिनांक 22-7-77 से कर रखी है और वे वहां पर बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करे जिससे किसी प्रकार से भूख हड़ताल टूट सके।

श्री केदारनाथ : किस मसले पर भूख हड़ताल है ?

श्री समरथलाल : राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री ने जो नए विद्यालय खोले हैं उन विद्यालयों को खोलने में जिस प्रकार से भेदभाव की नीति बरती है मैं समझता हूं

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य की व्यथा को समझता हूं। आज सुबह मैं भी उधर गया था और उन हड़तालियों को देखा था। किसी दूसरे ढंग से इस प्रश्न को आप उठायेंगे नियमों के अनुसार तो आपको बोलने का अवसर मिलेगा। यह प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न में नहीं आता।

श्री समरथलाल : वे तीन दिन से वहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं होती है तो कोई भी हानि हो सकती है, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : Government should take a note of it.

श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह जी यादव।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय ने जो सदन में पधार कर अभिभाषण दिया है उसमें पिछली सरकार के कामों का लेखा-जोखा भी बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, जो उसने पिछले दिनों में किए। उन्होंने कृपा की इस सदन को यह बताने की ओर एक घण्टे तक जो हमारा मार्ग दर्शन किया कि जनता सरकार इस प्रदेश को आने वाले समय में भय से मुक्त करना चाहेगी, जनतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना करना चाहेगी, भ्रष्टाचार को मिटाना चहेगी। यह वह दिशा है जिसकी ओर जनता सरकार को अग्रसर होना है और इस राजस्थान को हिन्दुस्तान का एक मजबूत हिस्सा बनाना है। मुझे खेद है कि उन सभी बातों को सुनने के बजाय विरोधी दल के नेता और माननीय सदस्यगण एक ऐसा वैधानिक प्रश्न उठाकर, जिसका उत्तर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस सदन में दिया है, सदन से बहिर्गमन कर गए। हालांकि मैं सदन में पहली बार आया हूं परन्तु जो कुछ व्यवहार उनकी तरफ से रहा वह एक शोभा की बात इस सदन के लिए नहीं थी। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ अंश जो जनता सरकार की दिशा निर्देश के लिए रखे हैं उसके लिए उनका बड़ा आभारी हूं। इस प्रदेश के किसान के लिए तीस साल से जो काश्तकारी अधिनियम, जो कानून कायदे इस कांग्रेस की सरकार ने बनाए हैं उन्हीं का नतीजा यह है कि करोड़ों रुपया किसानों का हर साल मुकदमेबाजी में बरबाद होता है। जो खेतों को जोतने वाले हैं जो खेतों को सींचने वाले हैं पटवारी से लेकर और रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बरान तक, जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, इस तरह से उनके साथ तीस साल से जनता के शासन में पेश आए हैं कि रात दिन उनको अदालतों के सामने जाना पड़ता है। मैं बड़ा शुक्र गुजार हूं इस जनता सरकार का, इसने यह वायदा किया है किसानों को कि भूमि के बारे में जो कुछ भी तकलीफ हैं, जो कुछ भी मुकदमे बाजी है, उनको उस गांव

(श्री हरिसिंह यादव)

में जाकर, उस स्थान पर जाकर तय किया जायेगा। मैं चाहूंगा कि जनता सरकार इस बात की कोशिश करे कि जो अमीन व पटवारी इस शासन व्यवस्था का अंग हैं, उनको यह छूट नहीं दी जाये। आज कलेक्टर और सैक्रेटरी बन कर बैठ न जाएं जिससे किसान परेशान हो जायं। जनता पार्टी यह चाहती है कि यह व्यवस्था हो तो यह सही होनी चाहिए। यदि किसी न किसी खेत को गलत दर्ज करके वह पटवारी से इन्सपेक्टर बन गया, पटवारी से कलेक्टर बन गया तो अभी कोई नतीजा उसका सामने नहीं आया। इसलिए मैं जनता सरकार से यह अपील करूंगा कि अगर इस प्रदेश के अन्दर से भ्रष्टाचार को मिटाना है, इस प्रदेश को मजबूत बनाना है, तो सब से पहले इस प्रदेश के अन्दर जितने खेती करने वाले हैं, उनके खेती के बारे में जितने झगड़े हैं वे आपको निश्चित तौर पर सदा सदा के लिए खत्म करने पड़ेंगे। यह आपका जो रेवेन्यू महकमा है, इसे आपको ठीक करना होगा। राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कहा है, मुझे विश्वास है कि जनता सरकार उसको पूरा करेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी पिछले समय कुछ वक्ताओं ने कही, मैं भी वही कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने भी इस ओर इशारा किया है। इस प्रदेश को बलवान बनाना है तो जो सिंचाई के साधन हैं, उनका विकास करना होगा। बिजली के बारे में भी कहा गया है। मेरा निवेदन है इस सदन के माननीय सदस्यों से कि यह राज्य किसानों का राज्य है और इस राज्य में 70 प्रतिशत किसान रहते हैं। वे सब देहातों में बसे हुए हैं। उनको ऊंचा उठाने के लिए अगर कोई दूसरी बात है तो वह खेती के लिए सिंचाई का साधन है। पिछले तीस साल के शासन काल में इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। विरोधी दल के सदस्य बीच बीच में कई दलीलें पेश करते हैं। अभी हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने भाषण दिया। उन्होंने यह बात कही कि हमने देश के अन्दर दो करोड़ टन अन्न का जखीरा छोड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जखीरा उन्होंने नहीं छोड़ा है, यह देश के किसानों ने पैदा किया था। वह आपने आर. ए. सी. की बटालियन भेज कर, कोड़े मार कर, लेवी के रूप में किसानों से छीना था। वह अनाज हमारा है। उस को हमारे राज्य के किसानों ने पैदा किया। यह उन्होंने पैदा नहीं किया। लेवी के मुकदमे चले हैं। अब जाकर जनता सरकार ने उनको माफ किया है जिससे किसानों को राहत मिली है।

सभापति महोदय, दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से कि सिंचाई के साधनों का विकास हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि करेगी। सिंचाई के साधनों में सब से बड़ी राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात कही गयी है, वह स्वागत योग्य है। इसके अलावा कई छोटी सिंचाई योजनाएं हैं। सभापति महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, जयपुर, सीकर और अलवर जिले को पार करती हुई यह साहबी नदी हरियाणा में जाती है और वहां की उपजाऊ जमीन पर उत्पात करती हुई वह और आगे निकल जाती है। मैं यह अनुरोध करूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि सिंचाई योजनाओं के विकास

(श्री हरिसिंह यादव)

की बात राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कही है इसलिए इस साहबी नदी के पानी को उचित स्थान पर रोक कर, उसके पानी से जो जयपुर, अलवर और सीकर जिले की उपजाऊ भूमि में है, जहां पर पानी की कमी की वजह से पैदावार नहीं होती, सिंचाई की व्यवस्था की जाये।

बिजली विभाग कांग्रेस का भ्रष्टाचार का अड्डा था। इन्होंने देश को कुछ दिया है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिया है। इसको सुधारना होगा। इमर्जेन्सी में हम जेलों में थे जब उससे निकल कर आये तब बिजली विभाग की मनमानी देखी। मिनी-मम चार्जेज के नाम पर किसानों को लूटा गया। जोशी सरकार ने एक स्पेशल ऑडिट बिठाया और किसानों को बरबाद कर दिया। उस सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लाखों रुपये जुर्माने के रूप में पिछले दिनों किसानों से जबरदस्ती वसूल किये। उस वक्त किसानों के कनेक्शन काट दिये जब कि उनके खेतों में गेहूं पकने वाला था। उस निकम्मी सरकार ने ऐसा शासन इस प्रदेश को दिया है, जहां बिजली का कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत पड़ौसी प्रान्तों में भी रही है लेकिन वह भी इतनी निकम्मी और किसान विरोधी नहीं रही, हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं रही यह मेरी मान्यता है। किसानों से संबंधित यह बिजली का महकमा निकम्मा बन गया था। फिर भी आप कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी के अन्दर यहां के किसान को लूटा गया है, जिनके नाम पर एक ऐसा ऑडिट बिठाया गया, जिसके कोई नियम नहीं थे। वह किसानों पर बिठाया गया और लाखों रुपये किसानों से वसूल किये गये।

सभापति महोदय, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर मुझे खुशी है, एक माननीय सदस्य, जो रामगढ़, अलवर से आते हैं, ने अपने भाषण में यह कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ तेज आवाज निकालना चाहते थे। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा परन्तु मेरी मान्यता है कि किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई लांछन लगाया जाए तो उसकी पूर्व अनुमति लेनी चाहिये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बिना अनुमति के बोलना उचित नहीं है।

बात को पूरी करने के लिए कम से कम 5 मिनट और चाहियें।

मुझको क्या वे उत्तर देंगे? जिनमें अक्ल का नाम नहीं है, जिसकी कोई राजनैतिक हैसियत नहीं है उसको बना दिया आपने मंडी कमेटी, अलवर का अध्यक्ष। उसको राज्य सरकार ने बरखास्त किया। उस गरीब को घबराहट हुई। उसका परिणाम जो आज हमारे साथ है, उनको मालूम है। मैं उनको उस रूप में जवाब नहीं देना चाहता जिस भाषा का वे प्रयोग कर रहे थे।

मैं, श्रीमान्, आपसे यह निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय ने यह बात कही है कि हम मजदूरों की स्थिति को सुधारेंगे। बड़ी हिम्मत के साथ विरोधी दल

(श्री हरिसिंह यादव)

के माननीय सदस्यों ने कहा, सिमको के अंदर हड़ताल हुई, उसकी बात कही। हिम्मत के साथ कालाबाजारी, महंगाई बढ़ने की बातें कहीं। निश्चित रूप से मैं भी यह मानता हूं कि भाव बढ़ गये। परन्तु उस जमाने में, जिन लोगों ने इस देश में जनतन्त्र के नाम पर, अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के नाम पर शासन चलाया, जिन्होंने मजदूरों की ट्रेड यूनियन को खत्म किया, जिन्होंने उनके बोनस को खत्म किया, जिन्होंने उनके अधिकारों का हनन करके छंटनी करवाई है, उनको शर्म आनी चाहिए। वे बिडला के××× पूंजीपतियों के ×××सारी इमर्जेन्सी में कुछ नहीं बोले, मुझे बड़ा क्षोभ है कि वे आज इस बात को हिमायत करने की कोशिश करते हैं। आज वे मजदूरों और हरिजनों के बड़े हिमायती बन गये हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम पर, हरिजनों के नाम पर उस निकम्मी सरकार ने सारे प्रदेश में जिनके पास अच्छी जमीन थी उनसे रिश्वत लेकर जो हरिजनों को जमीन दी, वह इस प्रकार की जमीन दी जिस पर कोई काश्त नहीं की जा सकती है। उन्हें राजनीतिक द्वेष में इस तरह की जमीन अलाट की है कि पूरे के पूरे गांव को उससे परेशानी हो गई। हरिजनों को जमीन का कब्जा 19 महीने की इमर्जेन्सी में नहीं दे सके।

(व्यवधान)

19 महीने तक डंडा घुमाने वाले लोग जमीन का कब्जा किसी को दिला सके, यह बात मैं नहीं कहता हूं, चाहे हरिजन हो या कोई और हो। पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर और हरिजनों के नाम पर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने इतनी अनियमितताएं की हैं जिनके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है। इसलिए जो घोषणा की है, उनको पूरा करें ताकि इस प्रदेश में मजबूती आये और इस देश में मजबूती आये। कांग्रेस की सरकार के इतने निकम्मे काम हैं कि उनको संसार ने भी निकम्मा कहा है। यानि हमारा अपहरण किया गया, विधायक का अपहरण किया गया। इस भ्रष्ट नौकरशाही में हमारे 200 विधायक इस परम्परा में आकर बैठे हैं। हमें विश्वास है कि जनता सरकार आने वाले समय में उस भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हरिसिंह यादव : अगर कोई झूठ हो तो शिकायत कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : धन्यवाद। आपने 15 मिनट ले लिए।

श्री हरिसिंह यादव : धन्यवाद तो मैं देता हूं। मेरा यह पहली बार का भाषण है। सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : मेरे ऊपर कृपा करें।

श्री हरिसिंह यादव : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है ......

×××शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह यादव : कोई सरकार अगर ऐसा करेगी जैसा पहली सरकार ने किया तो उसका भी यही होगा जैसा हाल कांग्रेस सरकार का हुआ है, भ्रष्टाचारियों के लिए यह मार्ग दर्शन है। हम विधायकों के लिए यह मार्ग दर्शन है। हमारा देश इसी प्रकार से मजबूत हो सकता है। राज्यपाल महोदय यहां पधारे और उन्होंने अभिभाषण दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं।

माननीय श्री चिरंजीलाल गर्ग।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : आदरणीय सभापति महोदय, हमारे विरोधीदल के माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया था कि ये ××× हैं। इसी आरोप में 1948 में बिना मुकदमा चलाये हजारों लोगों को जेलों में रखा गया। तत्कालीन सर-संघ चालक तक को नहीं छोड़ा। तब हजारों लोग आन्दोलन करके जेल में गये। आखिर सरकार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से बैन हटाना पड़ा, और आर. एस. एस. के लोगों को छोड़ना पड़ा। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जब आर. एस. एस. ××× था तो क्यों नहीं उन्होंने कार्यवाही की? क्यों ××× के साथ में सहयोग करने की कोशिश की? यह उनके लिए शर्म की बात है। 1965 में लालबहादुर शास्त्री ने आर. एस. एस. को देशभक्त कहा। उन्होंने कहा कि जनसंघ के लोगों में चरित्र बल है। पाकिस्तान के हमले के समय प्रधान मन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने दिल्ली का प्रशासन संभालने के लिए आर.एस.एस. के लोगों को कहा था किन्तु आप लोगों को कभी नहीं कहा क्योंकि आप उन लोगों को ××× समझते थे। 1971 में दुबारा हमला हुआ तब भी जिलाधीशों की तरफ से संघ कार्यालय को पत्र गये थे सहयोग प्राप्त करने के लिए क्योंकि आपको ××× समझा गया था, आप लोगों को किसी प्रकार का काम नहीं सौंपा जा सकता था। यह सर्टीफिकेट इन्दिरा गांधी ने दिया। और लालबहादुर शास्त्री ने दिया कि कांग्रेस के लोग ××× हैं। इस प्रकार के आरोप ऐसी संस्था पर लगाये जो कि देश के अन्दर चरित्र का निर्माण करती चली आ रही है, ऐसी संस्था पर लांछन लगाये उससे पहले अपना मुंह देखने की कोशिश करें। आज आप अपना मुंह देखते नहीं हैं और जो लोग चरित्र का निर्माण करते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के लांछन विरोधी दल के माननीय सदस्य लगाते हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने गृह मन्त्री चरणसिंह जी के बयान का उल्लेख किया था। जिसमें कहा गया कि जेल में बन्द नेताओं को गोली मार देने की योजना थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय 42 वें अमेण्डमेण्ट की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उस समय यह भी कहा गया था कि सरकार को यह अधिकार है कि किसी को भी फांसी पर लटकाया जा सकता है। क्या इस कहने से इरादे का पता नहीं

××× अभिव्यक्तियां उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

चलेगा, क्या गोली से उड़ा दिया जाय तभी पता लगेगा? आपके शासन की क्या अवस्था थी? आप अपने मन को टटोलने की कोशिश करें। इसलिए गृह मन्त्री जी ने जो कहा है, वह सत्य है। आपकी इच्छाएं क्या थीं, इस प्रकार की बातें करने से काम नहीं चलेगा। जेल में रखे गये राजस्थान जनसंघ के भू. पू. अध्यक्ष वैद्य रविदत्त और उगमराज जी मेहता, इनको काल कोठरी में रखा गया है। उनको जेलों में रखने के कारण सदन में रखे जायें। जो जेलों में रखे गये उनके कारण मैं रखता हूं, मुझे कारण मिले हैं, मेरे पास कारण हैं। मैं कहता हूं कि कारण मेरे पास हैं। वह चाहें तो मुझे मिल जायें, मैं पढ़कर सुनाता हूं। आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है:–

"×××"

आज हरिदेव जोशी स्वयं होते तो पता चलता। ××× यह लिखा हुआ कागज

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए प्वाइण्ट आफ़ ऑर्डर, सर।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, माननीय हरिदेव जोशी सदन के सदस्य हैं। जब तक कि पूर्व सूचना नहीं दें तब तक उनके खिलाफ़ एलीगेशन नहीं लगा सकते हैं।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि किसी भी माननीय सदस्य पर आरोप लगायें तो उसकी सूचना सदस्य को अथवा सम्बन्धित मन्त्री को अवश्य दें। आपका प्वाइन्ट आफ़ आर्डर अप् हेल्ड।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : मैं उन पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगा रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या आप उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह जो आप पढ़ रहे हैं, क्या यह किसी की सर्टिफाइड कापी है?

श्री चिरंजीलाल गर्ग : माननीय सभापति जी, यह जेल में मुझे दी गई थी उसको मैं पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : इसके लिए भी नियम संख्या 273 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उसका पालन किया जाय। Otherwise there will be no end to it. Point of order upheld.

श्री मूलचन्द डागा : Thank you, Sir.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति जी, इस सदन में सन् 1952 से यह परम्परा रही है कि किसी माननीय सदस्य ने किसी दूसरे माननीय सदस्य के खिलाफ़ आरोप नहीं लगाये, यह परम्परा रही है, इसका पालन होना चाहिए। आप पहले इस सदन के सदस्य नहीं थे और श्री हरिदेवजी जोशी अब मुख्य मन्त्री नहीं

×××शब्द अभिव्यक्तियां उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं लेकिन आज भी सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री सभापति जी : भाषण नहीं, माननीय सदस्य, आसन की ओर से भी ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमों के अन्तर्गत अपना भाषण जारी रखें।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : आदरणीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से विरोधी दल के लोगों ने यह कहा कि तीस साल में कुछ नहीं किया, हमारे विरोधी दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया है वह नहीं करते तो समाज में उनकी गिनती उनमें होती जो जीवन भर तालियां बजाते हैं। आपने जिस तरह से देश को बरबाद किया, मैं समझता हूं कि अब आप तालियां बजाने वालों की श्रेणी में जाने की कोशिश नहीं करें।

इसके साथ-साथ राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें कहा गया है कि जनता को भय से मुक्ति दिलाई गई है और न्यायपालिका को शासन के चुंगल से छुटकारा दिलाया गया है। राजस्व मण्डल के लिए, माननीय सभापति जी, मेरा यह सुझाव होगा कि जिलाधीश पद पर किसी डिस्ट्रिक्ट जज एवं सेशन जज की नियुक्तियां की जायें, आज इनके द्वारा किसानों का गला घोंटा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर जिलाधीश इत्यादि न्याय करते हैं उनको पूरे नियमों व कानून की जनकारी भी नहीं होती है।

समय बहुत थोड़ा है। मैं आपको एक दृष्टान्त बताऊं। तीन लोगों ने अजमेर जिला कृषि की दफा 91 के फैसले के खिलाफ अपील की जिसमें उन पर जुर्माना हुआ तथा ट्रेसपासर माना गया। इसमें तहसीलदार ने एक मृतक के विरुद्ध भी कार्यवाही चालू कर दी। अपील में अपीलान्ट्स में से एक मृतक था। जो जिलाधीश उस लीगल पाइन्ट के आधार पर यह फैसला मौखिक सुनाते हैं कि मृतक की ओर की अपील मंजूर की जाती है बाकी के लोगों की अपील खारिज की जाती है। फिर उसी वक्त रीडर की राय पर फैसला बदला। इस तरह से तो किसान मर जायेंगे और पिस जायेंगे, यह मेरा निवेदन है।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

साथ साथ शिक्षा की बात कही गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवसायिक आधार पर निर्धारित की जाय। हमारे देश के बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा में चरित्र बल पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। विद्यालयों में इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। पुस्तकों के प्रकाशन के अन्दर लोग हजारों रुपये खाते हैं, बच्चों को हर साल काफी रुपया बरबाद करना पड़ता है। इसलिए भ्रष्टाचार के रास्ते बन्द किये जान चाहिए।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने 13 मिनट ले लिये हैं। आपके दल में बोलने वाले बहुत हैं। इस तरह काम नहीं चलेगा।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : आप तो अनुशासन जानते हैं। आप आर. एस. एस. के सदस्य रहे हैं। आपको बजट के दिनों में बहुत मौका मिलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह बैठ जायेंगे, अब।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : सभापति महोदय, सीधे भ्रष्टाचार की बात मैं कह रहा था। वनों के अन्दर जो काश्तकार जाते हैं उनसे भी ऊपर का पैसा लिया जाता है। एक एक जानवर पर पन्द्रह-बीस रुपया लेकर चराने देते हैं। इसी प्रकार से बिजली के लिये कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कि किसानों के कुए नीलाम हो गये। उनकी बिजली कट कर दी जाती है, जब तक कि मिनिमम चार्जेज नहीं जमा कराते। इस तरह से तो काश्तकार बरबाद हो जायगा। सभापति महोदय, अजमेर राजस्थान के बड़े शहरों में से एक है वहां पर पानी की समस्या भयंकर है, वहां पर घंटे-आधे घंटे पानी मिलता है। आप बताइये, यह कितनी दयनीय दशा है? इसी वजह से उद्योग वहां पर नहीं लगाये जा सकते। इसलिए जो भी योजनाएं हैं, वहां पर राजमहल की योजना को लागू करना चाहिए और उस पानी को किसी और जगह डाइवर्ट नहीं करते हुए इधर लाया जाय जिससे अजमेर, किशनगढ़ ब्यावर और नसीराबाद की पानी की समस्या हल हो सके।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : और अजमेर जिले का विकास हो सके।

सभापति महोदय, बातें बहुत रह गई हैं और समय कम है इसलिए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : Please sit down.

माननीय श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में मैं अपनी पार्टी की तरफ से कुछ विचार रखूंगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो बातें गिनाई गई हैं उनमें विश्व बैंक के सहारे सूखा ग्रस्त इलाकों का विकास करने की बात कही है। पर विश्व बैंक के सहारे अपनी योजना को चलाने के बनिस्बत अपनी खुद की योजना की बात आनी चाहिए वह उसमें नहीं आई। साथ ही अकाल के मामले में विश्व बैंक के सहारे पैसा लेकर के जो हम मदद पहुंचाना चाहते हैं उसके बजाय सूखा को राजस्थान से निकालने के लिए कोई ऐसी बात अभिभाषण में नहीं कही गई है जिससे राजस्थान से इस अकाल का खात्मा हो जाय, जब कि छोटी छोटी योजानाओं को विश्व बैंक के सहारे चलाने की बातें कही गई। यहां पर तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा था। काश्तकार इस फेमिन कोड के सहारे मिट्टी ढोता रहा। उस काम में इतनी कमियां थी कि अगर पक्का काम होता तो लाखों रुपये हमारे सामने होते और

(श्री नूरा)

उससे राजस्थान को काफी फायदा मिलता। तो इस फेमिन कोड में परिवर्तन होना चाहिए।

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, मैंने ब्यावर में देखा है कि रहने के लिए मजदूरों ने आस पास पड़ने वाली पंचायतों में अनुदान के रूप में रुपए जमा कराकर प्लाट्स लिए। वे हजारों रुपऐ आस पास की पंचायतों के खातों में जमा या खर्च हुए हैं लेकिन वे आज भी प्लाट्स के लिए तरस रहे हैं और वह मामला खटाई में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने जो कुछ किया उसकी वजह से उनका राज्य चला गया और जनता पार्टी का शासन आया। तो आपसे हम आशा करते हैं कि जो बातें कांग्रेस सरकार के समय छूट गई या ऐसे काम हुए जिनकी वजह से जनता को दुःख हुआ और उसके लिये कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ा। लेकिन यह भी सही है कि इस इमर्जेन्सी की शिकार हमारी पार्टी भी हुई, आज भी हमारे अलवर के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चल रहे हैं····

एक माननीय सदस्य : आप भी कांग्रेस के सदस्य थे।

श्री नूरा : आपके साथ श्योपत सिंह शामिल हैं।

जो भी कांग्रेस की नीति सही नहीं थी उसका हमारी पार्टी ने विरोध किया और समय समय पर हमारी पार्टी ने आंदोलन भी किए। इमर्जेन्सी के कारण ही आपको फायदा हुआ और जनता पार्टी का राज आया नहीं तो जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी करके राज प्राप्त किया हो या गरीबों के हित में काम किया हो, ऐसा नहीं है। यह तो कांग्रेस की ज्यादतियों से आपको इनाम मिला····

श्री चिरंजीलाल गर्ग : कांग्रेस के समर्थन से जीतकर आए हैं ?

श्री नूरा : यह सही है कि हम अगर नहीं जीत सके तो चिरंजीलाल जी भी तैयार रहें।

श्री सभापति : आप जीतकर आए हैं, House is taking judicial notice of it

श्री नूरा : मजदूरों के बोनस के सवाल पर केरल सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उनको 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिये। अगर हम मजदूरों के हित में काम करना चाहते हैं तो हमारा सदन भी मांग करे कि राजस्थान के मजदूरों को बोनस मिले, ऐसा हमारा कहना है। इस अभिभाषण में कहीं भी यह बात नहीं आई।

साथ ही कर्जों के मामले में कांग्रेस सरकार ने साहूकारों के कर्जे माफ करने की बात कही थी। मैं आशा करता था कि सरकार शायद अपने कर्जे भी माफ करने की बात कहेगी। अगर वह यह बात कहती तो बढ़िया होता..

श्री मूलचंद डागा : मैं क्षमा मांगता हूं। मजदूरों के लिए जरूरी बात कही जा रही है और हमारे श्रम मंत्री का कुछ सदस्यों द्वारा घेराव किया जा रहा है। यहां मजदूरों के

(श्री मूलचन्द डागा)

लिए 8 33 प्रतिशत बोनस की बात कही जा रही है और श्रम मंत्री को सदस्य घेरे हुए हैं। हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री नूरा : अजमेर जिले में ऐसे कोआपरेटिव्ज के कर्जे मौजूद हैं जो कांग्रेस के जमाने के दिए हुए हैं और चुकाते चुकाते इतना समय बीत गया। कोआपरेटिव से पूछिए कि मूलधन कितना है, ब्याज कितना है तो वह कहेगा कि मूलधन का पता नहीं लेकिन इतना बकाय है। ऐसे छोटे काश्तकारो लिए जहां अभिभाषण में 2।। हैक्टेमर है की बात कही है लगान माफ करने की वहां मैं आशा करता था कि यह बात भी आएगी कि 2।। हैक्टेअर वाले काश्तकारों के कर्जे भी माफ होंगे लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई।

साथ ही जयपुर में कच्ची बस्तियों का मामला है। ऐसे लोग गांवों में भी रहते हैं। जब बरसात पड़ती है तो वे बच्चों को लेकर बैठे रहते हैं। इसका उल्लेख भी आना चाहिए था, वह नहीं आया। राजस्थान के ज्यादातर लोग गांवों में बसे हुए हैं। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि गांवों की स्थिति क्या है, दवाइयां नहीं हैं, मकान नहीं हैं। ऐसी हालत में गांवों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। काश्तकारों के पुराने कर्जे माफ होते हैं तो नए कर्जों के हकदार हो जाते हैं, नहीं तो वे नए विकास की ओर नहीं जा सकेंगे।

साथ सी शराबबन्दी की बात जो कही गई, वह जरूरी है। गांवों में शराब बना बनाकर लड़के सोहबत में पीते हैं जिससे आगे की पीढ़ी में यह रोग लगता है।

तो मैंने कच्ची बस्तियों की बात कही, कर्जे माफ करने की बात कही। इन बातों के न होने से मैं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता बल्कि इसका विरोध करूंगा।

साथ ही भ्रष्टाचार की बात कही गई। 'आजाद हिंद' में एक खबर छपी है, भूतपूर्व मुख्य सचिव जोरावर सिंह झाला के घर पर साल भर पहले छापा पड़ा उसमें उसके घर पर रिवाल्वर मिला··

श्री सभापति : आपने नोटिस दिया ?

श्री नूरा : नहीं।

श्री सभापति : फिर उसका रेफरेंस न दें।

अखबारों में जो बातें होती हैं वे करेक्ट नहीं मानी जातीं।

श्री नूरा : मैं सिर्फ जानकारी के लिए··

श्री सभापति : आपने नियमों के अंतर्गत नोटिस नहीं दिया है।

श्री नूरा : कई साथी कह गए।

श्री सभापति : बार बार उनको आग्रह किया गया है।

श्री नूरा : अगर नियम मुझ पर ही लागू होता है तो मैं नहीं कहूंगा। मैं नया सदस्य हूं··

श्री सभापति : आप अपनी पार्टी के नेता हैं।

एक माननीय सदस्य : ये नाम नहीं दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री सभापति : नाम न लीजिए।

श्री नूरा : कांग्रेस राज ने जो मुकदमे कर वाये, वे आज भी चल रहे हैं। हो सकता है उनके साथ कोई घटना घट जाए। जब कांग्रेस राज के मुकदमे आज भी चलते रहें तो जाने वाले और आने वाले राज में क्या फर्क है ? सभापति महोदय, मैं आज के 15 दिन पहले की घटना का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा। ब्यावर में 15 दिन पहले एक बच्चे को कुचल कर गाड़ी द्वारा मार दिया गया। वह गाड़ी आगे चली गयी। एक चपरासी वहां पर खड़ा था उसने उस गाड़ी का नम्बर देख लिया। उस बच्चे की मृत्यु की रिपोर्ट हुई और उस मोटर गाड़ी के ड्राईवर को जेल में बन्द कर दिया गया। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दूसरे दिन सवेरे उस मोटर गाड़ी को और मोटर गाड़ी के ड्राईवर दोनों को ही छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं मोटर मालिक ने तो इतना तक कह डाला कि ऐसे तो रोजाना कई बच्चे भेड़-बकरी की तरह मरते हैं किसका फिक्र करें। सभापति महोदय, मैं खुद उसके बाद में उस बच्चे के पिता को लेकर डीवाई. एस. पी. के पास गया और सारा वृत्तान्त बताया तो उन्होंने यह कहा कि मैं इसकी जांच करूंगा। तो, सभापति महोदय, आज इस तरह की बारदातें हो रही हैं। जिस प्रकार कांग्रेस राज में होता था उसी तरह अब भी हो रहा है तो कांग्रेस राज में और जनता राज में क्या फर्क है ? एक ड्राईवर किसी मासूम बच्चे को एक्सीडेन्ट करके मार दे और फिर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के राज में और जनता पार्टी के राज में थोड़ा फर्क तो होना ही चाहिये।

श्री सभापति : यह किस तारीख की घटना है।

श्री नूरा : यही 15 दिन के पहले की घटना है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यह तो एडमिट करते हैं कि कांग्रेस राज और जनता पार्टी के राज में थोड़ा फर्क तो आना ही चाहिये।

श्री नूरा : हम तो उम्मीद करते ही हैं किसी गरीब का बच्चा मर जाय और कोई नहीं सुने। हम तो कांग्रेस राज में जब पांच थे तो भी निवेदन करते थे और अब एक हूं तो भी कहूंगा। इस तरह की घटनायें हो जायें तो उनको राज्य सरकार के सामने रखने का हक तो हमें है ही।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, अभी कुछ देर पहले एक माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे थे।

श्री सभापति : आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे थे बैठे बैठे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा हमारे यहां

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
नियम है कि कोई भी सदस्य बैठे बैठे नहीं बोल सकते।

श्री मूलचन्द डागा : अगर पांव में दर्द हो तो बोल सकते हैं।

श्री नूरा : आज, सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार बेकारी मिटाने की बात करती है लेकिन सही मायने में वह सिर्फ घोषणायें ही कर रही है। अभी बांसवाड़ा जिले में माही डेम प्रोजेक्ट पर करीब दो हजार मजदूरों को बिना नोटिस दिये ही नौकरी से निकाल कर उन्हें बेकार कर दिया। सभापति महोदय, जो लोग बेचारे करीब दो-दो साल से काम कर रहे थे उन्हें बिना नोटिस दिये ही निकाल दिया। एक तरफ सरकार मजदूरों की खैरख्वाह बनने की बात करती है दूसरी तरफ उन्हें नौकरी से निकाल रही है। यह मजदूर विरोधी नीति का जीता जागता उदाहरण है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं राज्य सरकार के समक्ष दूसरी बार माही प्रोजेक्ट के मजदूरों को निकालने की बात दोहरा रहा हूं।

साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अल्प संख्यकों के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था। अल्प संख्यकों में मोहमडन लोग हैं जो कि कम हैं। उनके लिये नौकरी में लाइन में लगने की व्यवस्था को बन्द किया जाना चाहिये। उनके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि एक कोटा निर्धारित कर दे ताकि उनको उस कोटे के अनुसार नौकरी मिल जाय और उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़े। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनका जिक्र नहीं है इसलिए मैं उनके बारे में दोहरा रहा हूं। यह जो कमियां हैं उनके अभिभाषण में अगर वह पूरी नहीं होती हैं तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं और उसका विरोध करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इन कमियों को दूर किये बिना मैं इस जनता सरकार को पूंजीवादी सरकार ही समझूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो खामियां मैंने बतायी हैं वे दूर की जायं ताकि हम उसका समर्थन कर सकें।

श्री सभापति : श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में पेश हुआ है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में जो आपातकालीन स्थिति में ज्यादतियां हुई थीं उनका थोड़ा ही उल्लेख किया गया है। सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि आपातकाल की घटनाओं के दुःख दर्द की जितनी चर्चा की जाय उतनी थोड़ी है। सभापति महोदय, आपातकाल में हमारे देश में जितने भी विरोधी राजनैतिक दल थे उनके लोगों को जेल के अन्दर ही नहीं कर दिया गया बल्कि उन्हें बुरी तरह से कुचला भी

(श्रीमती उजला अरोडा)

गया। हमारे देश में जितने भी ग्रखबार थे जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया उन ग्रखबारों को बन्द कर दिया गया। लोगों की ग्रावाज को दबा दिया गया, ग्रखबारों का गला घोंटा गयी। यहां जयपुर शहर में फुटपाथ पर धन्धा क ते थे, उनको व थड़ी लगाने वालों की थड़ियों को हटा दिया गया। जो गरीब लोग ग्रपनी रोटी-रोजी उन थड़ियों के जरिये कमाते थे वह बेकार हो गये। कई लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया। लोगों को नसबन्दी के नाम पर बुरी तरह से परेशान किया गया। जबरन नसबन्दी की गया। इतना ही नहीं किसी भी प्रकार का लाइसेंस का ग्रगर नवीनीकरण कराना होता तो उसके लिये नसबन्दी का प्रमाण—पत्र पेश करना ग्रनिवार्य होता था। राज्य सरकार के कर्मचारियों को जबरन नौकरी से निकाला गया, जबरन नसबन्दी कराने के लिखित ग्रादेश दिये गये, उन्हें परेशान किया गया, उनकी तनख्वाहें रोक दी गयीं, बिना कसूर ग्रनिवार्य सेवा मुक्ति की गई। तो मेरा निवे- है कि कांग्रेस सरकार ने लोगों को बुरी तरह से ग्रातंकित कर दिया था। ग्राज कांग्रेस पार्टी वाले यहां ग्रौर बाहर बैठकर यह कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वह ग्रच्छा किया। हम जानते हैं जो जेल में रहे थे उनके साथ में कितना ग्रत्याचार किया जाता रहा था, उनके रिश्तेदारों को किस तरह से कांग्रेस सरकार में परेशान किया जाता था। जेल में हमारी ऐसी व्यवस्था थी कि न तो वहां हवा ग्राने की व्यवस्था थी न जेल में कैदियों के लिये कपड़े की पूरी व्यवस्था थी, न खाने-पीने की ही व्यवस्था थी। जयपुर की जेल ग्रगर ग्राप देखें तो ग्रापका हृदय दुःख से दहल जायेगा। जयपुर जेल की व्यवस्था ऐसी थी कि राजनैतिक कैदी बहुत ही दुखी हो रहे थे। वहां के ग्रस्पताल की हालत तो बहुत ही खराब थी। जेल में, सभापति महोदय, मुझे दिल का दौरा पड़ा। तो वहां हालत यह थी कि कोई भी हमारी देख-रेख करने वाला नहीं था। यहां तक हालत खराब थी कि जेल में बीमार कैदियों को उनके परिवार वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता था। मेरे रिश्तेदारों को मिलने तक नहीं दिया। मेरे साथ उस वक्त जेल ग्रस्पताल में श्री गोकुल भाई भट्ट थे। वह भी बीमार थे। श्री गोकुल भाई भट्ट तो एक संत की तरह थे। सभापति महोदय, एक बार जेल में मेरे पति ग्राये ग्रौर मैं ग्रौर वह ताश खेल रहे थे तो ग्रगली बार ग्राने को मना कर दिया ग्रौर पर्मीशन देने में कहा गया कि ग्रापने समय का मिस यूज किया है, ग्राप ग्रपनी पत्नी से नहीं मिल सकते। इसी प्रकार के कई ग्रत्याचार कांग्रेस सरकार के हाथों से ग्रापातकालीन समय में हुए हैं। इन ग्रत्याचारों का जितना भी वर्णन किया जाये उतना ही थोड़ा है। इस ग्रापातकाल के दौरान जेल में बन्द कई लोगों के रिश्तेदार मर गये, कई बच्चे मर गये, कितने साथी जेलों में मर गये जिनसे उन की मातायें मिल नहीं सकीं ग्रौर ग्रब कभी भी उनसे नहीं मिल सकेंगी, न वह कभी लौटेंगे। उन्हें मैं मेरी श्रद्धांजलि देती हूं।

सभापति महोदय, कांग्रेस राज्य में इस राजस्थान में कई बार गोली कान्ड हुए जिसमें कई ग्रबोध बालक मारे गये। कई गरीब लोग मारे गये। सभापति महोदय, 7 मार्च, 1967 को यहां पर जयपुर में जौहरी बाजार में कांग्रेस सरकार ने ग्रपना राज कायम करने के लिये कई निहत्थे लोगों पर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गोली चलाई जिसमें कई बच्चे मर गये, कई अपंग हो गये लेकिन उनके परिवार वालों को कोई पर्याप्त पेन्शन नहीं दी गयी और न ही उन अपंग बच्चों को ही पर्याप्त पैसा दिया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन गरीब लोगों को पेन्शन मिलनी चाहिये और बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानी चाहिये। जिन लोगों ने गोली चलाने के आदेश दिये हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मैं इस बात की मांग करती हूं, इसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, इतना अच्छा भाषण हो रहा है लेकिन ट्रेजरी बेन्चेज पर कोई भी केबीनेट रैंक का मन्त्री नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आयी हूं जयपुर ग्रामीण से वहां पर कई पर्यटन स्थान हैं लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभिभाषण में उनके विकास के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जयपुर में आज तक उन स्थानों का विकास नहीं किया गया है। जब अजमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि में भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उन स्थानों का भी पर्याप्त विकास नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन पर्यटन स्थानों का विकास किया जाना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, माननीय सदस्या इतनी महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं लेकिन कोई भी केबीनेट स्तर का मन्त्री नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप स्थान ग्रहण करें। मुझे बोलने दें

श्री सभापति : State Minister will you please convey the concern of the House to the Minister concerned present here today.

श्रीमती विद्या पाठक : Yes Sir.

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं थोड़ा अपने क्षेत्र के बान्धों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। पिछले 30 वर्षों से राजस्थान में कई बांध बनाये गये, विकास के कई कार्यक्रम हुए लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आयी हुई हूं उस क्षेत्र में न बांधों का विकास हुआ, न सड़कों का विकास हुआ और न ही पर्यटन स्थानों का विकास हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सड़कें टूट गयी हैं, जो बांध टूट रहे हैं, उनकी सुरक्षा का कार्य जल्दी से जल्दी किया जाये। इसी वर्षा काल में मेरे क्षेत्र में 18 बांध टूटे हैं। एक बांध तो ऐसा टूटा है जो अपने साथ दस फीट मिट्टी बहाकर ले गया और आसपास के सारे गावों को तहस-नहस कर डाला। मैं कहना चाहती हूं कि गावों में जो ऋण लेकर बनाये गये कुए थे वह मिट्टी से ढक गए। कहीं कुओं की मोटर मिट्टी में दब गयी है तो कहीं और चीजें मिट्टी में दब गयी हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि ऐसी आकस्मिक दैविक घटनाओं के लिए कोई ऋण तथा सहायता राशि आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए और ऐसी राहत राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उसी समय पर राहत दी जा सके। बहुत से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गांव वाले रोजी-रोटी से रह गये। यदि इस पानी के निकास की कोई योजना होती तो लोगों की समय पर सुरक्षा हो जाती और खेतों की सिंचाई होती। जो सीलन होती इन बांधों से उससे गांवों के कुओं में पानी की सतह ऊंची आती और जानवरों को पानी मिलता। मैं कहना चाहूंगी कि भविष्य में इस क्षेत्र की ही बात नहीं कहती बल्कि मैं पूरे राजस्थान के गांवों की बात कहना चाहूंगी कि इस तरह का कभी कोई प्राकृतिक विध्वंस हो तो जो ऐसे क्षेत्र में लोग बसते हैं उनको जिस प्रकार शहरी बस्तियों में भी जिस समय बाढ़ का दृश्य उपस्थित हुआ है और हमारे समक्ष कुछ रुपया वितरित किया गया उसी प्रकार इन समस्याओं की तरफ भी ध्यान देते हुए सहायता राशि तय की जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमेशा के लिए यह करना चाहिए कि बांध पक्के बांधे जायं और अगर पानी ज्यादा आ भी जाय तो उसकी निकासी का ऐसा रास्ता बनाया जाय कि जहां खेत आदि हैं वहां पानी जाये और जहां पानी बह सकता है वहां से उसे निकाल दिया जाय जिससे खेती की ओर गांव में रहने वाले व्यक्तियों की और जानवरों की सुरक्षा हो सके।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि आवासीय समस्या के बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने एन्क्रोचमेन्ट किये हैं। लोग एन्क्रोचमेन्ट करते हैं या फिर गृह-निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से लोगों ने जमीनें ली हैं। यह तो कह दिया जाता है कि यह एन्क्रोचमेन्ट है लेकिन आवासीय समस्या के समाधान के लिए कोई भूमि निर्धारित नहीं की गयी है। जो आवासन बोर्ड के तहत थोडे बहुत मकान बनाये गये हैं वह नाकाफी हैं। मैं कहना चाहूंगी कि इस समस्या का एक स्थाई हल निकाला जाये जिससे आवास की समस्या हल हो सके।

माननीय सभपति जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि चिकित्सा व्यवस्था की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। गांव-गांव में जहां हम वोट लेने जाते हैं वहां कम से कम ऐसी चिकित्सा व्यवस्था तो करनी चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सा व चिकित्सा केन्द्र हों। मैंने गांवों का दौरा किया है लेकिन वहां कोई समुचित व्यवस्था चिकित्सा की नहीं है। गांवों में रहने वाले कुछ तो आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं और कुछ एलोपेथी चिकित्सा में विश्वास रखते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था गांवों में इसलिए नहीं हो पाई है कि वहां पर काम करने वालों को कोई ग्रामीण भत्ता नहीं दिया जाता है। शहर में भत्तों के लिए तो लोग दौड़ते हैं। अगर गांवों में भी यह भत्ता हो तो गांवों में शिक्षित लोग जायेंगे और वहां की चिकित्सा व्यवस्था सुचारु रूप से हो सकेगी। मेरी बहुत-सी प्रसूति बहनें वहां से आते-आते दम तोड़ देती हैं। बहुत से बच्चे भी रास्ते में ही पैदा होते-होते मर जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

मेरी ऐसी बहुत-सी बहिनें हैं जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए तरसती हैं, उनके भी सपने पूरे हों इसलिए गांवों में कम से कम स्कूल · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सभापति महोदय, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं थोड़ा-सा समय आप से और चाहूंगी।...

श्री सभापति : 10 मिनट तो हो गए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समझती हूं कि मुझे थोड़ा समय और दे दिया जाये तो बड़ी कृपा होगी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : महिला हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : कन्टीन्यू रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बड़ी कृपा है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि शराबबन्दी के बारे में काफी कहा गया है। मैं समझती हूं कि पूर्व वक्ताओं ने काफी कहा है लेकिन जितना मैंने इसको समझा है, शायद कम लोगों ने समझा होगा। हमारी गाढ़ी पसीने की सारी कमाई इसमें चली जाती है, और इससे हमारे सामने समाज में ऐसी स्थिति पैदा होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। समाज में अपमान, घर मे विनाश का नृत्य होता है। अगर पैसा नहीं होता है तो बहिनें कैसे अपना सम्मान रख पायेंगी और पैसा नहीं होगा तो बच्चों को कैसे शिक्षा दे पायेंगी? गलत ढंग से कमाई कभी सरकार को नहीं करनी चाहिये। शराब की कमाई भी जुए तथा वेश्यावृत्ति की कमाई की तरह है जो कि सरकार को छोड़ देनी चाहिए और तुरन्त निर्णय लेना चाहिए कि वह शराब नहीं बेचेगी...

श्री मूलचन्द डागा : आज से ही घोषणा होनी चाहिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आज शराब की दुकानें इस तरह से खुली हुई हैं जिस तरह से रेस्टोरेन्ट चाय के खुले हुए हैं। यह दुकानें शाप्स एण्ड कामर्शियल एक्ट के तहत भी नहीं आतीं। जब सारी दुकानें बन्द हो जाती हैं तब भी यह मयखाने खुले होते हैं। यह हमारे घरों की बरबादी है। इसलिए इस देश की रक्षा के लिए और बहिनों की रक्षा के लिए सरकार शीघ्र निर्णय ले।

मैं आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो रोजगार के बारे में उल्लेख किया गया है, उस ओर भी दिलाना चाहती हूं। वर्षों से हमारे बहुत से भाई रोजमर्रा के भत्ते पर काम करते चले आ रहे हैं। उनको रोजी का स्थायित्व प्राप्त नहीं है। डेली वेजेज पर आठ-आठ साल से काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि 240 दिन तक ऐसा कार्य करने के बाद स्वत: ही ऐसा होना चाहिए कि उनकी जो नौकरी है वह स्थाई रूप से लग जाय। जो हमारा कानून है 1926 का उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमें लिखना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार उसमें संशोधन लावे। मैं कहना चाहूंगी कि जो मजदूर हैं, जो फुटकर मजदूर हैं या दुकानों पर काम करने वाले हैं उनको आठ घण्टे काम करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, सरकारी नौकरियों में, सेक्रेटेरियट में सिर्फ आठ घन्टे काम करने के लिए कर्मचारी बंधे हुए हैं लेकिन दुकानों पर काम करने वाले जो निजी कर्मचारी हैं उनको सुबह जाना पड़ता है और सारा दिन काम करके रात को घर आना पड़ता है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। वह भी हमारे भाई हैं, उनके भी परिवार हैं, उनका भी सुख संसार है, वे केवल आठ घन्टे काम करें, उनको भी उनकी भविष्य

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निधि मिले, उनको भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही स्वास्थ्य भत्ता मिले और जितने भी लाभ अन्य लोगों को मिलते हैं इस कानून के तहत प्राइवेट लोगों को भी मिलें।

मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूँगी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देवस्थान के बारे में और वक्फ के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया। हम भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। मैं कहना चाहूँगी कि वक्फ और देवस्थान की सम्पत्ति हमारी सरकार की है, उनकी रक्षा के लिए संकल्प लेना है और काम करना है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पुरातत्व की ओर भी ध्यान माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं दिलाया गया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहूंगी।

जो हमारा म्यूजियम है, पुरातत्व के स्थान हैं और भारतीय संस्कृति की पुस्तकें और पाण्डुलिपियां हैं, चित्र हैं व मूर्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही जन जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर आदमी को रोजगार मिल सके, कोई बच्चा बेकार न रहे इसके लिए पूरा ध्यान देते हुए सरकार कार्य करे। भंगी कष्ट मुक्ति के लिए भी कार्य करना है। मैं इस अभिभाषण का अनुमोदन करते हुए मेरा स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : माननीय सभापति जी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का हृदय से स्वागत करती हूं। उन्होंने राजस्थान के सम्पूर्ण विकास के लिए एक रूप रेखा दी है। उनके अभिभाषण में जो इमर्जेन्सी के बारे में उल्लेख है उसमें उन्होंने कहा है कि यह एक काला चिट्ठा है, हमारे देश में कलंक है। काफी लोगों ने दुःख उठाये हैं और हम में से कई लोगों ने अपनी आंखों से दुःख देखे हैं। जब इसको इतिहास के शोधकार देखेंगे तो उनको हैरानी होगी कि उनके देश में एक माता ने, एक बहिन ने ऐसे जुल्म ढाये हैं। और वे हिरण्यकश्यप और कंस से भी बढ़ कर रहेंगी। दिल्ली में ही नहीं, राजस्थान में भी इन अत्याचारों का तांता लगा रहा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जब जस्टिस सिन्हा का फैसला सुना तो उनका सिंहासन डोलने लगा। उन्हें दुख हुआ कि उनकी कुर्सी छूट न जाये। उन्होंने निर्णय लिया कि विरोधी दलों के समस्त नेताओं को जेल भेज दिया जाय। यही नहीं, लोगों से उनको भय होने लगा। भय से, आपात स्थिति की घोषणा कर दी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि यदि वे देश की प्रधान मन्त्री नहीं रहीं तो देश छिन्न-भिन्न हो जायगा। किन्तु हर्ष का विषय है कि इन्दिरा गांधी चली गईं और देश आगे बढ़ गया और लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले लोगों को जनता ने जिता कर भेजा है। देश के इन महान नेताओं ने, जिन्होंने देश की बागडोर सम्भाली, महात्मा गांधी की समाधि पर प्रतिज्ञा की कि देश के उत्थान के लिए वे सर्वस्व न्योछावर करेंगे, वे लोग वास्तव में देश की भलाई के लिए आगे बढ़े हैं।

(श्रीमती नारंगी देवी)
देश में जो प्रगति आनी चाहिये उसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो बात कही हैं, वे उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक हैं।

सभापति जी, मैं आदिवासी क्षेत्र से आती हूं। हम लोगों का जन्म अभावों में होता है और अभावों में ही हम लोग मरते हैं। दुःखों को हमने देखा है। राजनैतिक लोगों ने अपनी राजनैतिक दुकानें सजाई और संवारी हैं। तीस साल के लम्बे समय में हम लोगों ने संघर्ष किया लेकिन हमारे क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। मेरा क्षेत्र किशनगंज शाहाबाद 2।। तहसीलों से मिलकर बना है। काफी लम्बा चौड़ा क्षेत्र है। कमियां क्षेत्र की लाखों रही हैं। क्षेत्र जंगली है, डाकुओं से परिपूर्ण है और परिस्थितियां काफी विपरीत हैं जिनकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। जहा से मैं आती हूं उस गांव की दशा ऐसी है कि अभावों की बहुतायत है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। हमारे क्षेत्र में केवल एक ही स्टेट रोड है वह है कोटा से शिवपुरी रोड और वह भी काफी समय से ठीक नहीं कराई गई। मैं जनता सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सड़कों का जाल भी ऐसे क्षेत्रों में बिछाया जाय ताकि प्रगति हो।

दूसरा उदाहरण है, किशनगंज जो हैड क्वार्टर है उस क्षेत्र से रामगढ़ तक सड़क नहीं है। 100 गांव इस क्षेत्र में हैं। 1964-65 में कुछ धनराशि मन्जूर हुई थी लेकिन बहुत कम पैसा सड़कों के निर्माण में लगा और लोग खा गये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि गरीबों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय खोले जाने चाहिये। गर्भवती महिलाओं के लिए कोई अस्पताल नहीं है। बड़ी बुरी हालत है। बिजली नहीं है। हमें हमेशा के लिए एक ऐसी प्लानिंग चाहिये जिससे हमारे देश के गरीब लोगों की भलाई हो सके और हमेशा के लिए बाढ़ और अकाल को दूर करने के लिए उचित व्यवस्था हो सके।

उस क्षेत्र में जो वन सम्पदा है, जैसे तेन्दू पत्ता, कत्था आदि उनको ठीक तरह से काम में लाया जाय और हमारे गरीब और बेरोजगारों को उसमें लगाया जाये। इमारती लकड़ी का वहां बाहुल्य है। आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि कोटा से बिजली मध्य प्रदेश को सप्लाई करते हैं। मेरे क्षेत्र में 94 गांवों को बिजली देने की योजना थी परन्तु पिछले पांच वर्षों में दो ही गांवों को बिजली दी गई। मेरे क्षेत्र के लोग जब मध्य प्रदेश में लगे ट्यूब वैल और बिजली देखते हैं तो मन में दुःख महसूस करते हैं। मेरे क्षेत्र में 456 गांवों में से 125 गांव बेचिराग हैं। कुछ गांव वाले वर्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाटों को सिर पर लेकर चलते फिरते रहते हैं। सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों के रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई परमानेंट व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जो रिफ्यूजी आये हैं उनके आवास के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। उनको टैंटों में बसाया गया है। जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों की व्यवस्था की जाये।

(श्रीमती नारंगी देवी)

इस क्षेत्र में · · · ·

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

शिक्षा की बहुत कमी है।

दो मिनट और · · · ·

श्री सभापति : दो मिनट तो हो गये।

श्रीमती नारंगी देवी : शिक्षा की बहुत कमी है। एक गरीब टीचर जो सिंगल टीचर स्कूल का है, झाड़ू लगाने से लेकर बच्चों को पहुंचाने और लाने का काम भी उसको करना पड़ता है। उसके साथ विविध सरकारी काम भी करने पड़ते हैं। इनको एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से थोड़ा सा ही अधिक वेतन मिलता है। मैं चाहती हूँ कि ग्रामों में रहने वाले उन अध्यापकों को अधिक वेतन मिले। जब हमारे देश की शिक्षा की नींव ही कच्ची होगी तो आगे जाकर यूनिवर्सिटी और कालेजेज में अध्यापक क्या पढ़ा पायेंगे? यूनिवर्सिटी और कालेजेज के अभी वेतन-मान बदल कर अधिक किये हैं किन्तु मैं चाहती हूं कि अध्यापकों के ग्रेड्स भी उसी प्रकार बढ़ाये जायें। हालत यह है कि न हम जी सकते हैं न मर सकते हैं।

अस्पताल की व्यवस्था हो। इस क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है। जो अस्पताल है वह भी एक डिस्पेन्सरी है। आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की व्यवस्था की जाय।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने महिलाओं के लिए बहुत कम बात कही है। मैं चाहती हूं महिलाओं के लिये जो प्रशिक्षण की बात कही है वह उचित प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही उन लोगों के उद्योग धन्धे भी आगे बढ़ाये जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रशिक्षित हो सके। कहा भी है, a good mother is better than hundred teachers

अब मैं उद्योग धन्धों के बारे में कहना चाहूंगी। हमारे क्षेत्र में खनिज पदार्थ बहुत हैं और अन्य वस्तुएं भी हैं। छोटे बड़े उद्योग सरकार की तरफ से चलाये जायं ताकि हजारों आदिवासियों को उसका लाभ मिल सके और उनको उचित काम भी मिल सके।

छात्रावासों के लिए निवेदन करूंगी, ये छात्रावास अलग-अलग न होकर शहर के बीच में बसाये जायें ताकि अस्पृश्यता का निवारण हो।

मैं चाहती हूं शराब बन्दी गांवों में अधिक हो। गांवों में अधिकतर लोग प्याज लहसन से रोटी खाने वाले हैं। उनकी रोजी-रोटी ही बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। आज उनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है अतः गांवों में तुरन्त शराब बन्दी कर दी जाय।

डाक्टर जो शहरों में इधर-उधर भटकते रहते हैं, उनको विशेष प्रकार का खर्चा देकर, सरकार से कर्जा देकर गांवों में भेजा जाय ताकि गांव वालों को चिकित्सा

(श्रीमती नारंगी देवी)

सुविधा ठीक प्रकार से मिल सके। मेरे यहां जड़ी-बूटियां भी बहुत होती हैं और आज भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, सरकार से मेरा निवेदन है उनका भी उचित उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से किया जाय।

प्राइमरी और सैकेन्डरी एजूकेशन के लिए केवल बहुत कम पैसा हमारे यहां खर्च किया गया है। समग्र विकास के लिए सरकार ने बहुत कम कार्य किया है। मैं चाहती हूं इन पिछड़े लोगों के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था की जाय। हमारी पूर्व सरकार ने कहा था कि हमने उनके लिए बहुत रुपया स्वीकृत किया है लेकिन वह रुपया कहां गया इसकी जानकारी की जाय। लोगों पर ऐसे-ऐसे तो जुल्म ढाये गये पर रुपया नहीं पहुंचाया गया। इसकी ओर भी आप ध्यान दें। मैं चाहती हूं इन्डस्ट्रीज बहुत अधिक हों।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि किशनगंज, शाहबाद क्षेत्र में एक पंचायत समिति शाहबाद में है, वहां के लोग अपने केसेज के लिए बारां आते हैं। 50 मील में न्याय देने की व्यवस्था नहीं है। मैं न्याय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी, एस. डी. ओ. किशनगंज तहसील में रखें ताकि बहुत से केसेज वहीं तय किये जा सकें।

मैं मानती हूं गांव में विकास लाने का एक मात्र तरीका शिक्षा है इसलिये वह शिक्षा वर्क ओरियन्टेड हो ताकि लोगों को प्रशिक्षित करके काम धन्धा दिया जा सके। व्यक्ति की शिक्षा कम भी हो लेकिन उसके साथ ही उसको काम पर लगाया जाय। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक रात्रि के 8–00 बजे तक बढ़ा दी जाय।

श्री सभापति : क्या यह सदन की इच्छा है कि सदन की कार्यवाही आज रात्रि के 8–00 बजे तक के लिये बढ़ाई जाय ?

(स्वीकृत)

कार्यवाही रात्रि के 8–00 बजे तक के लिए बढ़ाई गई।

माननीय श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : आदरणीय सभापति महोदय.....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था...

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस समय नहीं लिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : पहले दिया हुआ है।

श्री सभापति : इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको सूचना दी जायगी।

श्री बिरदमल सिंघवी : आदरणीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उस पर जो

(श्री बिरदमल सिंघवी)

धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

आपातकाल की स्थिति में जो कुछ हुआ उसके लिये राजस्थान के लिये विशेष रूप से भूतपूर्व न्यायमूर्ति श्री कान सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति की बात अभिभाषण में कही गई है। वास्तव में इस प्रकार की समिति की बहुत आवश्यकता थी। राजस्थान में आपातकाल के समय में जो बातें हुईं, उनकी जानकारी सबको होनी चाहिये, इसलिये भी होनी चाहिये की आइन्दा भविष्य में इस प्रकार की गलती फिर से न हों। चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, इस प्रकार की गलती कभी फिर से न हो और सत्ता में आने के बाद ऐसा अनुभव नहीं करें कि जिस प्रकार हम चाहेंगे, कर सकेंगे।

मैं जोधपुर जेल के एक दो उदाहरण आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा। जोधपुर में श्री ओंकार लाल शर्मा जेल में थे। उनके पिताजी सख्त बीमार हुये, वे वृद्ध थे और जब मरण शैय्या पर थे तो उनका एक पत्र आया कि एक बार तुम किसी भी प्रकार से चाहे पैरोल पर ही क्यों न हो आ जाओ। मैं एक बार तुम्हें अन्तिम रूप में देखना चाहता हूं। वह पत्र श्री ओंकार लाल का सरकार को भेजा गया जिसमें उनके पिता जी की अन्तिम इच्छा तथा पुत्र की उनके दर्शन करने की बात भी लिखी गई · · ·

(4.40 म. प.)

(श्री रामनारायण, सभापति, पीठासीन)

(विराम)

श्री सभापति : जारी रखिये।

(विराम)

अपना भाषण जारी रखिये।

श्री बिरदमल सिंघवी : मुझे, सभापति जी, सदन को यह बताते हुए बड़ा अफसोस होता है ऐसे समय में जब उनके पिताजी मरण शैय्या पर अन्तिम सांस ले रहे थे और एक पुत्र अपने पिता के दर्शन करना चाहता था, पिता अपने पुत्र को देखने के लिये अधीर था लेकिन उस जुल्मी सरकार ने उनके पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके पुत्र जेल में ही बैठे रहे। श्री ओंकार लाल जी अपने पिता के अन्तिम दर्शन भी नहीं पा सके और कोई पैरोल नहीं हो पाया उनके लिये। यह घटना वास्तव में झकझोर देने वाली है।

इसी तरह एक 17-18 साल का बालक था, उस बालक के पिताजी को हार्ट अटेक हुआ। पिताजी की उम्र कोई 45–46 साल की थी। हार्ट अटेक होने के बाद भी उस बालक को नहीं छोड़ा गया। उसको कहीं डी. आई. आर. में बन्द किया गया था। उसने अर्जी दी, किसी प्रकार जमानत पर या पैरोल पर ही एक बार घर भेज दीजिये ताकि वह अपने पिता की सेवा कर सके जो हार्ट पेशेंट हैं। पिता का वह सबसे बड़ा लड़का था। उसकी माताजी अस्पताल में रह नहीं सकती थीं, घर की देख रेख करने के लिए भी कोई चाहिए, उसकी माताजी को रसोई भी बनानी पड़ती थी, छोटे-छोटे

(श्री बिरदमल सिंघवी)

बच्चों को भी पालना पड़ता था। अगर उसके पिताजी के पास उस बालक को रहने के लिए नहीं भेजा गया। उस बालक के पिताजी का अस्पताल में ही स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार की घटनायें बहुत सी हुईं। इस प्रकार की अमानुषिक, नृशंसतापूर्ण घटनाएं वहां पर अनेकों हुई हैं जिनकी जानकारी सब लोगों को होनी आवश्यक है।

श्रीमान्, मेरी इच्छा नहीं थी मैं आपात काल की बातों का जिक्र यहां पर करूं। जो हो गया वह हो गया। अब हमें आगे के लिए विचार करना है। राजस्थान के भविष्य के लिए विचार करना है, उसको आगे ले जाने के लिए विचार करना है। इन सब बातों को छोड़ कर राजस्थान को किस प्रकार सुखी बना सकें इस प्रकार की बातों पर हमें विचार करना है। जनता पार्टी को जनता ने अवसर दिया है और वह इस आकांक्षा के के साथ दिया है कि जनता सरकार केवल आश्वासनों पर ही नहीं चलेगी बल्कि काम करेगी। आश्वासनों के भरोसे जनता को वास्तव में राहत मिलने वाली नहीं है। पिछली सरकार में केवल आश्वासन देने, उद्घाटन और भाषण बाटन करने से ही मंत्रियों को फुरसत नहीं होती थी। इसी कारण जनता ने उनको अवसर नहीं दिया। अब जनता के स्तर को ऊपर लाने का काम हमारा है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह अवसर मिला है, जनता ने हमें अवसर दिया है तो हम वास्तव में दरिद्र नारायण की सेवा करें। राजस्थान का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां गरीब लोग रहते हैं वहां उनके जीवन स्तर को हम ऊपर लायें। हमें अवसर मिला है तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न करें और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो गरीब बस्तियां हैं, गरीब लोग हैं विशेष रूप से उनका ध्यान रखें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की जो समस्यायें हैं उन समस्याओं को प्राथमिकता देकर राजस्थान को आगे बढ़ायें।

राजस्थान में राजस्थान नहर काफी समय से बन रही है किन्तु अभी केवल उसका कुछ हिस्सा ही बना है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। राजस्थान नहर बनेगी तो न केवल हमारी सीमा की सुरक्षा होगी बल्कि सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहायक होगी। इस प्रदेश का वास्तव में विकास करना है तो इस नहर का विकास करना और इस नहर को जल्दी से जल्दी पूरा करना खूब आवश्यक है। इसलिए इस नहर को जल्दी से जल्दी बनाया जाय ताकि यहां पर लाखों लोगों को बसा सकें, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकें, मजबूत कर सकें और जो सूखा इलाका है उसको हरा-भरा कर सकें, जल की समस्या हल कर सकें।

पश्चिमी राजस्थान में जल की बहुत समस्या है। उस समस्या के कारण लोगों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। एक-एक घड़े के लिए चार-चार पांच-पांच मील चल कर पानी लाना पड़ता है। इस प्रकार की भयानक समस्या वहां के गांवों की है। महिलाओं को एक घड़ा पानी लाने के लिए चार-चार, पांच-पांच घण्टे लगाने पड़ते हैं तब

(श्री बिरदमल सिंघवी)

जाकर वह एक घड़ा पानी का भर कर ला सकती हैं। वे चार-पांच मील पैदल चल कर पानी लाती हैं। हमें इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करना होगा। जोधपुर नगर में भी, जो राजस्थान का दूसरा बड़ा नगर है, जल की बहुत समस्या है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा, माननीय सभापति महोदय, जोधपुर नगर में पीने का पानी भरने के लिए सार्वजनिक नलों पर इतनी भीड़ होती है कि नलों पर झगड़े होते हैं, घड़े फूटते हैं। इस सारी परेशानी के बाद एक-एक घड़ा पानी के लिए चार-पांच घण्टे तक खड़ा होना पड़ता है। कभी नल रात्रि को बारह बजे आता है, कभी दो बजे आता है। गरीब बस्तियों में तो नल खूब कम समय तक चलता है। मजदूर दिन भर का हारा थका घर आता है और रात्रि को पानी भरने के लिए समय लगाता है। इस तरह की स्थिति है। जवाई बांध से जो पानी आता है उस पानी का दुरुपयोग होता है। जितना पानी वहां से चलता है जोधपुर शहर को पीने का पानी देने के लिए उसका पांचवां हिस्सा भी जोधपुर शहर में नहीं पहुंच पाता। समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे होता है। जितना पानी जवाई बांध से चलता है वह पूरा का पूरा तो क्या आधा भी नहीं बल्कि 2।5 हिस्सा भी नहीं पहुंच पाता है। आखिर पानी कहां चला जाता है ? नहर खुली होने से पानी को लोग चुरा कर ले जाते हैं। इस तरह से कुछ तो पानी चोरी चला जाता है और कुछ पानी जमीन में धंस जाता है। यदि बड़े-बड़े नल लगा कर नलों से जवाई बांध से पानी लाया जाय तो यह पानी की समस्या खूब हल हो सकती है। इस प्रकार की एक योजना भी थी। जिस समय वह योजना बनी थी तो केवल पांच करोड़ का खर्चा था किन्तु आज आठ करोड़ रुपयों का खर्चा बताया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान्, अगर इस योजना को क्रियान्वित किया जावे तो वास्तव में काफी फायदा हो जाएगा। आज पानी न आने के कारण पानी जो घरों में दिया जाता है उससे आय नहीं होती। घरों को कष्ट होता है वह कष्ट इससे सदैव के लिए मिट जाएगा। इसलिए पानी की योजना होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जोधपुर शहर में सीवेज लाइन भी कई सालों से चल रही है मगर बहुत पुराने समय में राजाओं के राज्य में जो गटर लाइन पड़ चुकी थी वही गटर लाइन ही पड़ी हुई है। उसके कारण जगह-जगह गन्दगी रहती है। किसी भी समय किसी सड़क से निकलेंगे तो गन्दा पानी बहता मिलेगा। कोई भी आदमी हो उसको गन्दे पानी से होकर निकलना पड़ता है।

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के विषय में भी निवेदन करना है कि आपातकाल में जिन कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की गई . . .

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उनको वापस लिया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ।

श्री बिरद मल सिंघवी : शराबबन्दी पर भी निवेदन करूंगा। शराबबन्दी एक निहा-

(श्री विरदमल सिंघवी)

यत आवश्यक काम है। इस देश में और अपने प्रदेश, जो गरीब प्रदेश है, में शराबबन्दी होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में शराबबन्दी को तुरन्त लागू करना चाहिए।

मैं अधिक समय न लेते हुए एक बार फिर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह रेवदर।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पक्ष न लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह भाषण एक पक्षपातपूर्ण और सत्ता दल के यशोगान का द्योतक मात्र है। क्रांति अगर इसी बात से मान ली जाय कि एक दल प्रजातन्त्र के अन्दर हट जाय और दूसरा दल सत्ता में आ जाय तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के अन्दर रिपब्लिकन पार्टी का शासन समाप्त हो गया, डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन आया तो उससे वहां पर नई क्रांति हो गई? अभी हमारे पड़ौसी देश लंका के अन्दर श्रीमती भण्डारनायक का शासन समाप्त हो गया और उसकी जगह श्री जयवर्द्धन साहब का शासन आ गया तो क्या वहां पर क्रांति हो गई? हां, मैं यह मान सकता हूं कि तीस साल के भागीरथ प्रयत्न के बाद में विरोधी दल को सत्ता में आने का मौका मिला है इसलिए उनकी खुशी का पारावार नहीं है। मैं समझता हूं कि हो सकता है और वह यह भी मान सकते हैं कि उन्होंने क्रांति की है। लेकिन क्रांति किन लोगों के लिए है? क्या क्रांति उन लोगों के लिये है जो एक मूक दर्शक की तरह गरीब लोग बैठे हुए हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं, लघु कृषक हैं? जिसे आप इमर्जेन्सी कहते हैं उससे पहले जो कुछ हो रहा था उसको भी मूक दर्शक की तरह देख रहे थे। जगह-जगह हड़तालें हो रही थीं, मारकाट हो रही थी, अग्निकाण्ड हो रहे थे। बहुमत को शासन नहीं करने दिया जा रहा था। गुजरात में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ और कुछ अर्सा हुआ बंगाल में नक्सलवादियों ने क्या किया था? कोई भी आदमी यह नहीं सोचता था कि कलकत्ता की सड़कों के ऊपर चल कर वह सेफली अपने घर तक पहुंच सकता था। इस तरह का वातावरण इमर्जेन्सी के पहले था। अगर इमर्जेन्सी लागू नहीं होती तो वे जो गरीब हैं, जिनका खून चूसा जाता था, जिन गरीबों को लूटा जाता था, उन लोगों का न मालूम क्या-क्या होता। हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी का फैसला जुड़ गया और उसके जुड़ने से आप लोगों को इस बारे में इमर्जेन्सी हटने के बाद बहुत कुछ कहने का मौका मिल गया। लेकिन आप इमर्जेन्सी की उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

इमर्जेन्सी के अंदर जो बीस सूत्री कार्यक्रम श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया, वह एक ऐसा कार्यक्रम था जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए था, जो आज तक यह देखते थे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है क्या? इन्दिराजी ने यह कार्यक्रम दिया और इस कार्यक्रम से कुछ लोग, जो गरीबों का खून चूसते थे, बौखला उठे और उनके बौखलाने से कुछ लोग भागीरथ प्रयत्न करके, संगठित

(श्री माधोसिंह)

रूप से सत्ता हथियाने की कोशिश में लगे। इसके साथ ही उन्हें एक नसबन्दी कार्यक्रम से मौका मिल गया। नसबन्दी में किसी के साथ थोड़ी भी ज्यादती हुई और हुई है तो उसको दुगुने रूप में धारण करके उसका प्रचार किया गया और लोगों को यह बताया गया। मैं यह मानता हूं कि इसमें ज्यादतियां थोड़ी बहुत हुई हैं। इन ज्यादतियों का पूरा पूरा फायदा आपने उठाया है और इससे जनता का रोष आपको सत्ता में ले आया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार नियोजन के बारे में, अगर आपने देश के अन्दर कुछ नहीं किया जो देश के लिये सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या है, उसको अगर आप भुला देंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

इमर्जेन्सी की उपलब्धियां भी हैं। इमर्जेन्सी के अन्दर इन लोगों के ऊपर जो कर्जे थे, वे माफ हुए। सागड़ी प्रथा को समाप्त किया गया। गरीब लोगों को भूमि आवंटित की गई। उनकी शिकायत सुनने के लिए जिला अधिकारियों को हिदायतें दी गईं। जिलाधीश गांव, तहसील स्तर पर जाकर लोगों की शिकायतें सुनते थे। विजिलेन्स कमेटी बनाई गई। बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनायी गयी और इतना सब कुछ लोगों के लिए किया गया। इसलिये जो दूसरे पक्ष के लोग थे, उनको यह सब कुछ बुरा लगा और उन्होंने इसको एक क्रान्ति के रूप में लाकर के रख दिया। अब बताइये क्रांति किसके लिये हुई? आज यह हालत हो रही है। आज चार महीने से आप सत्ता में आये हैं। आपके इतने दिनों से भाषण हो रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहे हैं यह सब, श्रीमान, यहां पर सुनाया जा रहा है। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि इसी तरह की हरकतें सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में हुई हैं। इस तरह की कोशिशें शुरू हो गई हैं कि लोगों की जमीन छुड़ाई जा रही है प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा। महाजन लोगों द्वारा कर्जे के दावे किए जा रहे हैं जिनके लिए गत वर्ष कर्जे की माफी बख्शी गयी थी, जिनको प्रोटेक्शन दिया गया था, उन लोगों को आपके सत्ता में आते ही परेशान किया जा रहा है। वापस महाजनों ने काला धंधा शुरू कर दिया है। उनकी लूट शुरू हो गई है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा एक किस्सा। तहसील रेवदर के अन्दर ग्राम थाल है। वहां के शिड्यूल्ड कास्ट के एक आदमी की जमीन एक महाजन ने लिख कर ले ली थी और उसको गये साल ही कब्जा दिलाया गया था वापस, उस आदमी को वापस बेदखल करके, महाजन ने जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस के आदमियों ने मौके पर जाकर ट्रैक्टर चलाने में मदद दी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके पास पैसा नहीं है और ऐसी हालत नहीं है कि वह उसकी पैरवी कर सके। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। तो, सभापति महोदय, इस तरह की बातें जनता पार्टी के शासन में हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन बातों को रोकिये।

सभापति महोदय, आपातकाल के अन्दर जो कुछ भी गलती हुई, वह मैं समझता हूं

(श्री माधोसिंह)

कि एक तो पत्रों पर सेंसरशिप थी और दूसरी नसबंदी का असर था। अगर सेंसरशिप न लगती तो बातें बराबर सरकार के ध्यान में आती रहतीं और इन गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता था। मैं यह मानता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर एक ही दल का शासन ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिये। इसलिए आपको इस बात का मौका जनता से मिला है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे काम करेंगे। गरीबों की भलाई के लिए ऐसे कार्य करिये और यह देखिये कि आप इसके योग्य हैं या नहीं। नहीं तो आप जो कुछ भाषण दे रहे हैं, वे इस सदन तक ही रह जायेंगे और इन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे आगे यह निवेदन करूंगा कि इस भाषण के अन्दर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इतना ही कहा गया है कि इस साल बरसात ठीक हो रही है इसलिए उसकी वजह से फसलें अच्छी होंगी। ये झूठी रिपोर्ट देने के आदी हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि अति वृष्टि हुई है सिरोही जिले के अन्दर और वहां पर एक महीने के अन्दर 40 से 45 इंच से ऊपर बारिश हो गई है। इस सदन के अन्दर हाजिर होने के पहले की बात मैं यहां पर कह रहा हूं। इसके अन्दर एक ग्राम रघुआ है, जिसके लिए एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी मैंने प्रस्तुत किया है। इसकी थोड़ी चर्चा भी मैं यहां पर करना चाहता हूं।

गत वर्ष रात को लोग सो रहे थे। मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। 18 इंच वर्षा हुई और उससे सारा गांव बह गया। एक भी मकान ऐसा न था जहां पर लोग रह सकें। रात को लोग भागे। जिस जगह जानवर थे वे बंधे ही मर गये....

श्री सम्पतराम : आप कौन से गांव की बात कह रहे हैं ?

श्री माधोसिंह : गांव रघुवा। आज यह गांव जिस रूप में है, वहां जाकर आप देखें तो आपको भी दया आ जावेगी। वहां के 200 परिवार बिल्कुल इधर-उधर पड़े हुए हैं। कोई पहाड़ी पर घुसे हुए पड़े हैं। झोंपड़ी बना कर रह रहे हैं। किसी तरह से वे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन 200 परिवारों को बहुत हानि हो रही है। यह इम्पोर्टेन्ट बात है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा समय आपको, सभापति महोदय, देना चाहिए। उस गांव में गत वर्ष अतिवृष्टि हुई, उससे सबको भागना पड़ा। इस साल भी एक ही रात में 12 इंच बरसात हुई है। उनकी जो जमीन पानी से खाली रही थी, हर कुए के नीचे थी, एक दो बीघा उसमें उन्होंने गर्मियों में ज्वार बो दी थी। वे लोग बड़े खुश थे कि इस साल वे आत्मनिर्भर हो जायेंगे लेकिन इस साल भी ईश्वर को यह सब कुछ मन्जूर नहीं था। ज्वार की फसल पानी में डूब गई। मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी घटना की आज तक जिला अधिकारियों ने राज्य सरकार को सूचना तक नहीं भेजी है कि उस गांव की क्या हालत हो रही है। वहां के लोगों के साथ क्या बीत रही है। मुझे अफसोस है कि 200 परिवारों

Page No. 106

(श्री माधोसिंह)
के सामने विकट समस्या है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री माधोसिंह : मैंने जाकर मंत्री महोदय से निवेदन किया। मैं निवेदन करूंगा कि उनके साथ में प्रकृति का जुल्म हो रहा है।

श्री सम्पतराम : मैंने हर कलेक्टर को एक एक लाख रुपया एडवांस दे दिया है। साथ ही यह हिदायत भी दी है कि जहां ऐसा प्रश्न आए वहां वह उन लोगों की सहायता करें। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके बारे में मैं आज रात को ही व्यवस्था कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या जालौर जिले के लिए भी?

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन कर दूं।

श्री सम्पतराम : मैं एक बात निवेदन करूं कि अब तक सरकार 100 रुपये ही देती थी। इस सरकार ने 300 रुपये कर दिए हैं।

श्री माधोसिंह : माननीय कृषि मंत्री महोदय को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

एक माननीय सदस्य : जो आदेश हुए हैं उनमें कई लेकुनाज हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन करूं कि पहाड़ों से घिरा हुआ यह गांव है। उसकी काफी जमीन पानी में डूबी हुई है। खेती उसमें हो नहीं सकती है। जो आप उनको राहत कैश में दे रहे हैं वह तो ठीक है। लेकिन खरीफ की फसल चल रही है। आपके पास एक हजार बीघा गोचर पड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि यह गोचर हमारी है। जब तक उनकी जमीन पानी में डूबी है तब तक उनको खेती करने के लिए गोचर की जमीन दे दी जाये जिससे कि मवेशी पहाड़ों में चरालें। भोजन के मामले में आप पर निर्भर नहीं रहें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य श्री बंशीलाल जी।

श्री माधोसिंह : मैं, सभापति महोदय, थोड़ा सा ही समय और लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री माधोसिंह : दो शब्द मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। जिसकी जमीन छुड़ाई गई है, छुड़ाने वाले के साथ साथ पुलिस का हिस्सा रहा है। वहां के थानेदार महोदय के बारे में मैं निवेदन करूंगा, उन्होंने यह प्रेक्टिस बना रखी है। वह एक दो साल के करीब से

(श्री माधोसिंह)

आये हैं। तीन केस उनके खिलाफ पी. ई. प्रथम इन्क्वायरी में हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट डी. आई. जी. के सामने प्रस्तुत हो गई है। दो चार दिन पहले एक प्रभावशाली नेता के कहने पर उसको वापस जनता पर जुल्मों के लिये छोड़ दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री माधोसिंह : जिसने जुल्म किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन उस के खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर वापस उसी जगह पर लगा देंगे। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या पुलिस में और कोई आदमी नहीं है ?

श्री सभापति : अपना भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य।

माननीय श्री वंशीलाल सारस्वत।

श्री माधोसिंह : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत हुए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री सारस्वत।

श्री वंशीलाल सारस्वत (नागौर) : मैं तो तैयार हूं, पर टाइम तो नहीं है।

श्री सभापति : आप बोलिये, टाइम बहुत है।

श्री वंशीलाल सारस्वत : मान्यवर सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम युगदृष्टा महात्मा गान्धी, जयप्रकाश नारायण और डा. राम मनोहर लोहिया को अपनी श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। उन्होंने देश पर अपना वरदहस्त रखकर देश को एक महान रूप दिया है और इसे एक रास्ता दिया है। 1957 में डा. राममनोहर लोहिया ने यह प्रकट किया था कि वह दिन दूर नहीं जब इन्दिरा गांधी ...

(व्यवधान)

वास्तव में जो उन्होंने कहा था वह सामने आया। यह देश का सौभाग्य है कि आज देश उस रास्ते पर है। दुर्भाग्य से और हालात से बच गये हैं। इसलिये मैं उस जनता जनार्दन का भी अभिनन्दन करता हूं। मैं यह मानता हूं और मेरी यह दृढ़ धारणा है कि ऐतिहासिक कड़ी का उल्लेख महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है जिसके लिए विरोधी पक्ष यह कह रहा है कि जो यह उल्लेख किया गया है, वह निरर्थक है। इसके तीन पृष्ठों में ऐतिहासिक कड़ी का उल्लेख है जिस में उस आपातकाल की कड़ी का उल्लेख भी किया गया है। यह महामहिम राज्यपाल ने अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं किया अपितु साथ ही साथ एक मार्गदर्शन भी दिया है। मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता, मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो दोनों पक्षों से आलोचना प्रत्यालोचना हुई है, जो हालात सामने आये हैं, उनमें यह दोनों ही पक्षों ने माना है कि इस राज्य में और बाहर भी भ्रष्टाचार है। यह हालात सामने आये हैं। दोनों ही पक्षों ने यह तथ्य स्वीकार किया है, अब कुछ संभलने की आशा है। विरोधीपक्ष द्वारा सुझाव देना चाहिये था, उसके बजाय 30 वर्षों का यशोगान किया है। मात्र यही

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

दबाने की कोशिश की है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण किया है उसमें कोई रास्ता दिखाने वाली या कोई ठोस कदम उठने वाली या कोई जान की बात नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा, जो भावना, जो हालात निर्दिष्ट किये गये हैं, वह बहुत ही पवित्र भावना है और अभिभाषण में आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया जाता। अभिभाषण में यह उल्लेख मात्र किया जाता है कि क्या कार्य करना है। क्या मार्गदर्शन है, उसका इसमें दिग्दर्शन है। विरोधी पक्ष से उम्मीद थी कि वह मार्ग दर्शन करेंगे या यह कहेंगे कि यह हमारे सुझाव हैं लेकिन बड़ा शोर सुनते थे हाथी की दुम का जो आकर देखा तो बोरा निकला।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप दे देंगे मार्ग दर्शन ! एक ही बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी समझ से बाहर नहीं है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : इसके अलावा मैं समझता हूं कि स्वयं सरकारी पक्ष से जो सुझाव आये हैं वह बहुत ही सशक्त और विचार करने काबिल हैं। इसलिए मैं सबसे पहले सरकार के इस साहसिक कदम का बड़ा स्वागत करता हूं, जिसमें यह बताया है इस सरकार ने कि हम पूर्णतया नशाबन्दी में विश्वास करते हैं। मैं यह मानता हूं कि वर्षों तक और अनेक वर्षों तक जो इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं जिन्होंने शराब का विरोध किया, हड़तालें की और जो भी समय-समय पर करना चाहिए था वह किया मगर इसके बावजूद भी कुछ जिलों में ही नशाबन्दी हुई। आज इस सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है, मार्ग दर्शन दिया है कि नशाबन्दी की ओर धीरे-धीरे अग्रसर होंगे और जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी किया जा सकता है आंशिक रूप से वह करने का प्रयास होगा। नशाबन्दी की कोशिश की जा रही है तो इस सम्बन्ध में मैं अपने दो सुझाव पेश करना चाहता हूं कि यह जो जिले हैं जहां पर अभी नशाबन्दी है, इसके अलावा जहां पर भी नशाबन्दी की जाय वह पहले वाले जिलों के समीप वाले जिलों में ही की जाय जिससे पास के जिले वालों को चोरी-छिपे शराब पीने का मौका न मिले। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मद्यनिषेध, एक्साइज एक्ट में जो प्रोवीजन्स हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। आज तक यह धारणा थी कि जहां पर स्कूल हैं, पाठशालायें हैं, मदरसे हैं, और मन्दिर हैं या ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जिनके पास नशा नहीं होना चाहिए, उनके पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मगर एक जगह नहीं, राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में घूम आइये, शराबखाने स्कूलों के पास मिलेंगे। कुछ स्थानों में पाठशालाओं के सामने शराब की दुकानें हैं, आप पिलानी चले जाइये, विद्या विहार के सामने दो दुकानें लगा दी गई हैं जिन पर लिखा हुआ है शराब 24 घंटे उपलब्ध है। किसी भी लड़के को पूछा जाय कि 24 घंटे क्या चीज उपलब्ध है, वह सीधा जवाब देगा, शराब उपलब्ध है। तो यह आपके प्रदेश में पिलानी का हाल है, जो आपका विद्या का केन्द्र कहा जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि सरकार इस कानून को सख्ती से इम्पलीमेंट करे।

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

दूसरी चीज मैं यह पेश करना चाहता हूं कि शराब से भी अधिक भयावह है जुआ। राज्यों और प्रदेशों में, साहस और गौरव के साथ मैं कह सकता हूं, राज्याश्रित जुआ है। इसके गुणावगुणों पर तो बहस होती है और होती रहेगी। मैं समझता हूं कि यह एक साहसिक कदम होगा यदि राज्य सरकार के आश्रित जुआ बन्द कर दिया जाय। आज से कई वर्षों पहले भी कहा गया, इस देश में जुआ नहीं होना चाहिए तो जो राज्याश्रित जुआ मौजूद है वह ऐसा है कि उसका प्रचार किया जाता है और लाखों रुपये लाटरी में लगा दिये जाते हैं। जब तक आप इसको बन्द नहीं करेंगे दूसरी तरह के जुओं को बन्द नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि 1969 से लाटरी चली हुई है तब से जो आय और खर्च हुआ है, 1969 और 70 के जो आंकड़े हैं खर्च और आमदनी के उनके अनुसार 72 प्रतिशत आय हुई, उसके बाद में 48 प्रतिशत और 72–73 में 27 पर्सेन्ट रह गई और लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार यह घाटे में है। केवल यह कहा जाता है कि कुछ लोगों को व्यवसाय और नौकरी मिली हुई है वह चली जायगी। मगर इस आधार पर एक कल्याणकारी राज्य की कामना करते हुए केवल कुछ आदमियों को एम्प्लायमेन्ट मिलता है, रोजगार मिलता है, इसी वजह से इस राज्य में लाटरी जुआ को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कुछ समय और लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपके दल ने दस मिनट तय किया है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : पांच मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत : दोनों ही पक्षों का कहना है कि आज की सरकार में एक बहुत बड़ा वर्ग उच्च वर्ग आई.ए.एस. और आई. पी. एस. आफिसरों का है। आज से कुछ वर्षों पहिले कमिश्नरों के पद समाप्त किये गये थे, उस समय सुखाड़िया जी का समय था। उस समय कहा गया था कि पांच कमिश्नरों के पद समाप्त किये जा रहे हैं और इससे सरकार के कोष पर बड़ा भारी फर्क पड़ेगा मगर उसके बाद में धीरे-धीरे कोतल घोड़े का बाड़ा जैसे-जैसे बारात में चलता है उसी तरह से यह पद भी बढ़ाये गये। यह सरकार के लिए या इन लोगों के लिए हर्ष का विषय हो सकता है लेकिन काश्तकार और सामान्य लोगों का पैसा राज्य के कोष में आता है। केवल कमिश्नर, सैक्रेटरी और जोइन्ट सैक्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरी और उसके बाद के आफिसरों का लेखा-जोखा रहा है, आज तक उस पर कोई चिन्तन नहीं किया गया, कोई लम्बा चौड़ा विचार नहीं किया गया कि इससे क्या प्राप्त होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो जैसा कल से विचार चला आ रहा है नई बोतल और पुरानी शराब का तो यह जो हालत है इनमें परिवर्तन करने के लिए कम से कम इस बार हमको चिन्तन करना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि कितनी पोस्टें बढ़े

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

अधिकारियों की होनी चाहिए। कहीं-कहीं पर बहुत बड़े डिपार्टमेन्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है और कुछ विभागों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। कोआपरेटिव और एग्रीकल्चर के ऐसे विभाग हैं। कोई विभाग पैसा देता है और देखता है कि रुपया मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिये और उसके बाद में वसूल करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसका एक ही सैक्रेटरी या कमिश्नर होना चाहिए। उससे कार्य चल सकता है। उसी तरह से परिवार नियोजन का एक अलग डिपार्टमेन्ट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जेल और समाज कल्याण विभाग में कमी की जा सकती है। इससे सरकार को बहुत कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा सस्ते न्याय के लिए भी कहा गया है, इसके लिए कान्क्रीट प्रपोजल सदन के सामने आना चाहिए। गांवों के लिए कहा गया है कि मौके पर आकर फैसला दिया जायगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां के व्यक्ति कह सकते हैं, इससे बहुत कुछ भला हो सकता है लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूं। इसमें कुछ कारण यह है कि जैसे कोई काम्पलीकेटेड और जेनुइन केसेज हैं, चाहे समरी मैटर है, दफा 91 के फैसले हो सकते हैं, 175 के केसेज हो सकते हैं तो जहां पर हकूक का विवाद है वहां पर मेरा निवेदन है कि जैसा कुछ राज्यों में है और अपने यहां पर भी इंजेक्शन आर्डर वगैरह देने के लिए इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी है उसको निर्णय करने का मौका मिलेगा और साथ ही प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारी जो वहां पर जाते हैं उनका लम्बा-चौड़ा समय आया होता है वह बचेगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंडल में जो तामील का तरीका है, प्रोसेस है उसमें बहुत समय नष्ट हो जाता है। गवाहों के लिए 6–6, 12–12 महीने या 2 वर्ष भी तामील में लग जाते हैं। यदि कोर्ट में एकीकरण हो या तामील की व्यवस्था सुन्दर हो तो बड़ी सहायता मिल सकती है। उसी तरह से सिविल कोर्ट में और फौजदारी कोर्ट्स में तामील की व्यवस्था ठीक नहीं है। स्वयं थानेदार को 12 महीने या दो-दो वर्ष तक तामील नहीं होती। उस कारण से मुल्जिम व मुस्तगीज दोनों को नुकसान होता है और समय पर फैसला न होने से सुलभ व सस्ता न्याय नहीं मिलता है। इसलिए पुलिस विभाग को तीन भागों में बांटना चाहिये। एक तो तामील करने वाला पुलिस का अंग होना चाहिए वह अभियोजक के अधीन रहे। वह अंग चाहे एस. पी. के अधीन ही रखें। दूसरे, अरेस्ट अधिकारी ही पुलिस इन्वेस्टीगेशन लाइन में रखे जाने चाहियें। तीसरे लॉ एण्ड आर्डर के लिए आप किसी अधिकारी को रख दें। इस तरह से तामील की व्यवस्था हो जाए। उसके बाद जुडिशियल अधिकारियों में रिजेंटमेंट चल रहा है कि आर. ए. एस. अधिकारियों के समान हमारे वेतन होने चाहिए। राम शास्त्री जैसे न्यायाधीश इस राज्य में पैदा हुए तो यह कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ग्रेड सबंधी मांग और दूसरी मांगों की पूर्ति हो। स्टेनोग्राफर्स वगैरह को भी जो मिलना चाहिए वह देना चाहिए और उनकी वाजिब मांगों

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

को स्वीकार करना चाहिए।

साथ ही साथ भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बार जिक्र आया है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तरीका बता रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करने का।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : सदस्यगण यहां मौजूद हैं, कुछ तो इन्फेन्सी के हैं चाहे इधर के हों चाहे उधर के। कम से कम भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पिछले 30 साल के हालात पर गौर किया जाकर तुरंत इसका निवारण होना चाहिए। इसके साथ ही जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय एच.एन. शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशनदास !

श्री रामकिशनदास (कोलायत) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आपात स्थिति को काला काल बताया। उस समय में जो ज्यादतियां हुई हैं उनकी जांच के लिए उन्होंने एक भूतपूर्व न्यायाधीश की समिति भी बनाई है। परंतु उस समिति को जो ज्यादतियां हुई हैं उनकी ही जांच करनी है। इससे ही सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगी। जिलों में अनेक व्यक्ति बैठे हैं जो जेलों में बंद थे। कइयों को मीसा के तहत जेलों में बंद कर दिया गया था। उन्होंने जेलों के अंदर से अधिकारियों के विरुद्ध अनेक दरख्वास्तें दी हैं जिनमें जेलों के अंदर या बाहर अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के लिए शिकायतें की थीं, उन पर एक्शन लेने का निवेदन किया था। कम से कम आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए इन मंत्रियों को ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके उनके विरुद्ध जांच चालू करनी चाहिए। जेलों के बाहर किस प्रकार प्रजातांत्रिक अधिकार कुचले गए, मकान तोड़े गए, जुल्म का शासन था, उनके बारे में जेलों में रिपोर्ट्स आईं, जो एजीटेशन करके जेल में आए कि मीसा बंदियों को छोड़ा जाए, उन आंदोलनकारियों के ऊपर जेलों के बाहर पुलिस ने जो घोर-जुल्म किए, उनकी शिकायतें की गई हैं। कम से कम ऐसे पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके जांच करनी चाहिए। आज 21 दिन के बाद श्री मंत्री तो बदले पर अधिकारी वही हैं जिनके मार्फत जनता को कुचला गया। मंत्रियों को तो जनता ने ठुकरा दिया पर जिन अधिकारियों के मार्फत जुल्म हुए जिन्होंने रूल आफ लॉ एक तरफ करके अत्याचार किए उनमें से एक भी अधिकारी इस बिना पर सस्पेंड नहीं किया गया। कानून के तहत दिए गए अधिकारों से आगे बढ़कर घोर जुल्म किए··

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, जनता ने··

श्री सभापति : आप बैठिए। आर्डर प्लीज !

श्री रामकिशनदास : ये ठीक कह रहे हैं कि जनता ने ठुकरा दिया। पर ये अधिकारी आज भी सचिवालय में हैं, उनका बोलबाला

(श्री रामकिशन दास)

है। यह सही है कि नई सरकार को नई नीतियां निर्धारित करने के लिए समय कम मिला है पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध जन मानस में रोष है, उन अधिकारियों को तुरंत क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा है। मेरे पास खबरें हैं कि ऐसे अधिकारी सचिवालय व अन्य आफिसों में बैठकर संबंधित फाइलों को तहस-नहस कर रहे हैं, जो जांच होने वाली है उससे बचने की तैयारी कर रहे हैं। जनता ने जो जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, अगर उस विश्वास को कायम रखना है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करनी पड़ेगी। अभिभाषण में कई बातें अच्छी होने के बावजूद भी वह इस बारे में मौन हैं कि ऐसे अधिकारियों के प्रति शासन का क्या रुख है।

सभापति महोदय, आपात काल स्थिति के दौरान लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने और शासन में तथाकथित भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पर हजारों कर्मचारियों को निकाला गया। मैं नहीं कहता कि जिनको अनिवार्य रूप से रिटायर किया गया वे सब दूध के धुले हुए थे पर ऐसे कर्मचारियों को भी निकाला गया जो शासक दल के मंत्रियों या विधायकों की जी हुजूरी नहीं करते थे। जो भ्रष्ट कर्मचारी जी हुजूर थे उनको अनिवार्य रूप से रिटायर नहीं किया गया। सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो सदाचारी थे, जिन्होंने कांग्रेसी शासकों की जी हुजूरी नहीं की उसके फलस्वरूप उनको कम्पलसरी रिटायर किया गया। वे जनता पार्टी के शासन के बाद मंत्रियों और विधायकों के चक्कर काट रहे हैं। जो पार्टी संविधान की, रूल आफ लॉ की बात करती थी वह संविधान की धारा 311 का पालन क्यों करती जिसमें है कि किसी कर्मचारी को बिना जांच किए निकाला नहीं जा सकता?

सभापति महोदय, आज भी दस बीस कम्पलसरी रिटायरमेंट वाले कर्मचारी मेरे से मिलने आये। इस सदन में भी वह लोग यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि किस तरह से उनके साथ अन्याय किया गया। सभापति महोदय, जिस जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है उनके अधिकारों की मांग करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा फर्ज हो जाता है। आज हमारे राज्य सरकार के मन्त्रियों की ड्यूटी हो जाती है कि वह हमें इस सदन में यह आश्वासन दें कि जो स्थिति 26-6-75 को थी वह उसी प्रकार वापस लायी जायेगी। हमने जेल में 19 महीने निकाले। इस दरमियान में कई लोगों के साथ अत्याचार हुए, लोगों को बेरोजगार किया गया, जिससे उनके परिवार के लोग बरबाद हो गये, लोगों की रोटी-रोजी छिन गई। माननीय विधि मन्त्री, जो कि पार्लियामेंट्री एफेयर्स के मन्त्री भी हैं, से मैं मांग करूंगा कि उन हजारों कर्मचारियों को, जिन्हें निकाला गया है, तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपात काल के समय जो ज्यादतियां हुई उनके लिए सरकार क्या सजा इन्दिरा गांधी को देगी या राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी को देगी, यह तो मैं नहीं जानता। जिस नादिर-शाही से उन्होंने हमारे यहां पर अत्याचार किया उसको तो इतिहास ही बतायेगा लेकिन मैं यहां इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं उन्हें

(श्री राम किशन दास गुप्ता)
तुरन्त सस्पेण्ड करके दण्ड दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपातकाल की ज्यादतियों का वर्णन है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस शासन पिछले तीस वर्षों से चल रहा है और इन तीस सालों में उसने काफी भ्रष्टाचार किया है। उसने न केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला ही मचाया बल्कि इन तीस सालों में भाई-भतीजावाद भी फैलाया। तो मेरा निवेदन है, राज्य सरकार को चाहिये कि न केवल कांग्रेस राज्य के सिर्फ 19 महीनों में जो भ्रष्टाचार बढ़ा और जो भाई भतीजावाद फैला उसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ ही कार्यवाही की जाय बल्कि जो पिछले तीस सालों में भ्रष्टाचार किया उसके लिए न केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ही बल्कि जो राजनैतिक नेता हैं और जिनके खिलाफ में न केवल सदन के अन्दर बल्कि सदन के बाहर भी आरोप लगाये गये हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिये। सिर्फ आपातकालीन समय में ज्यादतियों के लिए आपने कानसिंह जज की नियुक्ति की है वह पर्याप्त नहीं है। अगर जनता पार्टी वास्तव में जनता में विश्वास पैदा करना चाहती है तो उसे इन दोषी राजनेताओं के खिलाफ में कार्यवाही करनी पड़ेगी। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करने के बारे में इस अभिभाषण में कुछ भी उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग आपातकाल के समय बड़े-बड़े आफिसर थे और जिन्होंने हुक्म चलाया था वही आज भी हमारे जो जनता पार्टी के मन्त्री हैं उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हैं। जब तक भ्रष्टाचार के लिए आप नौकरशाही के बड़े–बड़े आफिसरों के खिलाफ में एक्शन नहीं लेंगे तब तक मैं समझता हूं कि आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकेंगे। चूंकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उन्हीं के द्वारा तैयार करवाया हुआ है इसलिए उनके खिलाफ में कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है जो कि होना चाहिये। जनता पार्टी के नेता जब तक इन तीस वर्षों में कांग्रेसी नेताओं द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के खिलाफ में कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक सच्चा जनता राज नहीं आ सकेगा।

सभापति महोदय, पिछले तीस सालों के कांग्रेस राज्य में इन कांग्रेसी नेताओं ने जयपुर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर ली हैं, बड़े–बड़े फार्म ले लिए हैं, इन लोगों ने लाखों ही नहीं करोड़ों की सम्पदा बना ली है। इन लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके न केवल जयपुर में ही बल्कि पूरे राजस्थान में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंग्स बना ली हैं। जिन लोगों के पास, सभापति महोदय, सन 1947 के पहले, कांग्रेस शासन के पहले पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, फटी पुरानी जो चप्पलें पहने घूमते थे, जिनके मकान टूटे हुए थे, जिनको खाने को आराम से दो वक्त खाना नहीं मिलता था, जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी उन लोगों ने

(श्री राम किशन दास गुप्ता)

जयपुर में और सारे राजस्थान में लाखों रुपये की सम्पत्ति बना ली है। उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, डबल रोटी और बिस्कुट खाते हैं। जब तक आप इन लोगों से यह भ्रष्टाचार से कमाई हुई सारी प्रोपर्टी नहीं ले लेंगे तब तक यह जनता पार्टी पर कलंक रहेगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जिन पर भी पिछले तीस सालों में सदन के बाहर और अन्दर आरोप लगाये गये हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावे वह चाहे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया ही क्यों नहीं हों, चाहे कोई भूतपूर्व मन्त्री या नेता क्यों नहीं हो। जैसा कि जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हम इन लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करेंगे। आज हम अब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें यह बात पढ़ते हैं कि अभी तक जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी भूतपूर्व मन्त्री के खिलाफ में या अधिकारी के खिलाफ में कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट ही हुए हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी इन भावनाओं को आप राज्य सरकार तक पहुंचा दें कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनका उल्लेख नहीं है इसका कारण नौकरशाही के हाथों से अभिभाषण तैयार कराना है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कांग्रेस सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था उसके अन्तर्गत कई गरीब वर्ग के लोगों को जमीनें खेती करने के लिये अलॉट की गयी थीं। यह हमारे इलाके में भी की गई थीं। सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल एरिया में जो लोग संवत् 2012 से काश्त कर रहे थे और जिन लोगों को राज्य सरकार द्वारा खातेदारी राइट्स मिल चुके थे उन गरीब लोगों से वह जमीन कांग्रेसी सरकार ने राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट में संशोधन करके एक धारा 15 ए और जोड़ कर छीन ली। सभापति महोदय, हमारे बीकानेर-जैसलमेर के एरिया में, जहां से राजस्थान कैनाल निकलेगी, लोग आज से नहीं बल्कि चार चार सौ वर्षों से जमीन जोत रहे थे उन्हें उस एरिया से हटा दिया गया है, उन्हें बेदखल कर दिया गया है। सभापति महोदय, जब पानी उधर से आयेगा तो वह लोग उसका फायदा नहीं उठा पायेंगे क्योंकि वे बिना जमीन के हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि उन लोगों को वह जमीन जोतने की आज्ञा प्रदान की जानी चाहिये और जो कोलोनाइजेशन एक्ट में धारा 15 ए जोड़ी गयी है उसे हटाया जाना चाहिये। उन लोगों को वापस वहां पर खातेदारी राइट्स दिये जाने चाहिये।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने कहा है कि उत्पादन बढ़ाया जाय, वह तो ठीक है। समाजवादी सरकार को उत्पादन बढ़ाने पर तो जोर देना चाहिये लेकिन उसके बाद में उस उत्पादन का किस प्रकार से बंटवारा हो यह भी देखने की बात है।

श्री सम्पतराम (कृषि मन्त्री) : माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि

(श्री सम्पतराम)

सरकार इस बारे में विचार कर रही है।

श्री रामकिशन दास : धन्यवाद। राज्य सरकार खेती का उत्पादन बढ़ाने की बात करती है। कारखानों के उत्पादन की बात करती है लेकिन इसके बाद में कठिनाई आयेगी कि इस उत्पादन का किस प्रकार बंटवारा करना चाहिये।

सभापति महोदय, राजस्थान नहर का प्रथम चरण 1970 में ही पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन अभी तक पूरा नहीं होने के लिये राजस्थान सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्होंने कि इसमें क्रिमिनल नेग्लीजेन्स बरती है, क्या कार्यवाही करने जा रही है? आज इतने वर्षों से लोग इनकी क्रिमिनल नेग्लीजेन्स के कारण भूखे बैठे हुए हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राजस्थान नहर की जो कोलायत गजनेर लिफ्ट योजना है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय ताकि नोखा, नागौर और उसके आसपास के जो समतल इलाके हैं वह सभी पानी मिलने से हरे भरे हो जायें।

सभापति महोदय, यहां पर विद्युत मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं। हमारे यहां देश में समाजवाद का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने बीकानेर में पिछले तीस सालों में एक वूलन मिल खोली थी यह मिल ढाई करोड़ रुपये के बजट की थी, वह जापान सरकार के कोलोबोरेशन से खुली थी लेकिन बाद में उस मिल में तालाबन्दी हो गयी और उसके दो महीने बाद वही मिल एक हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मन्त्रीजी श्री चन्दनमल बैद के किसी मिलने वाले को अनड्यू रेट में प्राइवेट सेक्टर में दे दी गयी। क्या यही कांग्रेस सरकार का समाजवाद था? आज वह पक्षपात से स्टेट वूलन मिल, जिसमें जापान से लेटेस्ट मशीनें आई, का उपयोग करके लाखों रुपया कमा रहे हैं और हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां समाजवादी हैं। वह समाजवाद झूठा था और उसका सबक जनता ने इनको वोट देकर सिखा दिया है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में दो तीन चीजें बहुत विशेष हैं।

पहले, सभापति महोदय, इसमें नीति का निर्देश किया गया है और साथ ही नीति किस प्रकार से लागू हो उसका भी इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। माननीय सभापतिजी, मैं सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब इमर्जेन्सी के समय से हम गुजरे। मुझे उस सम्बन्ध में लार्ड टैनीसन की पोयम की कुछ लाइनें याद आती हैं :

"The old order changeth yielding place to new" Lord Tennyson.

नया समय आया है और अधिनायकवाद समाप्त हुआ। उसकी समाप्ति के बाद

(श्री ओंकार लाल चौहान)

कन्सट्रक्शन आफ इण्डिया और री-कन्सट्रक्शन आफ राजस्थान का चरण शुरू हुआ—मैं इसका स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। सभापति महोदय, मैं इमर्जेन्सी और अधिनायकवाद का जिक्र नहीं करूंगा। कुछ चीजें जो मुझे आवश्यक रूप से निवेदन करनी हैं वह सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस भाषण के अन्दर मद्यनिषेध की ओर संकेत किया गया है और नीति का निर्देश किया गया है। माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं यह निर्देश ही न रह जाये और इस पुस्तिका के अन्दर, मैं यह चाहता हूं नेता महोदय से, यह घोषणायें कहीं घोषणायें ही न रह जायें। मैं चाहता हूं कि इनकी क्रियान्विति पूर्ण रूप से हो। अभी माननीय मनोहरसिंह जी मेहता हस्ताक्षर करा रहे थे नशाबन्दी के बारे में। मैं भी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बहुत मूलभूत चीजें हैं जिनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। बजट जो राजस्थान का बनता है और जो बनेगा उसका अधिक रुपया इस शराब की बिक्री से आता है और यही आय का मुख्य स्रोत है, यही सोर्स आफ इन्कम है। इसी सदन के अन्दर पांच वर्षों से हम चिल्लाते आये हैं, निवेदन करते आये हैं इस सदन के प्रांगण पर कि मेहरबानी करके इस स्रोत को बन्द कीजिए और कोई दूसरा सोर्स आफ इन्कम इवाल्व कीजिए जिससे हम इससे मुक्ति पा सकें।

मैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से दो तीन चीजें इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा और हमारे माननीय मनोहरसिंह जी का ध्यान भी दिलाना चाहूंगा कि जो देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके अलावा जो शराब सरकारी पार्टियों में सर्व की जाती है, माननीय सभापति जी, वह बड़ी अशोभनीय चीज है। मैं जनता पार्टी से निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार पावर में आई है तो यह ध्यान दे कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनमें शराब सर्व नहीं की जाये। इसके साथ ही हमारे लीडर्स हैं वे भी इसका उपयोग न करें...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सारी ही शराब बन्द कर दी गयी तो पार्टी में कहां से आयेगी।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या फर्मा रहे हैं ?

(6.03 सायं)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति, पीठासीन)

इस तरह की जो फिजूलखर्चियां हैं वह बन्द करनी पड़ेंगी। इससे देश बिगड़ता है, चरित्र का हनन होता है और देश में भयंकर बुराइयां फैलती हैं। यह एक अभिशाप है समाज के लिए। यह भी भलीभांति याद होगा कि जो जातियां इसका ज्यादा प्रयोग करती थीं वह तो इसको छोड़ती जा रही हैं और एक नयी परम्परा बनती जा रही है कि बनिये और ब्राह्मण और दूसरे सवर्ण लोग इसको अपनाते जा रहे हैं। वही इसका सेवन ज्यादा करते हैं। छुप छुप कर चोरी होटलों के अन्दर युवा पीढ़ी इसका उपयोग ज्यादा करने लगी है। देश में नयी सरकार

Page No. 117

(श्री ओंकार लाल चौहान)

बनी है फिर भी मुझे अफसोस है कि हमारी नयी पीढ़ी इस ओर अग्रसर हो रही है। यह हकीकत है कि युवा पीढ़ी इस ओर अधिक जा रही है। युवा ही इस शराब का सेवन ज्यादा करते हैं।

अब, माननीय सभापति जी, शराब के सम्बन्ध में अधिक नहीं कह कर दूसरी चीज की ओर जाना चाहता हूं। जो असिंचित भूमि के ऊपर लैण्ड रेवेन्यू माफ किया है वह स्वागत योग्य कदम है। माननीय सभापति महोदय, यह भी एक नितान्त सत्य है कि अगर रेमिशन, एग्जेम्प्शन और इस प्रकार की छूट हम देते हैं, माननीय सचेतक महोदय, और मन्त्री जी यहां बैठे हैं वे बतायें फिर क्या जरिया होगा हमारी आमदनी का? कौन सा सोर्स आफ इन्कम है जिससे हम राज्य सरकार को चला सकते हैं? इन बातों को भी देखना पड़ेगा कि हम राज्य सरकार को किस तरह से चलायें। अगर ठीक तरह से नहीं चला सकेंगे और इस शराबबन्दी के कारण काफी नुकसान होगा तो यह नुकसान कहां से भरा जायेगा? इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चीज हमारे सामने आई है, हमारे माननीय सदस्य लाड़पुरा से आये हैं उन्होंने महात्मा गांधी की बात कही थी। इसमें दो राय नहीं कि महात्मा गांधी ने बुनियादी नीति देश को दी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी क्रियान्विति होती है? आज भी जनता पार्टी की सरकार के सामने वही सवाल है, वही चीजें हैं और वही हालात विद्यमान हैं जो कि पुरानी कांग्रेस सरकार के सामने थे। ब्यूरोक्रेसी को देखना पड़ेगा, इमर्जेन्सी के दौरान, अभी पहले भी कहा गया था, 3 हजार कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायर किया गया एक महीने के अन्दर ही। काफी के तो फैसले कर दिये हैं और अब भी 860 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नहीं लिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति, जो कि बहुत खराब थे, को भी वापस ले लिया गया है। इस आधार पर लिया गया कि उनका सर्विस पीरियड 20 साल का है और हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं। एक आदमी जिसकी सर्विस अच्छी हो, जिसका रिकार्ड अच्छा हो, उसको नहीं लेना और जिसका रिकार्ड खराब हो, सर्विस खराब हो और जिसके बारे में गलत धारणायें बनी हुई हों, जो भ्रष्टाचार को पनपाता हो उसको लेना किसी भी सरकार के लिए शोभनीय नहीं कहा जा सकता।

माननीय सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जो कि नीति का निर्धारण करे।

इस पुस्तिका के अन्दर परिवर्तन लाने के लिए कमीशन्स बैठाने की बात कही है। कमीशन बैठें और जांच हो और उनका निर्णय आये लेकिन निर्णय के साथ ही साथ जो चीजें बुनियादी हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं।

वह सामने आये। केवल बोर्ड की दो तीन बैठकें हुई हैं। कुछ मेम्बर्स टेम्प्रेरी हैं एडहाक बेसिस पर। मैं चाहूंगा कुछ सदस्य बिल्कुल परमानेन्ट होने चाहिये जो यह देखें

(श्री ओंकार लाल चौहान)

कि राजस्थान का विकास कैसे हो। मैं चाहूंगा पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में मैनेजिंग डाइरेक्टर और चैयरमैन की दो पोस्टें हैं। उन दोनों पर ध्यान देना होगा। हम सरलीकरण करना चाहते हैं ताकि आसानी से काम हो सके। दो पोस्टों में एक एम. डी. की और दूसरी चैयरमैन की है। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही पोस्ट रहे ताकि काम सुगमता से हो सके और अच्छे से अच्छा काम हो सके राजस्थान के विकास के लिये।

इसी प्रकार, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंचाई के साधनों का भी विकास करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा जो वहां सिंचाई के कार्य चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये ताकि राजस्थान के खेत लहलहा सकें और अन्न उत्पादन हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, दो शब्द और कह कर समाप्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना पद सम्भालते ही यह कहा था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के काम को और पेय जल की समस्या को प्राथमिकता दी जावेगी। मैं चाहता हूं दोनों बातों को पूर्णतया प्रायोरिटी दें, केवल भाषण देने से ही काम नहीं हो जायगा। आज भ्रष्टाचार हर एक के जीवन में घुस गया है चाहे किसी भी प्रकार के जन जीवन में कह दीजिये, ब्यूरोक्रेसी में कह दीजिये। भ्रष्टाचार का अंकुर बुरी तरह से पनप रहा जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पार्लियामेन्टरी पोल्स और असेम्बली पोल्स के बाद वोटों में ढ़ाई प्रतिशत की गिरावट आई है और इससे 10 प्रतिशत वोटों का फर्क पड़ा है। यह इस बात को दिखाती है कि ट्रेन्ड बदल रहा है। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोग कांग्रेस के पपेट बन रहे हैं और वे मजबूत हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ, उनकी ओर ध्यान दिया जाय। वे भी हमारे राजस्थान के नागरिक हैं। जहां जहां भी हरिजनों और आदिवासियों के साथ ये घटनायें हुई हैं उनको तुरन्त रोका जाय। सिरोही में गांगदां गांव है जहां उनसे जमीन वापिस ली जा रही है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर में कई केसेज हैं। समय की कमी है मेरे पास कई उदाहरण हैं। हरिजनों के प्रति बहुत अन्याय हुए हैं। इसलिए जिन्होंने अन्याय किया है उनके प्रति एक्शन लिया जाना चाहिए। उनको सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता महोदय को यह निवेदन करूंगा, उनको अपने पक्ष में लें और एन्क्वायरी करवायें। जहां जहां भी उनको जमीनों से बेदखल किया गया है वहां उनको वापस जमीनें दिलवाई जायं। मैं समझता हूं तभी राजस्थान की सही तस्वीर बनेगी और राजस्थान का भाग्य अच्छा बनेगा।

मै इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका समर्थन

(श्री ओंकार लाल चौहान)

करते हुए और यह कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मेरी बातों पर गौर करके इनको दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमृत लाल।

श्री अमृत लाल (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करने के लिए और स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे राजस्थान के दक्षिणी भाग से मैं एक नया साथी हूं। सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने आपात काल की ज्यादतियों के बारे में काफी चर्चा की है। आपात स्थिति का जहां तक सवाल है, देश में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी, किसी प्रकार का राजनैतिक संकट का वातावरण नहीं था। आपात स्थिति जिस कारण थी वह सब माननीय सदस्य जानते हैं। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी को अपनी कुर्सी का खतरा था, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं देहातों में जो अनपढ़ लोग कहलाते हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि देश में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। जो आपात काल की घोषणा की गई है वह केवल कुर्सी के कारण की गई आपात काल की घोषणा करने के बाद हमारे विपक्ष में बैठने वाले जितने माननीय सदस्य थे सबको दबा दिया गया केवल हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री के इशारे पर। आज उसका नतीजा यह आया कि श्रीमती इन्दिरा को सही रास्ता नहीं बता सके और उनके इशारे पर चलते रहे भले ही मन पसीजता रहा।

मै आपको बताऊं, आपात काल स्थिति के अन्दर आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, आदिवासी लोगों पर फौज का धमाका किया गया। दामरी के अन्दर एक सब सेन्टर है वहां पर परिवार नियोजन का कैम्प चल रहा था। सरकारी कर्मचारियों की परिवार नियोजन की कोटे की पूर्ति नहीं हो रही थी। उस समय तालाबों पर काम चलाने की सम्भावना भी नहीं थी लेकिन सरकारी कर्मचारियों, इन्जीनियर्स ने लोगों को यह कहकर गुमराह किया कि तालाबों पर काम चलाया जा रहा है। उन लोगों को वहां पर बुलाया गया और बुलाने के बाद कहा गया, हम तालाब पर काम करेंगे और तालाब पर काम करने के लिये इंजीनियर साहब पधारे हुए हैं, आप लोग चलें। आदिवासी लोग गये और जाकर निवेदन किया हम काम शुरू करते हैं। लेकिन काम करने से पहले यह शर्त लगाई गई कि हमारा परिवार नियोजन का कोटा पूरा नहीं हो रहा है। आप सब लोग जितना कोटा चाहिए वह पूरा करेंगे तब काम होगा। लेकिन, सभापति जी, उन आदिवासी लोगों ने यह निर्णय कर रखा था कि कोई भी तालाब में घुस नहीं सकता है। उस समय उन्होंने कहा कि आप लोग अगर परिवार नियोजन की बात करते हैं तो चुपचाप चले जाइये। यह रास्ता है, यहां ठहरने की जगह नहीं हैं फिर भी उन कर्मचारियों ने कोशिश की और हाथापाई की। जो लोग वहां पर थे उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वातावरण हम सहन नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, उन अधिकारियों ने डूंगरपुर आकर झूठे मुकदमे बनाये, कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिया और कहा कि वहां पर आतंक छाया हुआ है, हम जा नहीं सकते हैं। परिवार नियोजन के लिए वहां कोई जा नहीं सकता है। डाक्टर जा नहीं सकता है,

(श्री अमृत लाल)

कोई कर्मचारी वहां पर जा नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या आदिवासियों के पास कोई बम था, क्या कोई बन्दूक थी? यदि कहीं कोई बन्दूक भी थी, तो लाइसेन्स के कानून के अन्तर्गत उसको रद्द किया जा सकता था। लेकिन मैं समझता हूं न उनके पास कोई बम था न कोई बन्दूक थी। अगर कहीं कोई चीज उनको मिली होगी, तो लकड़ी मिली होगी। तो भला फिर क्यों आदिवासियों के लिए फौजदारी आर्डर हुए? मुख्य मंत्री जी के आदेश से फौज गई। और कितनी फौज गई? साढ़े तीन सौ फौज के ट्रक के ट्रक भर कर चले गये। वहां की सारी जनता भयभीत होकर पकड़ने के डर के मारे गांव के गांव खाली करके चली गई। उस समय उनकी खरीफ का फसल खड़ी थी। सारे मवेशी, जो घरों में बन्धे हुए थे, उनको भी छोड़ गये। कुछ मवेशी, जो खेतों में चर रहे थे, उनको भी उसी हालत में छोड़कर भाग गये। इस प्रकार उनकी सारी फसल को बरबाद कर दिया गया, उनके मवेशियों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस के हीरालाल जी आये, एम. एल. ए. भी आये। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, परिवार नियोजन करना पड़ेगा। कानून है। लेकिन यह नहीं कह सके कि वे लोग भूखे प्यासे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर कहां कहां चले गये। तीन–चार रोज तक भूखे मरते रहे लेकिन यह बात किसी ने नहीं कही कि तुम पर क्या गुजर रही है। तुमने तीन–चार रोज में क्या खाया और क्या नहीं खाया। हमने देखा कि बिल्कुल गुलाम थे। बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सके। इस कारण आज नीचा देखना पड़ा। सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ और भी कहना चाहूंगा। जहां बिल्कुल आदिवासी रहते हैं, जहां पर उनको बुलाया गया। मोटरों में जबरदस्ती उनका आपरेशन किया गया। इसलिये जनता ने कांग्रेस का आपरेशन कर दिया।

एक बात जरूर है हम लोग आज के वातावरण में नहीं देखकर दूसरे वातावरण मे देख रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि आन्तरी के पास एक बांध बनाया जा रहा है। उस बांध पर लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। हजारों रुपयों का नहीं लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ। उसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र हमने दिये किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां के सिंचाई अभियन्ता महोदय ठाट से पेट भर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस हालत को देखा जाये। ऐसी हालत राजस्थान में कितनी ही जगह होगी उनको भी देखा जाये। हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार अभी नहीं मिटा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कोई मामूली भ्रष्टाचार नहीं है, कोई साधारण भ्रष्टाचार नहीं है। जहां दस लाख रुपये का काम है वहां दो लाख से ज्यादा का काम नहीं किया है। एक कापी अभी दो तीन दिन पहिले मैंने मुख्य मन्त्री को दी है। उसमें मस्टर रोल का नं. तक दिया है। पम्प वगैरह जितने भी चलाए वह सारे झूठे चलाये हैं। जब डूंगरपुर में ऐसा हो सकता है तो

(श्री अमृतलाल)

अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ होगा। इसलिये भूतपूर्व सरकार ने जो कुछ किया है उसकी जांच होनी चाहिये और जांच होने के बाद जो सम्बन्धित अधिकारी हों उनको बाकायदा दण्ड मिलना चाहिये। अगर दण्ड नहीं मिलता है, तो वही होगा कि हम लोग विधान सभा में कह देंगे लेकिन कहने के बाद मामला ठण्डा हो जायगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

कहने वाले कहते हैं और काम ऐसे ही चलता रहता है।

एक बात और बताऊं भ्रष्टाचार की। हमारे जो आदिवासी काम करते हैं। एक इन्क्वायरी कमेटी आई थी। उन लोगों को दारू पिलाई गई और फिर उनसे कहलाया गया, पेमेंट हो गया, पूरा पेमेंट हो गया। मस्ती से यह बोल गये। अगर यही हालत है तो सबसे पहिला सवाल है, दारू बन्दी का। दारू बन्दी का सवाल, आज हमारे भाई साहब ने उठाया और अन्य सभी माननीय सदस्य महोदयों ने उसका समर्थन किया है। मैं चाहता हूं कि दारू बन्दी और सारे राजस्थान में हो। डूंगरपुर में दारू बन्दी है लेकिन लोग दारू पीते हैं। कुछ को पकड़ते हैं लेकिन पकड़ने वाले दारू पीते हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने थोड़े क्षेत्र में दारू बन्दी कर रखी है पूर्ण दारू बन्दी नहीं की है। दारू बन्दी अच्छी तरह से सारे राजस्थान में करनी पड़ेगी। जब तक बन्द नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते।

इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण पेश किया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री माणक लाल।

श्री माणकलाल (नैनवा) : माननीय सभापतिजी, आपातकालीन स्थिति पर बहुत चर्चा हुई। दोनों पक्षों से आपात् स्थिति के पक्ष में और विपक्ष में बातें हुई। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा करना निरर्थक है। कारण यह है कि अभी जो लोक सभा चुनाव हुआ वह इसी आधार पर हुआ था। कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में जाहिर किया था कि आपातकालीन स्थिति में बहुत लाभ हुआ है किन्तु जनता पार्टी ने और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने घोषणा-पत्र में यह दिया कि आपातकालीन स्थिति में भारी नुकसान हुआ है और जोर जुल्म हुआ है। दोनों की आपस में टक्कर हुई, जनता की अदालत के सामने दोनों पक्ष आये और जनता ने इस बात का निर्णय लोक सभा के चुनाव में दे दिया कि आपात् स्थिति बुरी थी, इन्दिरा गांधी ने अन्याय किया, जोर जुल्म किया और जनता को बरबाद किया। इसके पश्चात् विधान सभा के चुनाव में और समय समय पर जो चुनाव हुए हैं उनमें भी यह स्पष्ट हो गया है।

तो दोस्तों, माफ करें, माननीय सभापति महोदय, यह बात स्पष्ट है कि आपातकालीन स्थिति में गलतियां हुई। इस पर इस हद तक चर्चा होनी चाहिये कि किन लोगों ने यह ज्यादतियां की और अगर ज्यादतियां की

(श्री माणकलाल)

तो क्या सजा मिलनी चाहिये ? जब कोई जज न्यायालय में निर्णय देता है कि फलां मुजरिम ने जुर्म किया है तो केवल यह सवाल रहता है कि सजा क्या मिले। किन लोगों ने ज्यादतियां की हैं इसके लिये शाह आयोग बैठा हुआ है। उसकी रिपोर्ट में सब बातें सामने आ जायेंगी। अब उनको क्या सजा दी जानी चाहिये या माफ करना चाहिये, या सजा मिलनी चाहिये, इस पर विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि मामला काफी गाली गलोध का नहीं है, मारपीट का मामला नहीं है। यह मामला हत्या का है, डाकेजनी का है। डाकेजनी हुई है हमारे मूलभूत अधिकारों की और हत्या हुई है लोकतन्त्र की। उनकी तरफ से तो हत्या कर दी गई थी लेकिन यह किस्मत का खेल था और जनता को धन्यवाद देना चाहिये जिसने मौत के मुंह से लोकतंत्र को बचा लिया। इसलिए इसकी जितनी कठोर से कठोर जो सजा तजवीज की जाय, वह कम होगी। खैर ! यह आगे की बात है। मैं अभी आप लोगों के सामने धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। एक बात जो जनता पार्टी के पक्ष में है वह यह है कि अभी तक जितने भी कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बने हैं, चाहे वह केन्द्र में बने हों, किसी राज्य में बने हों या हमारे राजस्थान में बने हों, किसी न किसी प्रकार से मंत्रियों के खिलाफ दस्तावेजी और जबानी आरोप इस बात के लगते थे कि जितने भी मंत्री लोग हैं उनमें हर एक मंत्री ×× है और ×× है। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं यहां के मंत्रिमण्डल के सदस्यों को और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों को कि कम से कम आज कांग्रेस के लोगों की हिम्मत नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी इस बात को कह सके कि हमारे मंत्रिमण्डल के एक भी मंत्री ने, वह चाहे केबिनेट स्तर का हो या राज्य मंत्री हो, किसी प्रकार की रिश्वतखोरी की है या भ्रष्टाचार किया है। इस बात का कोई आरोप नहीं लगा सकता। यह बात दूसरी है कि किसी ने तबादला कर दिया या फलां ने तबादला करा दिया। उसमें किसी तरह की रिश्वतखोरी की या किसी तरह का आरोप भी लगाने की किसी ने कोशिश की तो उसने मुंह की खाई। मैं कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की परिभाषा में नहीं आता है। एक मंत्री का मन साफ होना चाहिए, उनमें ईमानदारी और नेकनियती होनी चाहिए। उसके बाद और बातें तो हम लोग करा लेंगे, हम लोग नहीं करा सके तो जनता पार्टी करा लेगी लेकिन आदमी भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए वरना भ्रष्टाचार की दुनियां में चाहे कोई भी लोग आ जायें, किसी भी सूरत में सुधार नहीं हो सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्रिमण्डल के सदस्यों को और उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि उन्हें अच्छी से अच्छी परम्परायें डालनी चाहिएं, जिससे हमारे विरोधियों को अंगुली उठाने का अवसर तो नहीं मिले।

हमारे इस घोषणा-पत्र के अन्दर कर्मचारियों के सम्बन्ध में ग्रेचुयटी और पेंशन के बारे में कहा गया है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई कर्मचारी हैं उनको भारी मुसीबत है। समय कम है इसलिए आकाशवाणी की तरह पोइन्ट बता देता हूं

×× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री माणकलाल)

क्योंकि इससे पहले यदि घण्टी बज गई सभापति महोदय की तो मुझे बैठना पड़ेगा। घण्टी को रेसिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं रेसिस्ट करने की ताकत नहीं रखता हूं सभापति महोदय के सामने। तो, पोइन्ट मैं बता देता हूं।

ऐसे कितने ही अस्थाई कर्मचारी हैं, मेरे पास उनके प्रार्थना-पत्र भी आए हैं, वाटर बोर्ड के गरीब कर्मचारी हैं जिनको चार-चार साल हो गए, छः-छः साल हो गए, बारह बारह साल हो गए फिर भी अस्थायी पड़े हुए हैं और उनको डेली वेजेज की तरह से तनख्वाह मिलती है।

इसी प्रकार से आपके यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं उन्होंने भी सब को मेमोरेंडम दिए हैं, उन्हें भी बारह-बारह साल हो गए लेकिन अब भी अस्थायी हैं।

ग्राम सेवकों का विभाग शायद कृषि मंत्री महोदय के पास है ग्राम सेवकों के साथ में जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। ग्राम सेवक लोग बीस-बीस साल हो गए, पच्चीस-पच्चीस साल हो गए, जब से पंचायत राज चला है तब से काम कर रहे हैं लेकिन वे मौलवी के मौलवी रहे और जितने भी चेले थे वह आगे बढ़ गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवकों के सम्बन्ध में ....

श्री सभापति : दो मिनट और। आठ मिनट हो गए हैं।

श्री माणकलाल : मैं मुख्तसर में ही पाइन्ट बता देता हूं।

एक मुख्य पोइन्ट ले लेता हूं और वह लेना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले न्यायालयों की तरफ से और यहां के प्रशासन की तरफ से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्ता न्याय दिलाने का ढोल पीटा गया। कोटा के अन्दर भी बैठक हुई। यह मेरा निजी अनुभव है, मुझे भी मीसा के अन्दर बन्द किया गया था। उसमें इस तरह का नाटक किया गया कि रात दिन में वादी और प्रतिवादी फर्जी बनाए गए। मुलजिम फर्जी बनाने के बाद उसको कहा गया कि पांच सौ रुपयों का दावा करना, तुम मना करना। फिर हम समझायेंगे तब तुम मंजूर कर देना। डिग्री ले लेंगे आपस में। इस तरह से सजा और जुर्माने, समझौते के आधार पर किये गये। इस तरह से कम से कम पचास मुकदमे बताने को तैयार हूं। जस्टिस वेरी, जस्टिस भगवती और माननीय चीफ जस्टिस तक पधारे थे, इस तरह से आंखों में धूल झोंकी गई, और सस्ते न्याय का ढोल पीटा गया। मैं विधि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं श्रीमान् के जरिये, सभापति महोदय के जरिये कि सस्ता न्याय क्या है? शहरों के अन्दर, जिला हैडक्वार्टर पर छः छः अदालतें मुंसिफ मजिस्ट्रेट की हैं और सब-डिविजन के अन्दर एक अदालत। बूंदी जिले में बूंदी में पांच पांच अदालतें हैं, वैसे पांच भी कम हैं, दस होनी चाहिए, मैं उसको काट नहीं कर रहा हूं लेकिन नैनवा के अन्दर केवल एक अदालत है। दो हजार केसेज अदालत में पेंडिंग हैं। उसको भी तोड़ने के लिए मुकदमे नाजायज तरीके से ट्रांसफर किए गये। दो हजार मुकदमे पड़े हुए हैं और मुंसिफ मजिस्ट्रेट

(श्री माणकलाल)

तीन साल से नहीं आया। इसका कारण यह है कि तीन साल से मुंसिफ मजिस्ट्रेट आने के लिए तैयार नहीं है। पहले तीन साल तक मुंसिफ मजिस्ट्रेट मौजूद था लेकिन अब कहते हैं कि कोई साहब आना नहीं चाहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं विधि मंत्री महोदय से कि किस प्रकार से नैनवा के अन्दर एक अदालत तीन साल से बन्द है, नैनवा ही नहीं इस तरह से अनेक शहर और गांव भी होंगे। श्री मोरारजी देसाई हमारे प्रधान मंत्री और शेखावत साहब ने आश्वासन दिया है कि गांवों का सुधार करेंगे, उनका जो असंतुलन हो रहा है उसको दूर करेंगे लेकिन इस तरह देहातों के साथ जुल्म हो रहा है। एक अदालत तीन साल से बन्द है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं होती है तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सम्पतराम : वह अदालत मंजूर शुदा है क्या ?

श्री माणक लाल : काम कर रही है पिछले सात साल से। तीन साल तक तो पहले काम किया और अब तीन साल से मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं आ रहा है।

श्री सम्पतराम : क्या वह कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ?

श्री माणकलाल : वहां मौजूद है और तीन साल से बन्द है। उसका कारण यह बताते हैं कि कोई आना ही नहीं चाहता। इस प्रवृत्ति को बन्द करिये कि आना ही नहीं चाहता। यहां पर मुख्य मंत्री महोदय मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं, माननीय सभापति जी, आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति दूर करिये। जिसको आप भेजते हैं उसको आना ही चाहिए।

हमारे यहां नैनवा में लेडी डाक्टर नहीं है और सीनियर डाक्टर भी नहीं है। चालीस-चालीस माइल तक कोई लेडी डाक्टर नहीं है। जो माताएं गर्भवती होती हैं उनको बेमौत मरना पड़ता है लेडी डाक्टर नहीं होने के कारण। मैंने यहां पर सीनियर अधिकारी से निवेदन किया कि नैनवा में लेडी डाक्टर नहीं है और सीनियर डाक्टर तक भी नहीं है तो कहा कि तलाश करूंगा। क्या लेडी डाक्टर फरार हो गई है जो आप तलाश करोगे ?

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : बजट के दिनों में कटौती प्रस्ताव के जरिये आप इसे डिस्कस करें।

श्री माणकलाल : मैं पोइन्ट कह देता हूं। जिलों के लिए इतना ही कह देना चाहता हूं, एक मिनट में पूरा कर देता हूं। मैं भी आकाशवाणी की तरह पोइन्ट बता देता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, जो जिलों का असंतुलन है वह बहुत बिगड़ा हुआ है। हमारा जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले में जो हमारा नैनवा सब-डिवीजन है वहां पर न तो सिंचाई के साधन हैं और न ही वहां पर बिजली के साधन हैं। कल परसों

(श्री माणकलाल)

हमारे विद्युत् मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारे जो काम मंजूर थे उनको भी काट दिया गया। वहां पर किसी तरह के सिंचाई के साधन नहीं, किसी तरह की बिजली नहीं, सड़कें नहीं। मैंने दौरा किया हमारे एम. पी. साहब के साथ। एम. पी. साहब ने जो हालत देखी उससे उन की आंखों में भी आंसू आ गए। श्री कृष्णकुमार जी गोयल के चारों तरफ नदी, टीवे और पानी भरा हुआ। गर्भवती औरतें वहां से जा नहीं सकती, प्रसव पीड़ा होने पर वे अस्पताल नहीं पहुंच सकतीं। न वहां आयुर्वेद का शफाखाना है और न सड़कें। नदियां भरी हुई हैं और सड़कों की हालत खराब है। तो सड़कें नहीं, नहर नहीं, सिंचाई नहीं, अस्पताल नहीं, न्यायालय नहीं, रोजगार नहीं और शफाखाना नहीं सब तरह से बिल्कुल कटे आफ। उस पर भी आप कहते हैं कि जालोर पिछड़ा है, बाड़मेर पिछड़ा है। मैं कहता हूं कि सब जगहों से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। मैं साबित कर सकता हूं। आप जांच करवा लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सम्बन्ध में मुझे विशेष नहीं बोलना है मैंने 19 तारीख से समय लेने की कोशिश की और आज 25 तारीख को मुझे मौका मिला है वह भी शाम को जब कि प्रेस नहीं है। प्रेस चले गये हैं, अधिकारी चले गए हैं, उस समय मुझे मौका मिला है। मैं बहुत बात कहनी चाहता था लेकिन आगे कभी आप मौका देंगे तब कहूंगा, यही मेरी प्रार्थना है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 जुलाई, 1977 को अपराह्न 4 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि सदन की बैठक 29 जुलाई, 1977 तक रखी जाये और दिनांक 26 से 29 जुलाई, 1977 तक लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :—

मंगलवार दिनांक 26 जुलाई, 1977

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद और उसका पारण।

बुधवार दिनांक 27 जुलाई, 1977

(1) दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977,

(2) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 और

(3) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 पर विचार और इनका पारण।

(श्री सम्पतराम)

गुरुवार दिनांक 28, जुलाई 1977

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977, और

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार और इनका पारण।

शुक्रवार दिनांक 29 जुलाई, 1977

(1) राजस्थान वित्त विधेयक, 1977, और

(2) राजस्थान के विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार तथा इनका पारण।

सभापति महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का जो प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री जौगिंग भाई।

(अनुपस्थित)

श्री आलम अली खां।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : सभापति महोदय, मैं लम्बी चौड़ी बातें न कह कर सिर्फ दो-चार बातें कहूंगा।

माननीय सभापतिजी, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की बातचीत मैंने सुनी। माननीय सभापतिजी, एक ही मिनट में एक ही घर में, एक ही घर के आदमी इस तरह की बातें करें, तो दुनियां पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है, दुनिया में इसके बराबर कोई देश नहीं है जिसमें हर एक आज सिवाय भ्रष्टाचार के कोई दूसरी बात नहीं कहेगा। माननीय सभापतिजी, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस के जो सदस्य यहां पर बैठे हैं वे जानते हैं भ्रष्टाचार सन् 1952 में कहां से आया। कांग्रेस कभी भी आज तक नहीं जीती। विधान सभा में सन् 1952 में कांग्रेस अल्पमत में थी। उसने खरीदोफरोख्त करके अपनी हुकूमत बनायी। उसके बाद यह सन् 1957 में आई। 1962 में थोड़े बहुमत से जीती। सन् 1967 में तो, सभापतिजी, बड़ा भयंकर तूफान आया, जिसके कारण आज भी यही बात कही जा रही है। माननीय सदस्य ने पांच, चार दिन पहले ही कहा, फलां जगह यह हुआ परन्तु 1967 में जौहरी बाजार में जो गोली चली, उसकी बात भूल गये। गोलियां चला दीं और एक तरह से खरीदोफरोख्त कर के राज्य बनाया। माननीय सभापतिजी, भ्रष्टाचार ऐसी चीज नहीं है कि दूर नहीं हो सके। अब तक ईमान नहीं होगा, ईमान मुट्ठी में नहीं होगा, भ्रष्टाचार दूर नहीं

(श्री आलम अली खां)

होगा । दूसरी जो चीज है, जो इन्सान को ईमान से दूर ले जाने वाली है, वह बंद नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ।

सभापतिजी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में माननीय सदस्य कई तरह की बातें कह रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, वह हमेशा लोगों को प्रोत्साहन देने का भाषण होता है और उस भाषण में हर एक चीज बतायी जाती है । कहां क्या होगा, क्या नीति होगी, वह बतायी जाती है । काश्तकारों के वास्ते क्या है, यह बताया जाता है । यह सब करना सरकार का काम है । चाहे कोई भी सरकार हो, वह सरकार इस काम को पूरा करे । मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा राजस्थान में वातावरण है, वैसा दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा । इस वास्ते राजस्थान में जितनी बातें होनी चाहिएं, वे सब बातें इस भाषण में मौजूद हैं । सम्माननीय सभापतिजी, कोई भी आदमी इस देश में, प्रान्त में या घर में भ्रष्टाचार के अलावा कोई बात नहीं देख रहा है । तो भ्रष्टाचार कहां से आया ? कौनसी दुनियां से आया ? कौन लाया ? खुदा ने तो भ्रष्टाचार को भेजा नहीं है । क्योंकि जितनी भी है, यह सिद्धान्तों का नाप तौल है ।

सभापतिजी, शराबबन्दी की बात आती है । शराब पीना सभी धर्मों में बुरा माना है । सभी धर्म यह कहते हैं कि बुराई का दाना जिसके अन्दर गया, उसका पतन हो जाएगा । इसी तरह से शराब का जो पैसा है, वह बुरा पैसा है, गलत पैसा है, इससे देश का पतन होगा ।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा ।

श्री आलम अली खां : राम और राज में कोई फर्क नहीं है । राम में भी वही बात है और राज में भी वही बात है । जिस तरह से राम पवित्र हैं, उसी तरह से राज पवित्र होना चाहिए नहीं तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ।

माननीय सभापतिजी, जनता पार्टी का गठन हुआ है इसके लिए कई बातें कही गई हैं । पहले जो शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि जमाअते इस्लामी और आर. एस. एस. के कितने स्कूल चलते हैं ? वह शिक्षा मन्त्री थे । उनको सब मालूम है । यह कोई बुराई नहीं कि कोई धर्म अपना स्कूल चलाये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिए साहब, राजस्थानी में बोल रहे हैं ।

श्री सभापति : बोलिये । दो मिनट और बोल लीजिए ।

श्री आलम अली खां : कांग्रेस की नीति का राज जहां जहां पर आया, वह अंग्रेजों के कानून पर चलता रहा । महात्मा गांधी ने साफ बताया था कि अंग्रेजों ने हम पर कानून थोपा है हम उस कानून की होली जलायेंगे । आप देखें कि अंग्रेजों के कानून आज भी मौजूद हैं ।

(श्री आलम अली खां).

माननीय सभापतिजी, हिन्दू और मुसलमानों की बात की जाती है। आज इस देश में हिन्दू और मुसलमान सभी मौजूद हैं। क्रिश्चियन भी हैं, हरिजन भी हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन खुदा के घर में ऐसी कोई बात नहीं है। वहां इन्सान की बात है और इन्साफ की बात है। किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि झूठ बोलना बहुत अच्छा है। सभी धर्मों की किताबों में यह लिखा है कि सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है। सभापति जी, सच्चाई सभी धर्म मानते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : 14 मिनट हो गये हैं।

श्री आलम अली खां : एक दो मिनट और दे दीजिए।

श्री सभापति : इतने लोग अभी और बैठे हैं, बोलने के लिए। एक दो मिनट और ले लें।

श्री आलम अली खां : सभापति जी, कांग्रेस सरकार इलेक्शन के नाम से धोखा देती रही है। पाकिस्तान के नाम से कुछ मुसलमान, क्योंकि किसी की बहन वहां पर है तो किसी का भाई है, हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गये हैं। इस प्रकार से प्रभावित होने के कारण से मुसलमान अपने वोट इन्दिरा गांधी को देते थे। सभापति जी, पाकिस्तान में अकूड़ा में बिड़ला की मिल थी। वहां पर कुछ मुसलमान मजदूरी का काम कर रहे थे। उन लोगों के घर हिन्दुस्तान में हैं। परिवार वाले हिन्दुस्तान में हैं। वह जब वहां से आये तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों में से कुछ को छोड़ा है औरों को छोड़ा ही नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा सरकार से कि सरकार उनकी परेशानी को दूर करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जरा सी बात और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब आप का गला काम नहीं कर रहा है। अब रहने दीजिए।

श्री आलम अली खां : सभापतिजी, एक बात और कह दूं। मैंने गृह मंत्रीजी से भी निवेदन किया है। गृह मंत्री जी के बराबर कहने पर भी कल भालेरी गांव में गोली चली। वहां जो रिटायर्ड एस. डी. एम. है, अफसरशाही उसकी मदद करती है। जनता पार्टी के राज में भी यह अफसरशाही चलती है। हमने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंका है तो हम अफसरशाही को भी उखाड़कर फेंक देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और मैं मेरी जगह बैठता हूं।*

श्री सभापति : माननीय श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, सन् 42 की अगस्त क्रांति के दूत भारत के जीवित गांधी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में भारत दूसरी दफा आजाद हुआ तथा हिटलर, मुसोलिनी तथा टाजो की भी तानाशाही को मात देने वाली

(*राजस्थान की जनपदीय भाषा में दिये गये रूपान्तरण)

(श्री किशनसिंह भाटी)

श्रीमती गांधी की तानाशाही से देश को मुक्ति मिली। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि आज हमारे भारत में ये भी भय से मुक्त हैं और हम भी मुक्त हैं। देश में एक नया सपना संजोने के लिए इस विधान सभा के प्रथम अधिवेशन में हम उपस्थित हुए हैं। मैं उस क्षेत्र से आया हूं जो विश्व का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। जितने सदस्यों ने जो जो बातें यहां पर कही हैं, करीब करीब वही बातें मुझे कहनी हैं लेकिन मेरे क्षेत्र की समस्याएं व समाधान और तरह के हैं। राजस्थान की समस्याओं के बारे में एवं मुख्यतः जैसलमेर की समस्याओं के बारे में मैं अपने विचार रखूंगा।

माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का, सत्ता पक्ष में होने के नाते मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि समर्थन करूं। वह एक नीति वक्तव्य है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही आवश्यक रचनात्मक सुझाव भी रखना अपना कर्तव्य समझता हूं। पैरा वाइज उसको देखें तो सर्वप्रथम भ्रष्टाचार के बारे में जो बातें कही गयी हैं वह स्वागत योग्य हैं। बहुत से लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में कई प्रकार की बातें कहीं, सच्ची बातें भी कहीं, बहुत से लोगों ने कुछ बढ़ा-चढ़ा कर भी कहीं। मैं अपना खुद का दृष्टिकोण रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये सरकार प्रयत्न करे वहां समाज को भी प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये मेरा रचनात्मक यह सुझाव है कि जन प्रतिनिधि समितियां गांव स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बनायी जानी चाहिये ताकि सभी तरफ से लोग सरकार से सहयोग करें और भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। भ्रष्ट लोगों की तरफ चाहे वे इस पक्ष के हों चाहे विरोधी पक्ष के हों, चाहे समाज के व्यापारी या दूसरे वर्ग हों, विशेष तवज्जोह न दी जाय, उनका स्वागत न किया जाय। जहां पर इस प्रकार के लोगों द्वारा समारोह हो वहां पर सत्ताधारी दल के व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिये और भ्रष्टाचारी लोगों को नफरत की नजर से देखा जाना चाहिये तभी भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत से कानून हैं, उनके सम्बन्ध में भी सुझाव दिये गये हैं लेकिन भ्रष्टाचार तभी समाप्त होगा जब कि उन कानूनों की क्रियान्विति के लिये जो कदम उठाने हैं वे उठाये जायं और उनका सख्ती से पालन किया जाय। इसके लिए विधायकों का, दूसरे जन प्रतिनिधियों का और विरोधी पक्ष का सभी का सहयोग लिया जाय। हमारा विरोधी पक्ष जानता है कि वह कैसे दूध का धुला होकर आया है। माननीय खेतसिंहजी, माननीय परसरामजी, माननीय मथुरादासजी माथुर, माननीय हरिदेवजी और ऊंचे-ऊंचे लोग, जो भ्रष्टाचार के बारे में जिहाद छेड़े हुए हैं, वर्षों तक ×××लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। भ्रष्टाचार के बारे में जिस तरह से सदन में, समाज में कानूनी और कई तरह के सुधारवादी सिद्धांत की बात की जाती है, जिस तरह से चम्बल के डाकुओं ने बाबू जयप्रकाश के आगे आत्म समर्पण कर दिया था उसी तरह से ×××जो इस पक्ष के

××× अभिव्यक्ति एवं शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री किशनसिंह भाटी)

व्यक्ति बैठे हैं, जिस प्रकार से सुबह का भूला शाम को घर आ जाय, अगर आप आत्म-समर्पण करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और कानून के तहत सजा भुगतने को तैयार हों तो हो सकता है सरकार की शक्ति भी बढ़ेगी, जनता का शक्ति भी बढ़ेगी, देश में उग्रता भी कम होगी और वैमनस्य भी कम होगा। इसमें आपका बड़प्पन है। आप में से आधे से अधिक व्यक्तियों के नाम लिये हैं। मेरे पास कुछ अधिक सबूत हैं। मैं व्यक्तिशः बता सकता हूं। मैं यह बात दावे से कहूंगा और आप सिर ऊंचा नहीं करेंगे।

दूसरा जो सबसे बड़ा सुझाव है वह पिछड़े वर्ग के बारे में है। यहां पर पिछड़े वर्ग के बारे में बहुत कुछ बातें कही गईं। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए बहुत कुछ करना शेष है। हमारी उनके साथ पूरी हमदर्दी है। जनता पार्टी की और सभी की उनके साथ पूरी हमदर्दी होनी चाहिये। यह एक आवश्यक प्रश्न है जहां भी पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, दलित वर्ग है उसका भला अवश्य होना चाहिये। इसके साथ ही मैं क्षेत्रीय असन्तुलन की बात भी कहूंगा। कुछ पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं लेकिन राजस्थान सरकार को नये इकोनोमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा अर्थशास्त्र के आधार पर सर्वेक्षण कराना चाहिये और जो पिछड़े इलाके हैं वहां कोई भी जाति का व्यक्ति हो चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो या दूसरे लोग हों जिनकी हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उस इलाके को पिछड़ा इलाका घोषित किया जाना चाहिये। उनके हितों की सुरक्षा की जानी चाहिये, उनके लिए नौकरियों का प्रबन्ध होना चाहिए, और जितने भी कन्सेशन्स पिछड़े वर्ग को दिये गये हैं वे उनको दिलाये जाने चाहिए। उसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि पिछड़े क्षेत्रों का इस तरह से सर्वेक्षण करके सुधार करना चाहिए और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहिए। मेरे क्षेत्र में जो राजपूत जाति के लोग हैं जिन्होंने कभी राजस्थान में राज किया था और जिनको सामन्त भी कहा जाता था। मैं कोई जाति-प्रथा का विरोधी नहीं हूं। हमारा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है अगर आप वहां पर राजपूतों की आर्थिक स्थिति देखें तो जयपुर के स्वीपर से भी गई बीती है, धोबी से गई बीती है और दूसरे लोगों की स्थिति भी दीगर जातियों से गई बीती है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। केवल पिछड़ी जातियों के आधार पर ही कुछ नहीं करना चाहिए। जिनकी हालत अच्छी नहीं है उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो सरकारी संस्थान तीस वर्षों में लगाये गये हैं आज जो मन्त्री हैं उनके लड़के की स्थिति उस जाति के लड़के से, जो गरीब जाति का है, बहुत अच्छी है, उसकी हालत बहुत ठीक है. यह एक आवश्यक प्रश्न है। वहां के लोगों को भी सरकारी संस्थानों में इसी के आधार पर नौकरी देनी चाहिए। मैं आपका ध्यान जयप्रकाशजी की क्रान्ति की ओर ले जा रहा हूं। इसलिए हमको नये सिरे से विचार करना चाहिए और उनको भी सुविधायें मिलनी चाहिए।

(श्री किशनसिंह भाटी)

आगे जहां तक कृषि का सवाल है, वहां पर सूखी खेती की व्यवस्था होनी चाहिए। मन्त्री महोदय भी रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इससे सम्बन्धित कई बातें हैं, जो सुविधायें दूसरे जिलों के अन्दर कृषि के सम्बन्ध में हैं वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही, जालोर क्षेत्रों में नहीं हैं तो मिलनी चाहिए। रेगिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र भी बहुत कुछ कर रहा है। पिछड़े जिलों की पेय जल व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने पचास करोड़ रुपये मन्जूर किये हैं। राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए, उन क्षेत्रों में कृषि के बारे में और सूखी खेती को नया रूप देने के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए। आज राजस्थान नहर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। राजस्थान कैनाल 350 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा से लगी हुई है। उस योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है, उसको रामगढ़-नाचना टेल एण्ड से शुरू किया जाय। अगर किसी ने जैसलमेर से पोकरण तक की यात्रा की हो तो कोई भी नहीं कहेगा कि रेगिस्तान है लेकिन इसके आगे साउथ वेस्ट नोर्थ में आप चलेंगे तो पांच सौ मील तक आपको कोई कंकड़ भी नजर नहीं आवेगा। बीकानेर से रामगढ़ तक कुदरती ढलान है इसमें प्राविधिक कोई कठिनाई नहीं आती है और यह नहर पूरी की जा सकती है। एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि राजस्थान नहर जैसलमेर में सीमा सुरक्षा के लिए भी अच्छी होगी। कोलायत, बीकानेर, जैसलमेर के जो लोग हजारों वर्षों से वहां रहते हैं जो जमीन के किसान हैं, उनको गैर-खातेदार डिक्लेयर किया गया है। अब हम पहले से खातेदार हैं फिर भी गैर-खातेदार कालोनाइजेशन एक्ट के तहत गलत दर्ज किया गया है। आज हम न लकड़ी काट सकते हैं, न पानी पिला सकते हैं यहां तक कि जमीन में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार खातेदारी देने का प्रयास करे।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में जैसे 2।। हैक्टेयर पर लगान माफ किया है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो विशेष आश्वासन था रेगिस्तानी क्षेत्रों को विशेष सुविधायें देने के बारे में उसके सम्बन्ध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। बाड़मेर व जैसलमेर के जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहां ढाई हैक्टेयर 50-100 बीघा के बराबर होता है, वहां लगान माफ करना चाहिए। सरकार का वायदा भी है। फिर न मालूम कैसे रह गया। इसलिए इसमें सुधार करके पूरा करना चाहिए।

जहां तक कृषि मंडी का सवाल है, जैसलमेर में आलू, लहसन, जीरा धनिया की फसलें नहीं होतीं। कभी बारिश हो जाए कुदरत से तो बेर होते हैं, तूम्बे होते हैं, दो करोड़ के एक्सपोर्ट भी होते हैं। इसलिए कांग्रेसी प्रधानों ने अपनी सुविधा के लिए वहां कृषि उपज मंडी लगाई है, उसे जैसलमेर से उठा लीजिए तो किसान के फायदे में है। कृषि उपज मंडी वहीं होनी चाहिए जहां कृषि होती हो। जैसलमेर और कृषि-डिक्शनरी में शब्द नहीं होते। राजस्थान नहर लायेंगे तब जैसलमेर कृषि को समझेगा।

जहां तक पशुपालन का संबंध है....

श्री सभापति : 13 मिनट हो गए।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वहां की विशेष समस्यायें हैं। पशुओं के बारे में मेरे विशेष सुझाव हैं। राज्य में कुक्कुट, मछली एवं शूकर पालन का औचित्य नहीं है, यह फैशनेबल सरकार का काम है। यदि सड़ा हुआ मास फ्रीज में रखा हुआ अशोका होटल में नहीं मिलेगा तो उसके बगैर काम चल जाएगा। सबसे ऊंचे किस्म की गायें जैसलमेर में होती हैं वह केवल एक किलो दूध देती हैं। वही गाय यदि सूरतगढ़ में हों, सरकारी संरक्षण में हो, खुराक अच्छी मिले तो 16–17 किलो दूध देती हैं। ऐसी किस्म की गाय विश्व भर में नहीं हैं और संसार के किसी हिस्से में ऐसी गाय नहीं हैं जैसी जैसलमेर में थारपारकर नस्ल की गायें हैं। उनकी रक्षा के लिए और उच्च कोटि के ऊंटों और सांडियों के लिए, जो 70 हजार के करीब होंगी, व्यवस्था करनी चाहिए। सूअर पालन न करें वे तो खेतसिंहजी, परसरामजी और नाथूरामजी के खेतों में मिल सकते हैं। मुर्गी केंद्र भी मिल सकते हैं। हमको गाय, सांड, भेड़-बकरी के पालन पर जोर लगाना चाहिए। जैसलमेर की तरफ मुख्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए। बड़ी कोशिश हो रही है, विदेशी मुद्रा रिलीज की जा रही है। वहां शेरा नाम का रोग चल रहा है। वहां दिन में 500 सांडियां मर रही हैं। एक सांड की कीमत दो हजार है, कोई वेक्सीन नहीं मंगाई। वहां अस्पताल खोलने चाहिए–जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही इत्यादि स्थानों पर। अस्पताल आप खोलेंगे जयपुर में जहां बटेर, तीतर और अलसेसन कुत्तों का इलाज होता है। मुख्य मंत्रीजी को मैंने 16 सूत्री सुझाव दिए हैं। मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए मोबाइल डिस्पेन्सरीज का इन्तजाम होना चाहिए। आयुर्वेद औषधालय और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलिए। जैसलमेर सिटी में एक्स–रे प्लांट तो है टेक्निशियन नहीं है। पोकरण में टेक्निशियन हैं, एक्स–रे प्लांट नहीं है। इसलिए इस स्थिति में सुधार किया जाए।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री किशनसिंह भाटी : एक दो मिनट और। दो मिनट में 15 टापिक्स कह दूंगा।

राजस्थान नहर को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए जरूरत पड़े तो उसे मिलिट्री इंजीनियरिंग को भी सुपुर्द करना चाहिए। टार्गेट जो 1983–84 का है वह गलत है। केंद्रीय सरकार से मिल कर ज्यादा लोन लेकर जल्दी पूरा करें। राजस्थान नहर पर पी. डब्ल्यू. डी. और दूसरे जो विभाग हैं, वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। राजस्थान नहर का सीमेंट कांग्रेस के समय में पाकिस्तान गया है, जैसलमेर में 40×40 कोस का निर्जन क्षेत्र–पाली है जहां हिरण, पीवना सांप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी की ऐसी पाली बहावलपुर पाकिस्तान में है। हमारे इंजीनियरों एवं ठेकेदारों के द्वारा सैकड़ों टन सीमेंट वहां भेजा गया है और पाकिस्तान ने दीवार डाल कर टांके भरे हैं जो युद्ध में काम आ सकते हैं। कैनाल में यू. एन. ओ. का गेहूं एवं घी ब्लैक मार्केट में बिकता है इसलिए कई अधिकारी वहां जाना चाहते हैं। कांग्रेस के भूतपूर्व मंत्रियों की कई मुरब्बे जमीन है, वह उन्होंने हड़प रखी है। इसलिए विशेष तौर से राजस्थान कैनाल पर ध्यान देना चाहिए। लिफ्ट योजनाओं द्वारा मुख्य नहर

(श्री किशनसिंह भाटी)
के काम में व्यवधान नहीं डाल कर उसे शीघ्र पूरा करें।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : बाकी पुलिस के बारे में बोलना है।

श्री सभापति : पुलिस के बारे में सब जानते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरे सुझाव हैं पुलिस के बारे में। श्री टायर सिस्टम हो। जिस तरह से अमरीका में तीनों सिस्टम अलग अलग हैं। उसी तरह इन्वेस्टीगेशन ब्रांच अलग हो, एफ. आई. आर. प्रोसेस सर्वेयर अलग हो, प्रोसीक्यूशन ब्रांच अलग हो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को सारी पावर्स न होकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को दी जानी चाहिए। पुलिस को रिमांड की पावर 7 दिन से ज्यादा न दी जाए क्योंकि पुलिस रात-दिन लोगों की पिटाई करती है, ऐसी पिटाई करती है कि डाक्टर को भी पता नहीं लग सकता। और तो और पुलिस को हथकड़ी डालने की पावर राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के मामले में नहीं होनी चाहिए। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। हमें हथकड़ी लगाई, लोगों को पकड़ कर बाजारों में घुमाया, देश के बड़े-बड़े नेताओं को हथकड़ी लगाई। जैसलमेर निवासी चंद्रभान मंत्री नामक कार्यकर्ता को, जो घुटना जख्मी होने से लंगड़ा कर चलते थे, जोधपुर जेल से 5 आदमी मिल कर अस्पताल ले गए, फिर भी हथकड़ी लगा कर उसको घुमाया। पुलिस में रिश्वत का यह सबसे बड़ा हथियार है। इस लोहे की जंजीर को हमारे यहां नागौरी गहना कहते हैं।

जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का आर. ए. एस. अधिकारियों के बराबर वेतन होना चाहिए। वे 10 से 5 बजे तक काम करते हैं। उनको स्टेनोग्राफर मिलना चाहिए। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अच्छा बंगला, जीप देते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ने आपका क्या बिगाड़ा है जो उनकी पे स्केल में इतना डिफरेंस है? इस डिफरेंस को मिटाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

नेक्स्ट।

श्री सूरजपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

वैद्य गंगा सहाय।

(अनुपस्थित)

माननीय प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री किशनसिंह भाटी : श्री प्रेमसिंह सिंघवी की जगह मुझे अलाउ करें हम कम्प्रोमाइज कर लेंगे। मेरे कुछ टापिक्स रह गए हैं।

श्री सभापति : श्री रघुनंदन व्यास।

श्री किशनसिंह भाटी : मुझे शराबबंदी पर कहने दीजिए। श्री मनोहर सिंहजी का आग्रह है। शराब एक सामाजिक बुराई है और आर्थिक विनाश का कारण है। आधा पक्ष कहता है कि शराबबंदी करने से शराब बंद नहीं होगी। आधा पक्ष कहता है कि पूरी शराबबंदी की जानी चाहिए। हमें इस बारे में पड़ोसी राष्ट्र चीन से सीखना चाहिए। अफीमची चीन आज चवन्नी भर अफीम भी नहीं खाता है किन्तु सबसे बड़े शराबी देश भारत और रूस बदनाम होते जा रहे हैं। इसलिए शराबबन्दी होनी चाहिए। राजनेता और विपक्ष के नेता सामने बैठे हैं। ये और हम प्रतिज्ञा करें कि जहां दावत होती है और जहां शराब की बोतल खुलती हैं वहां हम नहीं जायेंगे। प्रधान मन्त्री मोरारजी भाई का उदाहरण है। अगर विधायक प्रतिज्ञा करें तो कोई वजह नहीं ....

श्री परसराम मदेरणा : हम तैयार हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : जहां तक पेय जल की समस्या है जैसलमेर में ऐसे स्थान हैं जहां 50 कुए खारे पानी के हैं, पानी में फ्लोराइड है, क्लोराइड है, चूना है। वहां मीठे व शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है उस एरिया के यातायात के बारे में। जहां पर कोई यातायात का साधन नहीं है वहां पर अगर कोई मन्त्री महोदय गये होंगे, मेरे ख्याल से परसरामजी गये होंगे या और भी कोई मन्त्री गये होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि वहां पर ऐसा रेगिस्तान है कि जीप गाड़ी भी नहीं जा सकती है। वहां पर जाने का साधन सिर्फ ऊंटों की सवारी है। इतने लम्बे रेगिस्तानी रास्ते हैं कि ऊंट की सवारी करने वालों के आसन पर छाले हो जाते हैं। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो इलाका पिछले कई सालों से पिछड़ा हुआ है, जहां पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है उसकी ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जावे। इसके साथ ही वहां पर पानी की भी बहुत किल्लत है उसको दूर करने के उपाय के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही टॉप प्रायोरिटी देकर की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रतना राम : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो शराबबन्दी बन्द करने की जो बात कही है उसके लिये मैं मेहताजी से कहूंगा कि हम भी आपका समर्थन करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय सदस्य शराब बन्दी बन्द नहीं होनी चाहिये, शराब बन्द होना चाहिये।

श्री रतना राम : हां, शराबबन्दी के लिये हम भी आपका समर्थन करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं क्या या आपको बोलना है?

श्री रतना राम : मैं अभी तक नहीं बोला हूं।

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) आदरणीय सभापति महोदय, मैं पहली बार सदन में बोलने खड़ा हुआ हूं अगर मुझसे दो चार मिनट अधिक बोला जाय तो आप मुझे मेरी गलती के लिये क्षमा करेंगे।

श्री सभापति : आपका समय है आप चाहें तो सदन में आधी रात तक बोल सकते हैं। पर यह दस मिनट तय किये हुए हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में पारित होने जा रहा है उसका समर्थन करने के लिये मैं भी कुछ मुद्दे निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह तो निश्चत बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में राजस्थान के विकास के लिये नयी दिशा निर्धारित की है। जैसा कि पहले कांग्रेस के राज्य में राज्यपाल महोदय के भाषण में आंकड़ों का जो जाल होता था वह जाल इसमें नहीं है। मैं विपक्ष में बैठने वाले अपने साथियों से यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीस वर्षों में राजस्थान में कांग्रेस का राज्य रहा और इस दौरान कांग्रेस ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया सिर्फ यहां की जनता में जातिवाद का झगड़ा कराया। उन्होंने एक पर्टीक्यूलर जाति को ही किसान माना। जो भी खेती करता है वह किसान है चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह सामन्त है, चाहे वह कोई जाति का क्यों नहीं हो लेकिन कांग्रेस ने उनको किसान नहीं माना। यहां सदन में कांग्रेस पक्ष के लोगों से और जनता पक्ष के लोगों से मेरा निवेदन है, किसान शब्द की व्याख्या क्या होनी चाहिये, उसके बारे में निर्णय लेने का विचार हमें करना है। मेरे ख्याल से जो कोई भी व्यक्ति खेती करता है वह किसान है। लेकिन यहां कांग्रेस वालों ने हमेशा एक जाति को इंगित करते हुए उसे ही किसान माना है। इसी भावना को बल देते हुए कांग्रेस ने लोगों को आपस में लड़ा कर राज्य किया। आज पिछले तीस सालों में गांवों में इस किसान के नाम पर लोगों को बुरी तरह लड़ाया गया और ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गयीं कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से बोलते तक नहीं थे। यह बात खास तौर से मेरे सिरोही एरिया में देखने को आपको मिलेगी लेकिन उससे थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा जिला है जालौर जिला वहां पर आपको बात देखने को नहीं मिलेगी। वह पर यह झगड़ा नहीं है। क्योंकि हमने पिछले तीस वर्षों में जालौर जिले में यह जो कांग्रेस की टुकड़े करने की प्रवृत्ति थी, जो लोगों को जातियों में बांटने की प्रवृति थी उसको कार्यान्वित नहीं होने दिया। बाकी कांग्रेस ने लोगों के टुकड़े करने के सिवाय कुछ नहीं किया। किसी के किसान के नाम पर टुकड़े किये, किसी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के नाम पर टुकड़े किये तो किसी के अल्पसंख्यक के नाम पर टुकड़े किये। तो यह टुकड़े करने की जो प्रवृत्ति है इसे उसे मिटाने की जरूरत है ताकि हमारा प्रदेश आगे बढ़े।

सभापति महोदय, मैं जालौर का रहने वाला हूं और सिरोही के विधान सभा क्षेत्र

(श्री रघुनन्दन व्यास)

से चुन कर आया हूं। सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार को जिस तरह की व्यवस्था कांग्रेस सरकार से मिली है वह ऐसी स्थिति है जैसे उस व्यवस्था को लकवा मारा हुआ हो। उस व्यवस्था में ऐसे सरकारी आफिसर हैं जिन पर कि जनता पार्टी की सरकार और जनता विश्वास नहीं कर सकती। यह ऐसे लोग हैं जिन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह ऐसे आफिसर हैं जो कि जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इन आफिसरों से सचेत रहे। पिछले तीन चार महीनों से जब से लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस हारी और विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस हारी है, तब से यह आफिसर लोग कोई भी काम करने को तैयार होते नहीं हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो। इसलिए जो आफिसर जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। राज्य सरकार को चाहिये कि उन लोगों को उन महत्वपूर्ण पदों से तुरन्त हटाये। सभापति महोदय, मैं आपको जालोर, सिरोही के जो आफिसर हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी राज्य सरकार के आदेश यहां से जाते हैं उनका वे लोग पालन नहीं करते हैं, काम करते नहीं हैं और ना भी नहीं करते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण आपको जालोर और सिरोही एरिया में देखने को मिलेंगे। अभी जालोर में थोड़े दिनों पहले एक सान्डोली गांव से एक लड़के को भगाया गया। उसके लिये तुरन्त जांच करके दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के आदेश गृह मन्त्रीजी से कराये गये लेकिन वहां के आफिसरों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने तो जनता पार्टी की सरकार के आदेशों को नहीं मानने का ध्येय बना रखा है वह काम करते नहीं और काम नहीं करेंगे तो जनता पार्टी की सरकार बदनाम होगी। इसलिये मैं यहां पर राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आफिसरों को तुरन्त बदला जाय ताकि जनता सरकार को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, अब थोड़ा मैं बिजली बोर्ड के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह बिजली बोर्ड है इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है। इसमें एक एवरेज बिल की ऐसी प्रणाली है जिसमें चाहे एक व्यक्ति पांच यूनिट ही बिजली जलाये उसे एक कुए पर एवरेज बिल के नाम पर 250 रुपये से सात सौ रुपये बिजली के भरने पड़ेंगे। इसी प्रकार मीटर लगाने के लिये भी बिजली विभाग जबरदस्ती रुपये वसूल करता है। वहां पर इसके लिये 500 रुपये तक वसूल किये जाते हैं। वहां ऐसी स्थिति है कि अगर किसान अपना स्वयं का मीटर लगा कर बिजली जलाये तो उसके सिर्फ 250 रुपये ही आते हैं और एवरेज बिल का पेमेन्ट करता है तो 700 रुपये आ जाते हैं। सभापति महोदय जो मीटर का किसान का बिल आता है, जो यूनिट किसान के मीटर में आते हैं और बिजली बोर्ड के मीटर में जो यूनिट आते हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क है। बिजली बोर्ड वाले एक हजार यूनिट के बदले 2250 यूनिट के पैसे गरीब किसानों से चार्ज करते

(श्री रघुनन्दन व्यास)

हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज एवरेज बिल के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। आज राजस्थान का बिजली बोर्ड है वह 30 लाख रुपया सालाना एवरेज बिल के नाम से गरीब काश्तकारों से वसूल कर रहा है। इस प्रकार की चर्चाएं पिछली सरकार के समय भी इस सदन में हुईं। जब पार्लियामेन्ट के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त राज्य सरकार ने जरूर इस एवरेज बिल की प्रणाली को बन्द कर दिया था लेकिन बाद में उसी कांग्रेस सरकार ने जब उनकी कुर्सियां हिलायीं तो वापिस शुरू कर दिया। इसलिये राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस एवरेज बिल चार्ज करने की प्रणाली को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। जो एक्चुअल बिल आये वही किसानों से लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, जहां तक मीटर का सवाल है आज राजस्थान में मेरे इलाके में करीब तीन हजार कुए हैं जिनमें मीटर के कनेक्शन नहीं हैं। यह बात नहीं है मीटर नहीं हैं लेकिन इसके लिये अगर आप 500 रुपये रिश्वत के देते हैं तो आपको मीटर मिलेगा। नहीं देंगे तो आपके कुंए और मकान पर बिजली का मीटर नहीं लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन है बिजली बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है उसे सख्ती से दूर किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार से मैं थोड़ा बिजली बोर्ड के अन्दर ट्रान्सफोर्मर्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसी कि, सभापति महोदय, मैंने बिजली के मीटर्स की जो बात कही वही की वही बात ट्रान्सफोर्मर्स के बारे में लागू होती है। अगर आप बिजली वालों को रिश्वत देते हैं तब तो ट्रान्सफोर्मर आपको मिल जायगा अन्यथा यही कहेंगे कि ट्रान्सफोर्मर्स नहीं हैं।

इसी तरह, सभापति महोदय, मैं थोड़ा कोआपरेटिव विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपातकालीन समय में लोगों से सहकारिता विभाग द्वारा जो कर्जों की वसूली की गयी वह इस प्रकार की गयी हमारे जालौर और सिरोही एरिया में कि लोगों को मुर्गा बना कर उनसे बकाया वसूली की गयी। यही नहीं लोगों की छाती पर पत्थर रख कर, लोगों के घरों के बर्तन नीलाम करके गरीब लोगों से वसूली की गयी। लेकिन जिन धनवान लोगों में हजारों रुपये की बकाया थी उनसे कुछ भी वसूली नहीं की गयी। आज गांवों में राजस्थान के कोआपरेटिव विभाग के आफिसरों का जाल फैला हुआ है। इसके इन्सपैक्टर्स तो ऐसे आते हैं जैसे लोगों से टैक्स वसूल करने आते हैं। आज राजस्थान में साहूकारी प्रथा तो कहने को हटा दी लेकिन यह कोआपरेटिव विभाग के जो इन्सपेक्टर्स हैं जो कि गांवों में जमे हुए हैं वह जिस प्रकार साहूकार दस प्रतिशत काटा काटता था उसी प्रकार सहकारी सोसाइटी के लोगों का काटा काट कर सौ रुपये के दस प्रतिशत कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि एक्चुअली उस गरीब को 400 में से 80 या 85 रुपये ही मिलते हैं। इस प्रकार का हाल इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के लोगों का इस सहकारी विभाग के इन्सपैक्टर्स ने कर रखा है। इसलिये मेरा राज्य

(श्री रघुनन्दन व्यास)

सरकार को यह निवेदन है कि सहकारिता के एक अच्छे काम को इस प्रकार से कोआपरेटिव विभाग के इन आफिसरों ने बदनाम कर रखा है। जो लोग इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनके खिलाफ में जांच करके दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार गांवों में जो ग्रामीण बैंक हैं उनकी भी बहुत बड़ी मात्रा में दुर्गति हुई है। कोआपरेटिव विभाग की जांच हेतु एक समिति बनाएं। ग्रामीण सहकारी बैंक में जो घोटाले हैं उनके लिये एक समिति बनाएं। सभापति महोदय, यह कुछ नहीं है जो फर्जी समिति है, मेरा निवेदन है कि उसके लिये एक कोआपरेटिव आयोग बनाया जाये। अगर आवश्यकता हो तो जैसे पंचायत का बिल आज पेश किया है उसी प्रकार से कोआपरेटिव का भी कोई बिल लाना पड़े तो लायें लेकिन कोआपरेटिव में जो फर्जी जगह-जगह पर अध्यक्षीय समितियां बनी हैं चाहे क्रय विक्रय संघ हो, या मार्केटिंग सोसाइटी हो या दुग्ध उत्पादन की हो सब को भंग करके जांच कराई जाये। कोआपरेटिव में सब जगह कान्करेन्ट आडिट का एक नाटक है। कोआपरेटिव में कान्करेन्ट आडिट से चोरी के अलावा कोई वास्ता नहीं है। फिर कन्ज्यूमर्स स्टोर्स बनाये गये हैं, सहकारी भण्डार बनाये गये हैं। अगर उनका चिट्ठा आपके सामने लाया जाये तो 2 करोड़ रुपये सहकारिता के नाम पर आफिसर्स चाट गये और उसका कोई हिसाब नहीं, कोई लेखा-जोखा नहीं। बदनाम करने के लिए जो भी सहकारिता में कार्यकर्ता हैं, वह हैं और पैसे चाटने के लिए आफिसर्स।

इसके बाद में पशुपालन, वन और खेती आते हैं। वन के नाम पर क्लोज़र बन गए और जमीनें रुक गयीं। अब पशु कहां जायें? राजस्थान का पशु और खासकर जालौर, पाली, बाड़मेर, नागौर का पशु चरते-चरते गुजरात तक जाता है और नागपुर तक जाता है। उस पशु के लिए कोई रास्ता नहीं है तो पशु कहां जायें? उसके खड़ा होने के लिए जगह नहीं। पिछले साल बूंदी में इसी सवाल पर झगड़े हुए और खून-खच्चर हुआ और लोग मारे गये। पशुधन की रक्षा करनी है तो पशु विभाग और वन विभाग दोनों का को-आर्डिनेशन करना होगा। क्लोज़र तो बना दिये लेकिन दरख्त एक नहीं है। क्लोज़र के नाम पर मनमाने पैसे वसूल होते हैं। अकेले सिरोही जिले में मैंने हिसाब लगाया कि वन वाले सरकार के खजाने में तो पैसे नहीं लाते लेकिन कम से कम 5 लाख रुपये रिश्वत के पशुपालकों से सिरोही जिले में वन विभाग वाले वसूल करते हैं। मैं जिस दिन रवाना हुआ तो 20 गांव के रेवारी मुझ से मिलने आये। उन्होंने कहा कि इस पाप का क्या होगा? मैंने कहा कि वह पाप बहुत लम्बा है और एक दिन में नहीं निपटेगा। इसके लिए मेरा कहना है कि बाकायदा रसीद दी जाये और जहां-जहां पशु हैं और जहां-जहां वन हैं वहां वनों की रक्षा करते हुए पशुओं की चराई पशुपालकों से वसूल की जाये। इससे वनों की रक्षा होगी और पशुपालकों की समस्या भी हल होगी। वन के जो दरख्त होते हैं उनको पशु नहीं खाते न दरख्त के पत्ते खाते हैं। दरख्त खाते हैं वनों के मालिक। जो डी.एफ.ओ. बैठे हुये हैं और उससे बड़े आफिसर्स या उनके चहेते हैं वे वृक्षों को कटवाकर बाहर भेजते हैं। मैं आबू बहुत घूमा हूं और साल में चार

(श्री रघुनन्दन व्यास)
बार आबू जाता हूं। आबू का सारा वन नष्ट हो गया…

श्री सम्पतराम : ऊंट और बकरी क्या खाते हैं ?

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा ख्याल है कि ऊंट ऊपर का पत्ता खाता है लेकिन बकरी नीचे गिरे हुए पत्ते खाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पशुपालन और वन विभाग का कोआर्डिनेशन हो तो पशुओं की रक्षा होगी, वनों की रक्षा होगी।

मैं आपको बताऊं कि पंचायत समितियों में सब जगह वेटरनरी के डाक्टर हैं, मेरा गांव आहोर तहसील में है, मेरे गांव में 20 हजार पशु हैं गाय और भेड़े मिलाकर। मैं रेबारियों के मोहल्ले में रहता हूं। मैंने 20 वर्षों में कोई भी वेटरनरी डाक्टर को अपने गांव में नहीं देखा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत जल्दी समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : आपने 13 मिनट ले लिये हैं। आपके दल ने केवल 10 मिनट का समय निर्धारित किया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं तीन मिनट और चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह पहली बार बोले हैं।

श्री सभापति : सभी पहली बार बोले हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, मैंने कोई भूमिका नहीं बांधी है। हमारे यहां जवाई बांध है, उसकी नहरें हैं और उसका पानी कहां जाता है, उसकी जांच होनी चाहिये। कई नहरें बन्द कर दी गई हैं और इसलिए बन्द की गई हैं कि कुछ बड़े लोगों के फार्म को पानी पिलाया जाये। एक धान्ता गांव है। वहां के किसान नहर से नाली खोदकर वह स्वयं ले जाते हैं। उनके लिए नालियां और नहरों की व्यवस्था नहीं है। पैसे सरकार वसूल करती है, किसानों से वसूल करती है, पैसा देते हैं वह लोग लेकिन उनके लिए नहरें या नालियां खोदकर नहीं देते। यह नहरें सरकार को खोदनी चाहिये। जालोर, सिरोही और पाली में कई बांध ऐसे हैं कि जिनमें नहरें नहीं हैं। इससे पानी की चोरी होती है और जब चोरी होती है तो जुर्माना काश्तकार भोगता है। इसी तरह से सिरोही मोरा गांव है जहां एक छोटा-सा बांध है लेकिन पानी के नाम पर उस बांध से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसानों के खेतों की जहां दो दो बीघा पिलाई होगी, 5 लाख रुपये जुर्माने के बाकी पड़े हैं। सिरोही तहसील में यह बांध है। मैं समझता हूं कि इस तावान की भी जांच होनी चाहिए।

अब सीमेन्ट का प्रश्न है। वह मिलती नही है। अप्रेल, मई और जून इन तीन महीनों के अन्दर चाहे राजस्थान के फूड कमिश्नर की बात हो या डी. एस. ओ. की बात हो सीमेन्ट मंगवाया नहीं गया। मैंने सिरोही और जालोर में जांच की। उन्होंने कहा कि हमने सीमेन्ट नहीं मंगवाया। जयपुर की यह स्थिति है कि सीमेन्ट नहीं थी

(श्री रघुनन्दन व्यास)

फिर भी जयपुर के वितरण अधिकारी की ओर से 8 हजार परमिट काटे गये। जब माल ही नहीं था तो परमिट क्यों दिये? तो मेरा कहना है कि जिला वितरण विभाग और यहां बैठने वाले अधिकारी सबसे बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे हैं जिनकी चैकिंग होनी चाहिए ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य को और बोलने का मौका मिले।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरे भाषण के अधूरे पाइन्ट रह गये हैं और उनको अधूरा मानते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री परसराम मदेरणा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, On a point of personal explanation, Sir, I want to draw your asttention to rule 276.

अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य जब यहां अपने वक्तव्य की भूमिका बना रहे थे तो उन्होंने मत्स्य पालन और सूअर पालन में मेरा भी उल्लेख किया। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिस रेगिस्तानी क्षेत्र से माननीय सदस्य आये हैं मैं भी राजस्थान के उसी डेजर्ट का निवासी हूं। मेरे गांव के आस-पास न तो सूअर हैं और न मैंने कोई मुर्गा पाला है और न पालने का कोई इरादा है।

श्री सभापति : श्री रतनाराम चौधरी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ जालोर जिले की समस्याओं के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। जालोर जिला सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है हमारे राजस्थान में, इसलिए इस जिले को पिछड़ा जिला घोषित किये जाने की कृपा करें। जालोर जिला कृषि उत्पादन के लिये बहुत ही अच्छा जिला है। यहां काश्तकार बेरों से इंजन द्वारा पानी निकाल कर खेती करते हैं। क्रूड आयल महंगा होने के कारण इन काश्तकारों को बहुत महंगी खेती पड़ती है। मान्यवर जी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन काश्तकारों के बेरों पर अगर सरकार बिजली के कनेक्शन दे दे तो कुछ हद तक खेती सस्ती पड़ सकती है और काफी उत्पादन बढ़ सकता है।

जिला जालोर में जो सड़कों का निर्माण हुआ है वह नहीं के बराबर है। मान्यवर, जिला जालोर के पश्चिमी दक्षिणी भाग में बहुत क्षेत्र आया हुआ है। जिला जालोर से भीनमाल के बीच में जो नदी आकोली व मरूंडी है वह अत्यन्त भयंकर नदी है। कई परिस्थितियों में बरसात के समय कई महीनों तक जालोर से कनेक्शन ही टूट जाता है

(श्री रतनाराम चौधरी)

क्योंकि वहां पर कच्ची सड़क बनी हुई है इसलिये उस पर पुल जल्दी बना देने की व्यवस्था कर दी जाये व जसवन्तपुरा भीनमाल सड़क पर डामर की छाय व पुलिया बनाई जावे।

मान्यवर जी, जिला जालौर के अन्दर जो जीरे की ओर रायडा वगैरह की स्यालू फसल होती है उसे मैं लगातार दस साल से देख रहा हूं जो कुछ पैदा हो जाता है उसको कीड़ा लग जाता है। लाखों रुपयों की फसल तबाह हो जाती है फिर भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मान्यवर जी, विभाग की ओर से कभी कोई राहत नहीं मिली है। इसलिये कृपा कर उनको भी बीमारियों से छुटकारे की व्यवस्था करावें।

मान्यवर जी, रानीवाड़ा में एक डेअरी खोली है। यह प्राइवेट कम्पनी की डेअरी है जो 17 हजार लीटर दूध लेती थी लेकिन अब वापस 4 हजार लीटर दूध लेती है। डेअरी पर काम करने वाले जो लोग हैं बिल्कुल ईमानदार नहीं हैं इसलिये कृपा करके इस डेअरी को सरकार अपने हाथ में ले ताकि काश्तकार को, पशु पालक को राहत मिल सके। मान्यवर जी, पशुपालक जो दूध देते हैं उन काश्तकारों को पशुधन के लिए सरकार द्वारा या डेअरी द्वारा या बैंकों द्वारा, किसी के द्वारा लोन दिया जावे ताकि पशुपालक ज्यादा से ज्यादा दूध डेअरी को दे सकें जिससे गरीबों का जीविका साधन बन सके और उनकी माली हालत भी धीरे धीरे सुधर जावे।

मान्यवर जी, रानीवाड़ा में एक बैंक द्वारा लोन देने की स्कीम चल रही है। कई लोगों को लोन मिल गया है परन्तु सीमेन्ट का अभाव है। जो लोन से बेरे खोदे थे वह ढह गये हैं। इसलिये कृपा करके जहां लोन की स्कीम चल रही है वहां सीमेन्ट का अलाट-मेन्ट ज्यादा से ज्यादा किया जाये। वहां पर बहुत गहरा पानी है, करीब 60 हाथ पर पानी है इसलिए एक बेरे के लिए 100 बोरी की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जालौर जिले में सीमेंट अलाट करावें।

मान्यवर जी, रानीवाड़ा जो हमारा क्षेत्र है वहां पर इस वक्त सरकार ने, मिडिल स्कूल से माध्यमिक स्कूल एक भी नहीं खोला है। कई जगह एक खुला, कई जगह दो खुले लेकिन रानीवाड़ा में एक भी नहीं खुला है। इसलिये शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में कम से कम एक स्कूल तो कृपा करके खोला जाये। रानी-वाड़ा में करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं। 10 कमरे हैं, एक आफिस है, प्याऊ है पंचायत समिति भी है इसलिये रानीवाड़ा में माध्यमिक स्कूल खोला जाये।

मैं रानीवाड़ा क्षेत्र से चुनाव लड़कर आया हूं वहां पशुओं में ग्राम मेड़क में अधिक भयंकर बीमारी फैली हुई है। कई पशु मर गये हैं। करीब 35 पशु मर गये। भयंकर बीमारी फैली हुई है। मंत्री महोदय, कृपया इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करावें और जिनके पशु मर गये हैं और जिनकी हालत और खरीदने की नहीं है उनको राहत दिलावें।

मान्यवर जी, हमारे रानीवाड़ा में बिजली की स्कीम चल रही है लेकिन बड़ी धीमी गति

(श्री रतनाराम चौधरी)
से चल रही है। तीन चार माह में एक भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया है। इसलिये जल्दी आदेश फर्मावें।

हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में लगातार एक महीने से बरसात हो रही है। किसानों ने तीन-चार दफा बीज डाले हैं परन्तु एक दाना नहीं पनपा है, कोई फसल नहीं है इसके अलावा बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान भी गिर गये हैं, उनको कृपया ज्यादा से ज्यादा सहायता दें। जैसी माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है, 300) रुपये हमारे क्षेत्र में भी इन मकान वालों को दिलावें।

एक बार मैं फिर गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्या भाई रघुनन्दन व्यास ने बताई वही समस्या हमारे क्षेत्र में भी है। हमारे क्षेत्र में जितनी पड़त जमीन थी वह सरकार ने रोक रखी है। हमारे पशु धन को चराने की भी बहुत समस्या है। इस समस्या को तुरन्त हल करायें। वन मंत्री जी से मिलकर मैंने एक रिपोर्ट पेश की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है मौका देखेंगे। मौके की हालत तो हम बता ही रहे हैं। जल्दी कार्यवाही करें ताकि पशु भूख से मरने से बच जाय, यही हमारी प्रार्थना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

अभी रानीवाड़ा में एक बाम्बी से मारपीट की गई जिसकी रानीवाड़ा थाने में कोई सुनवाई नहीं की। 107 की कार्यवाही करनी पड़ी। कुछ लोगों ने बाम्बी के घर जाकर उसको लकड़ियों से पीटा। उस घर में जो औरतें थीं उनसे छेड़छाड़ की। यह सूचना मेरे पास आई है। मान्यवर जी, मैं इसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : बस समाप्त करें।

श्री सम्पत राम (कृषि मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, अगर लिख कर वे देंगे और जबरदस्ती दखल किया गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लें।

श्री रतनाराम चौधरी : ठीक है साहब, मैं कर दूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रवण लाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्द सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धि चन्द्रजी!

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलालजी मीणा!

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल! डिविजन नं. 73!

(अनुपस्थित)

श्री हीरालालजी आर्य!

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्दजी आर्य!

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल ऐरण!

श्री भंवरलाल ऐरण (नसीराबाद): समय बहुत थोड़ा रह गया है।

माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने विरोधाभासी बातें कही हैं। एक जगह तो यह कहा गया है कि उन्होंने आपात कालीन स्थिति के समय कुछ गलतियां की थीं और उसकी वे माफी चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ सदस्यों ने इस बात के लिये भी कहा है कि आपातकालीन स्थिति सही मायने में लगाई गई थी और उसका एक औचित्य था। लेकिन मैं, श्रीमान्, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दरअसल में जितनी ज्यादतियां और जुल्म पिछले 20 महीने की अवधि में हुये हैं उनकी कोई दूसरी मिसाल अन्यत्र नहीं मिल सकती है।

मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उसमें हुई एक ज्यादती का जिक्र करूंगा। जहां तक गलतियों का सवाल है, गलतियां माफ की जा सकती हैं लेकिन पिछले 20 महीने की अवधि में गलतियां नहीं जघन्य अपराध किये गये हैं और उनको किसी हालत में माफ नहीं किया जा सकता है। माननीय खेतसिंहजी, जो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, और विधि मंत्री राजस्थान सरकार के रहे हैं तथा एक अच्छे वकील हैं, उनका कथन था कि उन गलतियों के लिये हमें माफ कर दिया जाय और उनका पर्दाफाश न करें। मैं उनकी समझ के लिये कुछ कहूं, क्योंकि वे एक अच्छे वकील भी रहे हैं कि एक अपराध करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही दोषी वह आदमी होता है जो अपनी गलतियों और ज्यादतियों का पर्दाफाश नहीं करवाना चाहता है। उस अपराध का मैं भी दोषी हो सकता हूं, अगर मैं यह बात सदन में नहीं बताता हूं, तो।

मैं नसीराबाद की बात बताता हूं 18 नवम्बर, सन् 1975 का दिन था उस दिन आपात स्थिति अपनी चरम सीमा पर थी। 7 बच्चे, जो लगभग 13 साल से लेकर 17 साल तक के थे, 18 नवम्बर, 1975 को नसीराबाद के मुख्य बाजर से 'भारत माता की जय' बोलते हुए गुजर रहे थे। दूसरा उनका कहना था कि आपात स्थिति को हटायें और हमारे नेताओं को रिहा करें। मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई अपराध नहीं था। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो नगर कांग्रेस कमेटी के जोइन्ट सैक्रेटरी श्री प्यारेलाल जैन, जो अपने आपको जोइन्ट सेक्रेटरी कहा करते थे जब कि वे जोइन्ट सेक्रेटरी नहीं थे बल्कि जाइन्ट सैक्रेटरी थे, गुस्से से भर गये और सामने ही एक मान्य कांग्रेसी की दुकान से उन्होंने नसीराबाद के थाने पर नानू लाल मीणा को टेलीफोन किया कि नसीराबाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बच्चे विद्रोहकर रहे हैं और आप सो रहे हैं। श्री मीणा जी ने क्योंकि एक नगर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी का फोन था, एकदम जवाब दिया, अभी मैं पुलिस के सिपाही भेज रहा हूं। दो हैड कान्स्टेबल घीसीलाल और नन्दपुरी को भेज दिया। वहां पर मुख्य बाजार से नारे लगाते हुए, उनको पकड़ कर थाने में ले जाया गया। रास्ते में जब मैं घर जा रहा था तो मुझ से देखा नहीं गया और मैंने नन्द पुरी से प्रार्थना की कि आपके पास इन बच्चों को मारने का कोई लाइसेन्स नहीं है। आप बच्चों को सीधे

(श्री भवरलाल ऐरण)

कोतवाली में पेश कर दीजिये। अगर ये दोषी होंगे तो इन पर मुकदमा चलाया जायगा और यदि दोषी नहीं होंगे तो इनको छोड़ दिया जायगा।

माननीय कोतवाल साहब के पास उन बच्चों को पेश किया गया। जब उनके सामने पेश किया गया तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उनके गुस्से के कारण दूसरे सिपाहियों ने निर्ममता से उनकी पिटाई की और उनको हवालात में बन्द कर दिया। जब दूसरे दिन उनके अभिभावक थाने में खाना लेकर गये तो उनके अभिभावकों का टिफन और खाना फेंक दिया गया। माननीय सभापति महोदय, पूरी रात्रि उनको भूखा रखा गया। दूसरे दिन रिमान्ड के लिए उनको पेश किया जा सकता था लेकिन शाम को दूसरे दिन 6 बजे रिमाण्ड के लिए ले जाया गया। मुख्य दण्ड नायक के बंगले पर पेश किया गया। हालांकि रिमाण्ड का कोई औचित्य नहीं था, पुलिस ने रिमाण्ड की प्रार्थना की और चार दिन का रिमाण्ड लिया गया और आंख मींच कर चार दिन तक पुलिस के सिपाही उन मासूम बच्चों की पिटाई करते रहे। यह कहा गया कि आप यह नहीं बताओगे कि किसने तुम्हें भेजा है, यह प्रेस कहां है जहां यह छपा है, किसो के जरिये नारे लगाये तो हम तुम सबको नपुसंक बना देंगे।

मैं निवेदन करूं, माननीय सभापति जी, न केवल उन बच्चों के डण्डे लगाये गये और पीटा गया बल्कि उनके गुप्तांगों पर बिजली के करेन्ट लगाये गये और उनके गुप्तांगों में डण्डों को ठूंस दिया गया। जब तक उनका गुस्सा और लालसा पूरी नहीं हुई तब तक उनको हर तरह से सताया गया। केकड़ी में रहने वाले डी. वाई. एस. पी. को बुलाया गया रात्रि में। जब वे आये तो उनके साथ क्या क्या किया गया यह एक कहानी है। वह सब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। रात्रि के समय थाने के अन्दर कमरे में एक दरबार लगाया गया। एक कुर्सी पर डी वाई. एस. पी. विराजमान थे और दूसरी कुर्सी पर थानेदार साहब विराजमान थे, चार कान्सटेबल तैनात किये गये और एक एक बच्चे को उस कमरे में बुलाया गया · · ·

श्री सभापति : आपका भाषण जारी रहेगा।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26-7-77 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.00 बजे मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 1977 के म. पू. 11.00 तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न सं. 48 की सूची)

राजस्थान राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं जयपुर के मध्य निम्न सीधी वाहन सेवायें संचालित की जा रही हैं:—

क्र.सं.	जिले का नाम	एकल सेवाओं की संख्या
1.	जोधपुर	14
2.	पाली	6
3.	सिरोही	4
4.	जालोर	2
5.	बाड़मेर	2
6.	उदयपुर	14
7.	डूंगरपुर	2
8.	बांसवाड़ा	4
9.	चित्तौड़गढ़	10
10.	भीलवाड़ा	16
11.	कोटा	24
12.	बून्दी	24
13.	झालावाड़	8
14.	बीकानेर	14
15.	नागौर	4
16.	गंगानगर	2
17.	चूरू	8
18.	झुंझुनूं	34
19.	सीकर	60
20.	सवाईमाधोपुर	6
21.	टोंक	46
22.	अलवर	34
23.	भरतपुर	36
24.	अजमेर	88

पाली, जयपुर मार्ग पर संचालित वाहनों की समय सारिणी

प्रस्थान पाली	आगमन जयपुर	प्रस्थान जयपुर	आगमन पाली
09.15	17.15	06.45	15.15
11.00	18.45	08.30	16.30
00.00	07.00	19.30	01.45

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न सं. 49 की सूची)

राजस्थान में जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालय

1. जयपुर
2. दौसा
3. भरतपुर
4. अलवर
5. सवाई माधोपुर
6. सीकर—झुंझुनू (कार्यालय सीकर)
7. अजमेर
8. कोटा
9. बारां
10. झालावाड़
11. बूंदी
12. टोंक
13. उदयपुर
14. कांकरोली
15. चित्तौड़गढ़ (मुख्यालय कपासन)
16. भीलवाड़ा
17. बांसवाड़ा
18. डूंगरपुर
19. जोधपुर—जैसलमेर (कार्यालय जोधपुर)
20. पाली
21. सिरोही
22. नागौर
23. जालौर—बाड़मेर (कार्यालय जालौर)
24. श्री गंगानगर
25. [illegible]नुमानगढ़
26. [illegible]

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न सं. 54 की सूची)

जिलेवार सूची

जिले का नाम	मुक्त हुए बन्धक श्रमिकों की संख्या	पुनर्वासित बन्धक श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1. उदयपुर	18	17
2. बांसवाड़ा	303	[illegible]
3. डूंगरपुर	158	49
4. चित्तौड़गढ	217	85
5. भीलवाड़ा	268	66
6. सिरोही	25	25
7. जैसलमेर	–	–
8. बाड़मेर	23	8
9. बीकानेर	15	15
10. जोधपुर	3	3
11. जालौर	9	9
12. नागौर	–	–
13. चूरू	20	–
14. झुंझुनूं	–	–
15. सीकर	55	–
16. पाली	16	13
17. कोटा	3875	1437
18. श्रीगंगानगर	37	37
19. भरतपुर	10	10
20. अलवर	4	4
21. सवाई माधोपुर	7	7
22. जयपुर	7	7
23. टोंक	6	1
24. अजमेर	41	37
25. झालावाड़	78	19
26. बून्दी	332	332
योग	5580	2484